Tuesday, 19 April, 1966

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[**चौदहवां सत्र**]

Fourteenth Session

सत्यमेव जयते

Preservation
Fumigated
Parliament Library

[खंड 54 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. LIV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 42—मंगलवार, 19 अप्रैल, 1966/29 चैत्र, 1888 (शक)

No. 42—Tuesday, April 19, 1966/Chaitra 29, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1187	पशुओं की लाशों का उपयोग में लाया जाना	Utilisation of Carcasses of Animals	6823–25
1188	राज्यों के पेकेज कार्यक्रम वाले ज़िले	Package Districts of States .	6825–27
1189	हुगली में नौपरिवहन	Navigation in Hooghly . .	6827–29
1190	चीनी का उत्पादन	Sugar Production . . .	6829–32
1193	निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन	Delimitation of Constituencies .	6832–35
1196	पश्चिम बंगाल में खाद्य स्थिति	Food Situation in West Bengal .	6836–38

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1191	गंगा नदी क्षेत्र (बेसिन) में जल परिवहन	Water Transport in Ganga Basin	6838
1192	कृषि सम्बन्धी आंकड़े	Agricultural Statistics .	6838–39
1194	गैर-सरकारी क्षेत्र में बीज-फार्म	Seed Farms in Private Sector .	6839
1195	कपास की उपज में कमी	Decline in Growth of Cotton .	6839–40
1197	अभावग्रस्त क्षेत्रों में अमरीकी खाद्य मिशन का दौरा	U.S. Food Mission's Visit to Scarcity Areas	6840
1198	जयन्ती शिपिंग कम्पनी	Jayanti Shipping Company .	6840–41
1199	वनस्पति घी के दाम	Prices of Vegetable Ghee . .	6841
1200	जयन्ती शिपिंग कम्पनी	Jayanti Shipping Co. . .	6842
1201	उड़ीसा में गन्ना उगाने वालों को भुगतान	Payment to Sugarcane Growers in Orissa	6842
1202	बिहार के मुख्य मंत्री के वक्तव्य के बारे में समाचार	Reported Statement of the Chief Minister, Bihar	6842–43
1203	मिलों को गन्ने की सप्लाई	Supply of Sugarcane to Mills .	6843

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of the Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—58 L. S./66.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1204	राज्यों में चावल का राशन	Rice Ration in States . .	6843
1205	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा तैयार घी की किस्म	Quality of Ghee Prepared by Delhi Milk Scheme . .	6844
1206	चौथा साधारण निर्वाचन	Fourth General Elections . .	6844
1207	कलकत्ता और आसाम के बीच वैकल्पिक नौगम्य मार्ग	Calcutta-Assam Alternative Navigable Route	6844–45
1208	चावल का संकट	Rice Crisis . .	6845
1209	दिल्ली में चावल का राशन	Rice Ration in Delhi .	6845
1210	अनावृष्टि क्षेत्रों में सहायता कार्य	Drought Relief Measures .	6845–46
1211	केरल में मछली पकड़ने का उद्योग	Fishing Industry in Kerala .	6846
1212	अमरीका से खाद्य सहायता	Food Aid from U.S.A. .	6846–47
1213	नागपुर होते हुए दिल्ली-मद्रास और बम्बई-कलकत्ता-विमान सेवा	Delhi-Madras and Bombay-Calcutta Flights *Via* Nagpur .	6847
1214	कृषि का पुनरुथान (रीओरियेंटेशन)	Re-orientation of Agriculture .	6847–48
1215	खाद्यान्न की कमी	Food Shortage .	6848
1216	राज्यों का चीनी का कोटा	Sugar Quota of States .	6848

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.			
3856	कृषि-उत्पादन में वृद्धि	Increase in Agricultural Production	6848–49
3857	भूमिगत जल संसाधन	Under-ground Water Resources .	6849
3858	केरल जल परिवहन	Kerala Water Transport . .	6849–50
3859	कूथपरम्बा कृषि कार्यालय	Koothaparamba Agricultural Office	6850
3860	सागोन के बागान	Teak Plantations . . .	6850
3861	केरल राज्य में पुन्नाप्रा में दुग्धशाला (डेरी) परियोजना	Dairy Project at Punnapra in Kerala State . . .	6850–51
3862	केरल में तैल ताड़ की खेती	Oil Palm Cultivation in Kerala	6851
3863	थेवाली पुल	Thevally Bridge	6851
3864	आनन्द में कृषि संस्था	Institute of Agriculture at Anand	6851–52
3865	केरल में पुल	Bridges in Kerala .	6852
3866	दिल्ली में शाक-सब्जी वाटिकायें	Kitchen Gardens in Delhi . .	6852–53
3867	मैसूर राज्य में चीनी का कारखाना	Sugar Factory in Mysore State	6853
3868	अरब सागर में जहाज़ का बचाया जाना	Sailing Vessel in Arabian Sea rescued	6853–54

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3869	केरल को चीनी की सप्लाई	Sugar Supply to Kerala . .	6854
3870	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा सुविधाओं का दिया जाना	Facilities offered by I.A.C. .	6854
3871	भूमिहीन परिवार	Landless Families . . .	6854-55
3872	मद्रास के लिये केन्द्रीय सड़क निधि	Central Road Fund for Madras .	6855-56
3873	दिल्ली परिवहन विभाग	Delhi Transport Department	6856
3874	सफदरजंग हवाई अड्डा	Safdarjang Air port .	6856
3875	उबले चावल की दुर्गन्ध	Unpleasant odour of boiled Rice	6856-57
3876	अच्छे किस्म के खाद्यान्नों की खेती	Cultivation of improved Varieties of Foodgrains . . .	6857
3877	वनस्पति सम्बन्धी नई कीटनाशक औषधि	New Vegetable Insecticide . .	6857
3878	राकेट उड़ान केन्द्र	Rocket Launching Station .	6858
3879	राजस्थान नहर में नौवहन की सुविधायें	Navigation Facilities in the Rajasthan Canal	6858
3880	पैकेज कार्यक्रम	Package Programme . . .	6858
3881	दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा नागरिक (सिविल) सम्भरण निदेशालय में भर्ती	Recruitment in Directorate of Food and Civil Supplies, Delhi Administration . . .	6858-59
3882	कोचीन में हवाई अड्डा	Airport at Cochin . . .	6859
3883	केरल मीनक्षेत्र निगम	Kerala Fisheries Corporation .	6859-60
3884	राजस्थान में चीनी के कारखाने	Sugar Factories in Rajasthan .	6860
3885	बिहार में स्थानीय विकास कार्य	Local Development Works in Bihar	6860-61
3886	दिल्ली में मक्सिकन गेहूं की खेती	Cultivation of Mexican Wheat in Delhi	6861
3887	बहरामपुर में भागीरथी नदी पर पुल	Bridge over River Bhagirathi at Behrampur . . .	6861
3888	जयन्ती शिपिंग कम्पनी	Jayanti Shipping Co. . .	6862
3890	कृषि उत्पादन पर कर लगाना	Taxation on Agricultural Production	6862-63
3891	उड़ीसा में पानी के तालाब	Water Tanks in Orissa . .	6863-64
3892	उड़ीसा में तम्बाकू की खेती	Tobacco Cultivation in Orissa . .	6864
3893	उड़ीसा में फ्लाइंग क्लब	Flying Club in Orissa . . .	6864
3894	त्रावनकोर टाइटनियम प्रौडक्ट्स लिमिटेड	Travancore Titanium Products Ltd.	6864-65
3895	त्रिपुरा में मत्स्य-पालन तालाब	Fishery Tanks in Tripura . .	6865
3896	बेंत की उपलब्धि	Availability of Cane . .	6865-66
3897	गोमती पुल	Gomti Bridge	6866

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3898	बिहार में पार्श्व-वर्ती सड़कें	Lateral Roads in Bihar . .	6866
3900	"थिरुमनी एनीकट" परियोजना	Thirumani Anicut Project . .	6866–67
3901	मैसूर में चीनी की मिलें	Sugar Factories in Mysore .	6867
3902	चारे का उत्पादन बढ़ाना	Development of Fodder . .	6867–68
3903	कृषि-फार्म	Agricultural Farm . . .	6868
3904	केरल में चावल के दाम	Price of Rice in Kerala . .	6868
3905	अयस्क प्रयोग करने वाला कारखाना (ओर हैंडलिंग प्लांट)	Ore Handling Plant . . .	6869
3906	अन्तर्राज्यीय परिवहन सेवा	Inter-State Transport Service .	6869
3907	अन्तर्राज्यीय बस मार्ग	Inter-State Routes . . .	6869–70
3908	पुरानी टैक्सी कारों को बदलना	Replacement of Old Taxi Cars .	6870
3909	कुट्टानद योजना	Kuttanad Scheme . . .	6870
3910	नई दिल्ली में दूध का सम्भरण	Milk Supply in New Delhi .	6870–71
3911	कन्दरा भूमि (रेवीन लैंड) को खेती-योग्य बनाना	Reclamation of Ravine Lands .	6871
3912	केरल में चीनी की आवश्यकता	Sugar Requirements in Kerala .	6872
3913	मत्स्य पालन	Pisciculture . . .	6872
3914	केरल में संतरों का बोया जाना	Orange Cultivation in Kerala .	6872
3915	चीनी पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Sugar Production	6872–73
3916	कीटनाशक दवाइयों का विमानों से छिड़काव	Aerial Spraying of Pesticides .	6873
3917	बोरझार हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वाइकोउंट विमान का क्षतिग्रस्त होना	I.A.C. Viscount Damaged at Borjhar Port	6874
3918	पासी-बदरपुर-अगरतला सड़क पर पुल	Bridge on Passi-Badarpur-Agartala Road	6874
3919	स्कूटर-रिक्शाओं के लिए भाड़ा-मीटर	Fare-Meters for Scooter Rickshaws	6874–75
3920	जोरहाट हवाई अड्डा	Jorhat Aerodrome . .	6875
3921	पोलैंड से जहाज	Ships from Poland .	6875
3922	जापान से खाद्य सहायता	Food Aid from Japan . .	6875–76
3923	एयर इंडिया को हुई हानि	Loss suffered by Air India .	6876

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3924	पर्यटन का विकास	Development of Tourism . .	6876–77
3925	सिलचर-मणिपुर सड़क	Silchar-Manipur Road	6877
3926	खाद्य क्षेत्र	Food Zones . . .	6877
3927	मुख्य निर्वाचक अधिकारियों का सम्मेलन	Conference of Chief Elecioral Officers	6877–79
3928	श्रीलंका को पशुओं का दिया जाना	Gift of Cattle to Ceylon .	6879
3929	तैवान से चावल	Rice from Taiwan . .	6879
3930	खाद्य परिष्करण उद्योग	Food Processing Industry . .	6879–80
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	उर्वरक करार में विदेशी पूंजी लगाये जाने के बारे में विश्व बैंक द्वारा पत्र लिखे जाने का समाचार—	Reported Communication from World Bank re: foreign participation in fertilizer deal·	
	श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad .	6880
	श्री अलगेसन	Shri Alagasen . .	6880–81
	सदस्य की रिहाई (श्री प० कुन्हन)	Relese of Member (Shri P. Kunhan) . .	6883
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	6883–84
	प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
	सौंवा प्रतिवेदन	Hundredth Report . .	6884
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Re: Motion for Adjournment (Query)	6884
	अनुदानों की मांगों सम्बन्धी चर्चा का क्रम	Order of Discussion on Demands for Grants	6884–86
	गुजरात के पंचमहल जिले में आदिवासियों पर गोली चलाये जाने के बारे में वक्तव्य	Re: Statement about firing on Adviasis in Panchmahal District of Gujarat . . .	6886
	अनुदानों की मांगें—	Demands for Grants—	
	श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय—	Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation—	
	श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram .	6886–91
	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय—	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation—	
	श्री चि० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam . .	6892–93
	श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo . . .	6893–95
	श्रीमती विमला देशमुख	Shrimati Vimla Deshmukh .	6900–01
	श्री मणियंगाडन	Shri Maniyangadan . .	6901–02

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey .	. 6902–03
श्री हुमायून कबिर	Shri Humayun Kabir	. 6903–05
श्री तुला राम	Shri Tula Ram	. 6905
श्री विश्राम प्रसाद	Shri Vishram Prasad .	6906
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	. 6906–07
श्री दे० द० पुरी	Shri D. D. Puri .	. 6907–08
श्री भजहरि महतो	Shri Bhajhari Maheta	. 6908
श्री मानसिंह पृ० पटेल	Shri Man Singh P. Patel	. 6908–09
श्री शिन्दे	Shri Shinde	. 1909–11, 6913
दिल्ली बन्द के बारे में वक्तव्य	Statement re: Delhi Bandh—	
श्री नन्दा	Shri Nanda . . .	. 6911–13

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 19 अप्रैल, 1966/29 चैत्र, 1888 (शक
Tuesday, April 19, 1966/Chaitra 29, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWER TO QUESTIONS

Utilisation of Carcasses of Animals

***1187. Shri D.N. Tiwary :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) Whether there is any scheme under consideration of Government to utilise carcasses of animals ;

(b) whether the Secretary, Khadi and Village Industries Commission has given any suggestion in regard to the by-products which can be prepared therefrom; and

(c) if so, the broad outlines of the scheme prepared for their utilisation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Sham Dhar Misra) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

Part (a) : Certain steps have already been taken to utilise carcasses of animals. These are (i) establishment of a model training-*cum*-production Centre for training in hide flaying, curing and carcass utilisation at Bakshi-Ka-Talab, Lucknow, (ii) establishment of another similar training centre in Andhra Pradesh, and (iii) establishment of Charmalayas in Gosadans. Under the Fourth Plan it is proposed to set up 35 carcass utilisation centres and 26 new Gosadans with well equipped Charmalayas.

Part (b) and (c) : No new suggestion has been given to Government by the Secretary, Khadi and Village Industries Commission. The problem of carcass utilisation was, however, recently discussed at a meeting with the Commission and others concerned. The meeting recommended establishment of carcass utilisation centres of different capacities. The recommendations have been forwarded to all concerned for implementation.

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार जानती है कि गांवों और शहरों में प्रतिवर्ष कितने मवेशी मरते हैं और बहुत लम्बे समय तक उनकी देखभाल नहीं होती ? उनसे कभी कभी बीमारी भी फैलती है । उनको इकट्ठा करने और उनके लाभप्रद उपयोग के लिये क्या कार्यवाही की जाती है ?

श्री श्यामधर मिश्र : अनुमान है कि प्रतिवर्ष बड़े मवेशियों के लगभग 18.8 करोड़ पिंजर उपलब्ध होते हैं । परन्तु यह तथ्य है कि इसमें से लगभग एक तिहाई का भी उचित उपयोग नहीं होता है । सरकारने 'बख्शी का तालाब,' लखनऊ में पहले ही एक केन्द्र खोल रखा है जहां खाल को उतारने, उसको ठीक बनाने और पिंजर के उपयोग के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है । हाल ही में हमने आन्ध्र प्रदेश में भी एक केन्द्र खोला है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 35 पिंजर उपयोग केन्द्र और 26 नये गौसदन, जिन में पूरी तरह सुसज्जित चर्मालय होंगे, खोलने का हमारा कार्यक्रम है । हम ये कदम उठा रहे है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : पिंजरों के उपयोग से, जो कि अब नष्ट हो जाते हैं, कितना आर्थिक लाभ होगा ?

श्री श्यामधर मिश्र : दो या तीन वर्ष पहले श्री रन्धावा की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा पशु तथा कृषि अपिशिष्ट के उपयोग संबंधी समिति नियुक्त की गई थी । उस समिति ने अनुमान लगाया कि केवल इन पशुओं से ही लगभग 26 करोड़ रु० की वार्षिक हानि होती है ।

Shri Vishwanath Pandey : What is the total amount involved in the setting up of 35 Carcass utilisation centres and 26 new Gosadans ?

Shri Sham Dhar Misra : The estimated cost of 35 carcass utilisation centres is Rs. 94,50,000. One Gosadan costs about Rs. 1,25,000 out of which Rs. 80,000 is non-recurring expenditure and the rest recurring

श्रीमती सावित्री निगम : इस जटिल समस्या को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस कार्य को तेजी से पूरा करने के लिये एक पृथक आयोग स्थापित करने का इरादा रखती है, यदि हां, तो इस आयोग के क्या कृत्य होंगे ?

श्री श्यामधर मिश्र : केवल इस प्रयोजन के लिये पथक आयोग स्थापित करने का कोई इरादा नही है । कार्यक्रम के इस पहलू का ख्याल विभाग तथा खादी आयोग द्वारा रखा जाता है ।

श्री श्रीनारायण दास : मरे हुए पशुओं की खालों का इस समय किस हद तक उपयोग किया जाता है ; क्या इस बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ?

श्री श्यामधर मिश्र : वह अनुमान समिति के प्रतिवेदन में दिया गया है । मुझे संख्या याद नहीं है ।

Shri Sarjoo Pandey : Is there any difficulty in giving assistance to the Harijans engaged in the profession in villages for the purpose ?

Shri Shyam Dhar Mishra : I have already stated that training *cum*-production centres are being set up for the purpose, we have a plan to open 35 such centres in the fourth five years Plan. It will help in imparting and also to utilise the things.

Shri Bagri : Is the hon. Minister aware that the Harijans of the villages near Punjab, Rajasthan and Delhi have developed a feeling that hide should not be flayed from carcasses of animals no and progress has been made in hide flaying thus a large quantity of hide goes waste. Will the Government persue the people belonging to high casts to do this work?

Shri Shyam Dhar Mishra : It is true that this feeling has developed in some castes not only in a particular area but it has developed through out the country. They consider it below their dignity. It had its bad effects. That is why we are giving financial assistance for setting up machinery etc. Two training centres have alerady been opened and 35 more centres are proposed to be opened in the fourth five year plan. It will increase the production to a large extent and also help the people.

राज्यों के पेकेज कार्यक्रम वाले जिले

+
*1188. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सभी राज्यों के पैकेज कार्यक्रम वाले जिलों में अच्छी फसलें हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना उत्पादन बढ़ा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा **सहकार उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :** (क) तथा (ख): 1965–66 की फसलों के उत्पादन के अनुमानों के बारे में पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है । पूछी गई जानकारी देने में अभी कुछ और समय लगेगा ।

श्री सुबोध हंसदा : इस फसल के समय पैकेज प्रोग्राम वाले क्षत्रों में प्रति एकड़ कितना धन खर्च किया गया और इन क्षेत्रों में पैकेज प्रोग्राम आरंभ करने से पहले प्रति एकड़ कितना खर्च किया जाता था ?

श्री श्यामधर मिश्र : यह एक आम और विस्तृत प्रश्न है किन्तु फिर में इसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा । धान वाले क्षेत्र में प्रति एकड़ लगभग 240 रुपय खर्च होता है जबकि पैकेज प्रोग्राम आरंभ करने से पहले केवल 100 रुपये से 120 रुपय प्रति एकड तक खर्च होता था, गेहूं वाले क्षेत्रों में भी लगभग 100 रुपये प्रति एकड़ तक खर्च होता था । जहां तक उर्वरकों सम्बन्ध है 1960-61 में जब पैकेज प्रोग्राम आरम्भ किया गया था अलीगढ़ में प्रति हेक्टर केवल 2.9 नाइट्रोजन का उपयोग होता था और इस समय यह मात्रा 28.8 है। लुधियाना में यह मात्रा 13.9 थी अब 83.2 है ।

श्री सुबोध हंसदा : मंत्री महोदय के वक्तव्य से ऐसा लगता है कि पैकेज कार्यक्रम वाल क्षेत्रों में काफी खर्च होता है । इन क्षेत्रों में लागत खर्च और उत्पादन का अनुपात क्या है ?

श्री श्यामधर मिश्र : 1963–64 में मिले जुले प्रदर्शन हुए थे और यह अनुमान लगाया गया है कि पश्चिमी गोदावरी क्षेत्र में एक रुपये विनियोजन पर 1.9 रुपये का धान पैदा हुआ । अलीगढ़ में 1 रुपये विनियोग पर 2.7 रुपये के गेहूं पैदा हुए और शाहबाद में 1 रुपये विनियोजन पर 3.3 रुपये का उत्पादन हुआ ।

Shri M. L. Dwivedi : May I know the names of the districts in which the package programme was started in the beginning and how much amount was spent on it in one year ? What are the reasons for not submitting their progress report to the Government by these districts ? Why they are not asked to submit their progress reports ?

Shri Shyam Dhar Mishra : I have not said that we are not receiving progress reports. We are regularly receiving these reports.

The question is this that how the production of current year compares with the production of last year. The production of current *rabi* crops cannot be known before June or July. Therefore, I said that I have not complete information.

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच है कि पैकेज प्रोग्राम वाले जिलों में इस कार्यक्रम को आरम्भ करने के पहले भी सिचाई के अभाव के कारण बहुत कम उत्पादन होता था ?

श्री श्यामधर मिश्र : पैकेज कार्यक्रम के लिए चुने गये जिलों में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक अच्छी सिचाई की व्यवस्था की गई है । यह भी सच है कि सारे क्षेत्र में सिचाई की व्यवस्था नहीं है । अतः उत्पादन, सिचाई तथा अन्य निदेशों के अनुसार होता है ।

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether government have taken any decision on the basis of the figures available from some districts to extend this programme to other districts.

Shri Shyam Dhar Misra : Yes Sir. It has been considered thoroughly. According to the report received there has been 22 percent increase in the production in Package programme districts while in other districts the production could be increased only by 12·2 percent per hectare production has increased by 18·6 percent in package districts while in other districts it has incresed only 7·3 per cent.

Shri Vishram Prasad : How many blocks are covered by package programme in various Package Programme districts and how long it will take to cover whole of the country ?

Shri Shyam Dhar Mishra : There are 13 or 14 package programme districts. It will take very long time to cover whole of the country.

श्री लीलाधर कटकी : चूंकि इस समय खाद्य उत्पादन बढ़ाने की अत्यन्त आवश्यकता है और ब्रह्मपुत्र की घाटी में काफी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, अतः क्या सरकार आसाम में ब्रह्मपुत्र के सभी मैदानी जिलोंमें पैकेज प्रोग्राम आरंभ करेगी ?

श्री श्यामधर मिश्र : जी नहीं, पैकेज प्रोगाम का विस्तार करने का कोई विचार नहीं है । हम अधिक उपज पैदा करने सम्बन्धित कार्य क्रम लागू कर रहे हैं। इस के बारे में साहित्य संसद-सदस्यों में बांटा जा चुका है ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को पता है कि पैकेज प्रोग्राम से—मैं लुधियाना के बारे में जानता हूं—उत्पादन में कोई विशष वृद्धि नहीं हो रही है और यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री श्यामधर मिश्र : मैं तथ्यों के आधार पर कह सकता हूं कि यह गलत है । वस्तु स्थिति यह कि लुधियाना में विशेष रूप से प्रति एकड़ उपज काफी बढी है ।

श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा : कछार पैकेज प्रोग्राम वाले जिले में कितना उत्पादन हुआ है ? क्या सरकार को पता है कि वहां पर सरकार ने अपेक्षित उर्वरक की मांग पूरी नही की थी ?

श्री श्यामधर मिश्र : रबी की फसल के बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। खरीफ की फसल का उत्पादन 1964–65 में 10.2 क्विंटल प्रति हेक्टर था और इस वर्ष 11.6 क्विंटल प्रति हेक्टर होगा ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : पैकेज प्रोग्राम वाले जिलों में धान अधिक पैदा किया जाता है अथवा गेहूं ?

श्री श्यामधर मिश्र : चावल और गेहूं, दोनों पैदा किये जाते हैं। किन्तु अधिकतर चावल पैदा किया जाता है।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : ऐसी खर्चीली आग्रिम योजनायें चलाने से क्या लाभ है जिनका सीमित समय में विस्तार नहीं किया जा सकता है ?

श्री श्यामधर मिश्र : इसके उत्पादन तथा प्रदर्शन का अपना महत्व है। यह अधिक खर्चीला नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य समझ रहे हैं। यह ठीक है कि हम इस कार्यक्रम को समूचे जिले में लागू नहीं कर रहे हैं। हम सधन क्षेत्र कार्यक्रम तथा अधिक उत्पादन वाले विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ कर रहे हैं जो प्राय: पैकेज जिला कार्यक्रम का ही विस्तार है।

Shri Yashpal Singh : Why Government conceal this fact that the only best and richest land is selected for Package Programme? What steps have been taken on the whole to develop the district ?

Shri Shyam Dhar Misra : There are separate programmes for other areas. We selected good land for demonstration in some districts.

हुगली में नौ-परिवहन

+

***1189. श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता से बंगाल की खाड़ी तक हुगली नदी की नौगम्यता में कहां तक सुधार हुआ है ;

(ख) पिछले दो वर्षों में कीच निकालने पर कितना व्यय हुआ है, और

(ग) क्या कीच निकालने के काम के अतिरिक्त कोई अन्य योजना भी आरम्भ की गई है ?

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6071/66।]**

श्री स० चं० सामन्त : हुगली नदी को अधिक नौगम्य बनाये के लिये कितनी बार और कहां कहां पर नमूने के परीक्षण किये गये और क्या इस मामले में जल अनुसन्धान केन्द्र, पश्चिम बंगाल से परामर्श किया गया था ?

श्री चे० मु० पुनाचा : नदी साध कार्य, जो सतत प्रक्रिया है, चरणवार किया जा रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना में 28 लाख रुपये की लागत से अकरा में स्पर निर्माण का कार्य किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में फूल्टा प्वाइंट पर 5 करोड़ रुपये की लागत से स्पर निर्माण कार्य किया गया था। लगभग 14 लाख रुपये की लागत से डाइमंड सेंड भूमि सुधार निर्माण कार्य कर लिए गये हैं। इसके अतिरिक्त पूरी नदी को गहरा करने का काम लगातार चल रहा है।

श्री स० चं० सामन्त : मंत्री महोदय ने कहा है कि नदी से रेत आदि निकालना भी एक तरीका है। क्या पत्तन आयुक्तों के पुराने ड्रेजर बेकार पडे है और नये ड्रेजरों का प्रयोग किया जा रहा है।

श्री चे० म० पुनाचा : हमारे पर छ: ड्रेजर हैं और अभी अक्तूबर, 1965 में एक बड़ा ड्रेजर और अधिग्रहीत किया गया है। ये ड्रेजर अच्छा कार्य कर रहे हैं और आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त है।

श्री सुबोध हंसदा : यह कहा गया है कि गंगा बांध का निर्माण कर के नौगम्यता में सुधार किया जा सकता है । सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय, जो इस बांध को बना रहा, किस प्रकार सहयोग दे रहा है?

श्री चे० मु० पुनाचा : गंगा बांध, अर्थात् फराक्का बांध-योजना बक्सर से कलकत्ता तक नौवहन सुविधा की व्यवस्था की योजना है तथा अन्य कोई बहु प्रयोजनीय योजनाएं चल रही है । हम इस सम्बन्ध में सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय से निकट सम्पर्क बनाये हुए हैं । इस से साल भर नौवहन हो सकेगा ।

श्री प्र० चं० बरुआ : मंत्री महोदय ने बताया कि फरक्का बांध बन जाने पर हुगली में नौवहन व्यवस्था में सुधार होगा । फराक्का बांध कब तक बन जायेगा?

श्री चे० मु० पुनाचा : इस सम्बन्ध में सिंचाई और विद्युत मंत्री अपने मंत्रालय की मांगों के उत्तर के समय स्थिति प्रकट कर चुके हैं ।

Shri M. L. Dwivedi : Is it a fact that an experiment was conducted under C.W.P.C. at Poona to tame the waters of Hooghly and to see that there is no silting and that navigation is possible throughout the year. May I know the measures taken by the Commission to implement the above scheme ?

श्री चे० मु० पुनाचा : पूना में किये गये परीक्षणों के अतिरिक्त पत्तन आयुक्तो ने विशेष समस्याओं के संबंध में अनेक परीक्षण किये हैं । इस सम्बन्ध में लगातार अध्ययन किया जाता है और समस्या पैदा होने पर उनका परीक्षण किया जाता है । ज्वार भाटे से प्रतिदिन ऐसी समस्याए पैदा हो जाती हैं जिनसे हमें लगातार वर्ष भर निबटना पड़ता है ।

Shri Bhagwat Jha Azad : In view of the fact that construction of a Barrage on the Ganges is indespensible for making the navigation possible throughout the year in Hooghly. May I know whether there would be no change in the situation even after the construction of Farakka Barrage ?

श्री चे० मु० पुनाचा : यह प्रश्न फरक्का बांध की बड़ी समस्या से सम्बन्धित है । इस समय ऐसा विचार है कि फरक्का बांध के पूरी तरह से बन जाने से हुगली व्यवस्था में पानी का बहाव ठीक हो जायेगा जिससे बक्सर तक जहाज आसानी से आ जा सकेंगे । इस समय ऐसा विचार है तथा अध्ययन किया जा रहा है । अध्ययन पूरा हो जाने के बाद मेरे विचार से इस सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा । परन्तु तब तक यह समस्या है जिस के बारे में विभिन्न प्रक्रमों में अध्ययन किया जा रहा है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : चूंकि नदी के तल को साफ करने पर बहुत खर्च होता है और उसके लिये विदेशी मुद्रा समेत बहुत खर्चेकी आवश्यकता होती है और फरक्का बांध का प्रभाव सन्देहातीत है--यह सन्देह की बात है कि उससे जहाजों के आने जाने पर कैसे और कितना प्रभाव पड़ेगा--अत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या समुद्र से साद को रोकने के लिये बंगाल की खाड़ी के टीले पर अनुसंधान किया जा रहा है और नदी पर बांध तथा विनियामक जंगलों के अलावा समुद्र के मुहाने पर बांध और पुल बनाने की योजनायें बनाई जा रही है । और यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री कोई संकेत दे सकते हैं कि कौन कौन सी योजनायें चालू हैं ।

श्री चे० मु० पुनाचा : इस विशिष्ट समस्या पर विचार किया गया था और बहुत सोच विचार के बाद जो अन्तिम निर्णय किया गया है वह यह है कि हल्दिया में एक दूसरी बन्दरगाह बनाई जाये । अत: हल्दिया से, कलकत्ते की समस्यायें कुछ हद तक हल हो जायेंगी क्योंकि कलकत्ता में कई कारणों से बहुत अर्से से नौपरिवहन की समस्या स्थायी रूप से हल न हो सकी । कलकत्ता से सम्बन्धित कुछ अन्तर्निहित कठिनाइया हैं ।

डा० रानेन सेन : विवरण में यह बताया गया है कि हुगली नदी को न केवल खराब होने से रोक दिया गया है बल्कि हाल में कुछ सुधार भी किये गये हैं । क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि

कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के अन्तिम प्रतिवेदन में यह शिकायत की गई है कि हुगली नदी में इन कठिनाइयों के कारण कलकत्ता आने वाले विदेशी जहाजों को सागर में कई दिनों तक रुकना पड़ता है और तलकर्षण व्यवस्था के बावजूद भी वहां पर कठिनाइयां हैं। यदि यह बात ठीक है तो क्या सरकार ने कोई ऐसा तरीका ढूंढ़ा है जिससे उस स्थान में तलकर्षण व्यवस्था सुधार जाये जहां रूपनारायण नदी हुगली नदी में गिरती है और यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है।

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं पहले इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये प्रयत्न कर रहा था। अभी अभी हम ने मुहाना ड्रेजर खरीदा है। उसपर दो करोड़ रुपये खर्च हुए है और वह बहुत विशाल और शक्तिशाली ड्रेजर है। हमने उसे गत अक्तूबर खरीदा था और अब हम उसे समय समय पर चला कर तजर्बा कर रहे है। हमारा एक दूसरा प्रस्ताव इतनी ही क्षमता वाले कुछ और ड्रेजर खरीदने का है जिस से हमें तलकर्षण के काम में निश्चित लाभ पहुंच सके।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि चूंकि हुगली नदी की नौपरिवहन व्यवस्था खराब हो रही है और स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार के सभी प्रयत्न असफल रहे है इस लिये सरकार कलकत्ता के लिये हल्दिया में एक सहायक बन्दरगाह बनाने के लिये विचार कर रही है। यदि यह बात ठीक है तो इस सहायक बन्दर्गाह वाले काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मेरा ख्याल है कि मैंने पहले इसी सदन में किसी प्रश्न के सिलसिले में इस प्रश्न का उत्तर दिया था। हल्दिया बन्दरगाह कार्यक्रम स्वीकार किया जा चुका है। हम अब तक पांच करोड़ रुपये खर्च कर चुके है। तेल घाट अभी बनाया जा रहा है। बेसिन का खुदाई कार्य अभी हो रहा है। भूमि अर्जित कर ली गई है। सड़के अब बिछाई जा रही है।

श्री हेम बरुआ : केवल बन्दरगाह ही नही तैयार हुई है।

श्री चे० मु० पुनाचा : विश्व बैंक से सहायता मांगी गई है और उसपर समझौता होना शेष है। बातचीत हो रही है और आशा है कि उनसे कोई हल निकल आयेगा।

Shri D. N. Tiwary : The hon. Minister has just now said that with the completion of Farakka barrage, it will permit navigability from Buxar to Calcutta. In this connection I would like to know since when Brahmaputra Ganga Board has been working to achieve navigability in Ganga River from Allahabad to Calcutta and what progress has been made in this regard? If any work has been done the details thereof and if no work has been done then what are the other functions of the Board ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इस के तुरन्त बाद एक पृथक प्रश्न आ रहा है जिसका सम्बन्ध गंगा-ब्रहमपुत्रा बोर्ड से है। यदि दोनों प्रश्नों को एक साथ लिया जाये तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह कह रहे है कि वह इस बात का उत्तर तब देंगे।

चीनी का उत्पादन

+

***1190. श्री बागड़ी :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री उटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1965-66 के लिये पिछले वर्ष की तुलना में चीनी का प्रस्तावित लक्ष्य कम है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) लक्ष्य प्राप्ति के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग)। 1964–65 और 1965–66 के लिये शर्करा उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। तथापि, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त के लिये 35.6 लाख मीटरी टन का लक्ष्य था। 1965–66 के शर्करा सीजन में यह लक्ष्य लगभग पूरा हो जाएगा।

Shri Bagri : Will the hon. Minister be pleased to state whether the difference in the distribution of sugar in urban and rural areas will be removed by the end of this year when the target of sugar, will be achieved as in the rural areas sugar is distributed at the rate of 100 to 200 grams and in the urban areas it is distributed from one kilo to ten kilos ?

श्री शिन्दे : चीनी के उत्पादन और उसकी उपलब्धता की स्थिति की व्याख्या की जा चकी है। अब प्रश्न यह है कि हम चालू महीने से लगभग 2.49 लाख मीटरी टन चीनी रिलीज कर रहे हैं। उससे वास्तव में बहुत से लोगों की मांग पर्याप्त रूप से पूरी हो जानी चाहिये। जहां तक विभिन्न राज्यों में शहरी और देहाती क्षेत्रों में उस के वितरण का सम्बन्ध है उसका उत्तरदायित्व राज्यों का है। परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि अधिक रिलीज करने के लिये भारत सरकार के निर्णय के पश्चात् अब जितनी मात्रा का वितरण किया जा रहा है वह पिछले कुछ वर्षों के वितरण की मात्रा से अधिक है और यह स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण हटाये गये समय की स्थिति की तुलना में बहुत अच्छी है।

श्री रंगा : वे अब नियंत्रण क्यों नहीं हटा देते है।

Shri Bagri : The hon. Minister has told that the States are responsible for the distribution of sugar. But the State Governments get sugar according to the needs of the people. So, I would like to know whether the Centre has no responsibility in this regard even if the distribution system is wrong. May I also know whether the Central Government think it right that the distribution system of giving 100 to 200 grams of sugar in case of rural people and one kilo to ten kilos in case of urban people is correct. If they dont think it correct then wha steps have been taken by Government to remove the same ?

श्री शिन्दे : यदि हम इस बात पर ध्यान से विचार करें तो हमें पता चलेगा कि देहाती क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में खपत अधिक होती है। केवल यही नहीं। खपत विभिन्न राज्यों में विभि है। वास्तव में अन्तर होना अनिवार्य है। इस का कारण यह है कि लोगों की खरीदने के क्षमता होती है। देहाती क्षेत्रों में चीनी के अतिरिक्त बहुत से और मीठे पदार्थ जैसे गुड़ और खांडसारी होती है। परन्तु अधिक चीनी होने के कारण यदि राज्य सरकारें देहाती और शहरी क्षेत्रों के बीच अन्तर को कम करने की कोशिश करें तो हम इसका स्वागत करेंगे। तथापि यह अन्तर पूरी तरह से दूर न किया जा सकता।

Shri Bagri : My question has not been answered. I wanted to know whether Central Government think it appropriate ?

Mr. Speaker : Now when there will be more production the States can give them the full quota if they so like.

Shri Bagri : But does Central Government appreciate the distribution policy of the State Governments of 100/200 grams in case of rural people and 1/10 kilos in case of urban people ?

Mr. Speaker : I have said what I wanted to say.

Shri Bagri : The senior Minister is perhaps replying.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : मैंने हाल ही में कुछ राज्यों का दौरा किया था। मैंने चीनी की उपलब्धता के बारे में पुछताछ भी की थी। तब सभी मुख्य मंत्रियों ने मुझे आश्वासन दिया था कि इस बढ़ाये हुए कोटे से वे मांग को पूरा कर सकेंगे। तथ्य तो यह है कि कुछ राज्यों में वे पूरा कोटा नहीं दे सकते है क्योंकि मांग उतनी नहीं है। इस लिये देहाती क्षेत्रों में जितनी भी मांग है वह पूरी की जा रही है।

Dr. Ram Manohar Lohia : May I know whether there has been any effect of it on the production and consumption of sugar. May I also know the cost of production of sugar per kilo including carriage charges, octroi charges etc. ? If the difference is much the steps Government propose to take to reduce the same ?

श्री शिन्दे : हम चीनी के उत्पादन के कम करने की बात नहीं सोच रहे हैं। जहां तक चीनी की उत्पादन लागत तथा उसके कारखाना मूल्य का सम्बन्ध है वे चीनी जांच आयोग द्वारा तैयार की गई अनुसूची के आधार पर तैयार किये जाते हैं। जहां तक कारखाना मूल्य का सम्बन्ध है वे चीनी के मूल्य तथा विभिन्न वेतन उत्पादन लागत, स्थानीय कर तथा ऐसी सब चीजों को मिला कर होते हैं। वितरणाकर्त्ताओं को कुछ गुंजाइश दी जाती है, अधिक नहीं, और वह भी चीनी के मूल्य पर विचार करके। इस लिये मैं नहीं समझता हूं कि ....

श्री रंगा : वह एक बात पूछ रहे हैं कि प्रतिशतता कितने है परन्तु आप कहानी सुनाने जा रहे है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे पूछूंगा।

श्री रंगा : वह बहुत समय ले रहे हैं और हमारा समय भी नष्ट कर रहे हैं।

श्री शिन्दे : चीनी के मूल्य का मुख्य भाग ....

अध्यक्ष महोदय : क्या वह चीनी की वास्तविक लागत तथा कारखाना मूल्य बता सकते हैं।

श्री शिन्दे : मैं नहीं बता सकता हूं।

श्री रंगा : तब सारी कहानी बताने की क्या आवश्यकता है।

Dr. Ram Manohar Lohia : I could not hear the answer.

Mr. Speaker : He has said that he cannot give the exact figures at this time.

Dr. Ram Manohar Lohia : Can I help the hon. Minister ?

Mr. Speaker : No, Sir.

Shri Vishram Prasad : May I know how much cess is charged by the Government and whether it is also a fact that the price of sugar is more because of this cess ?

श्री शिन्दे : शुल्क दो प्रकार के होते हैं। एक केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क होता है जो लगभग 37 रुपये क्विंटल के हिसाब से लिया जाता है। इस के अतिरिक्त अन्य स्थानीय कर होते हैं। इन करों को खरीद-कर कहा जाता है। ये राज्य सरकारों द्वारा लिये जाते हैं तथा भिन्न राज्यों में भिन्न होते है। परन्तु आम तौर पर पांच रुपये से आठ रुपये प्रति टन गन्ने के हिसाब से लिये जाते हैं।

Shri Yashpal Singh : Have Government given thought to this fact that in case restrictions are removed from Khandsari the villages can become self-sufficient ? On the one hand Government does not let sugar reach there and on the

other hand they are not permitted to manufacture khandsari. So, may I know which of the two things Government is prepared to do as hundreds of crushers are lying idle because Government does not allow them to manufacture khandsari ?

श्री शिंदे : खण्डसारी अधिकतर उत्तर प्रदेश में ही बनाई जाती है और इस की खपत भी वही होती है । उत्तर प्रदेश सरकार ने मांग की थी जिसमें कहा गया था कि उन्हें खंडसारी बनाने वालों से अभ्यावेदन मिले हैं कि अन्य राज्यों को भेजने के लिये उन्हें अतिरिक्त कोटे की अनुमति दी जाये । उस की अनुमति दे दी गई है । इस से उत्तर प्रदेश की आवश्यकता पूरी हो जानी चाहिये ।

प्रश्न संख्या 1191 के बारे में
Re. Question No. 1191

Mr. Speaker : Shri Madhu Limaye.

Dr. Ram Manohar Lohia : Question No. 1191.

Mr. Speaker : Order, Order.

Dr. Ram Manoher Lohia : Your officer has informed me.

Mr. Speaker : It is not possible in spite of the information of the office.

श्री ही० ना० मुकर्जी : माननीय मंत्री ने कुछ समय पहले ब्रह्मपुत्रा के बारे में उत्तर देते समय कहा था। यह बात श्री मधु लिमये के प्रश्न संख्या 1191 में आ जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं पूछूंगा यदि वह उत्तर देना चाहते हैं ।

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

*1193. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान्यतया संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों और विशेष रूप से बिहार राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन सम्बन्धी, परिसीमन आयोग की प्रारूप प्रस्तापनाओं को किसी भी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 29 नवम्बर, 1965 को भारत के राजपत्र अथवा राज्य-राजपत्र में प्रकाशित इन प्रस्थापनाओं की प्रतियां 20 दिसम्बर, 1965 से पहले अपने गन्तव्य स्थानों तक वास्तव में नहीं पहुंच पाई थीं जिससे आयोग द्वारा विचार किये जाने के लिये आयोग को आपत्तियां तथा सुझाव प्रस्तुत किये जाने के लिये बहुत कम समय रहा ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख) : जी, हां । परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 9(2) के अधीन यह अपेक्षित है कि परिसीमन प्रस्थापनाओं को भारत के राजपत्र में और सम्पृक्त राज्यों के शासकीय राजपत्रों में तथा ऐसी अन्य रीति में भी, जैसी कि वह ठीक समझे, प्रकाशित किया जाय । किन्तु इस मामले में, प्रकाशन का काम बड़ा होने के कारण उन्हें स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करना शक्य नहीं था ।

(ग) और (घ) : यह सच नहीं है कि राज्य-राजपत्र की प्रतियां 20 दिसम्बर, 1965 से पहिले अपने गन्तव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकी थीं । राज्य-राजपत्र की जिन प्रतियों में परिसीमन आयोग की बिहार राज्य से सम्बन्धित प्रस्थापनायें थीं, वे प्रतियां मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा 4 दिसम्बर, 1965 को वितरित की गई थीं । राज्य-राजपत्र का प्रसामान्य वितरण बिहार सरकार मुद्रालय द्वारा 8 दिसम्बर, 1965 को किया गया था ।

किन्तु, बिहार राज्य की परिसीमन प्रस्थापना ों को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने में जो थोड़ी देर लगी वह भारत सरकार मुद्राणालय, नई दिल्ली में मुद्रण कार्यों के अधिक्य और प्रस्थापनाओं की अधिसूचना में लेखन-अशुद्धियों के शोधन के कारण लगी। भारत के राजपत्र असाधारण की वे प्रतियां जिन में आयोग की बिहार सम्बन्धी परिसीमन प्रस्थापनायें थीं और जो जनता के विक्रय के लिये आशयित थीं, भारत सरकार मुद्राणालय से 15 दिसम्बर, 1965 को भेज दी गई थीं और वे विक्रय के लिये 20 दिसम्बर, 1965 तक उपलब्ध नहीं हो सकी होंगी। इस प्रकार हुई असुविधा को परिसीमन आयोग ने उन आक्षेपों ौर सुझावों पर विचार करके कम कर दिया है, जो 30 दिसम्बर, 1965 के पश्चात भी प्राप्त हुए थे, जो तारीख ऐसे आक्षेपों और सुझावों की प्राप्ति के लिये नियत थी।

श्री श्रीनारायण दास : जब परिसीमन विधेयक पर इस सभा में चर्चा हो रही थी तो सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया था कि निर्वाचन क्षेत्रों सम्बन्धी परिसीमन आयोग की प्रस्थापनाओं को स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिये। उस समय मंत्री महोदय ऐसा करने के लिये मान गये थे और उन्हों ने कहा था कि आयोग की प्रस्थापनायें आयोग द्वारा भारत के राजपत्र में और राज्यों के राजपत्रों में तथा ऐसी अन्य रीति में भी, जैसी कि वह ठीक समझे, प्रकाशित की जायेंगी। यदि मुझे पात नहीं है कि परिसीमन आयोग ने केन्द्रीय तथा राज्य-राजपत्रों के अतिरिक्त उनका कैसे प्रचार करना ठीक समझा है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : इसका तात्पर्य है स्थानीय राजपत्र। 'ऐसे अन्य तरीके से' का मतलब समाचारपत्रों से नहीं है।

श्री श्रीनारायण दास : क्या माननीय मंत्री वाद-विवादों को पढ़ेंगे ? ये प्रस्थापनायें 1962 में स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ करती थी परन्तु अब आयोग ने उन्हें जनसाधारण की जानकारी के लिये सामाचारपत्रों में प्रकाशित करना उचित नहीं समझा। राजपत्रों को तो प्रत्येक नागरिक खरीदता नहीं है।

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक): कारण बताया जा चुका है। प्रकाशन का काम बड़ा होने के कारण उन्हें मुद्रणालय में प्रकाशित करना शक्य नहीं था। परन्तु आकाशवाणी तथा समाचार सूचना विभाग ने काफी प्रचार किया था जिसका परिणाम यह हुआ कि लोगों को पता लग गया था कि परिसीमन आयोग की बैठक होगी और वह आपत्तियों को सुनेगा। इस मामले में परिसीमन आयोग ने नियत तारीख के बाद भेजी गयी आपत्तियों पर विचार कर उन्हें निपटा दिया था। अत: यदि उसमें कोई अनियमितता थी वह ठीक ठीक कर दी गई थी क्योंकि आपत्तियां सूनी गई चाहे देर से—और प्रत्येक के साथ न्याय किया गया।

श्री हरि विष्णु कामत : "ब्यूरियो" शब्द हमारी समझ में नहीं आया था। क्या यह नया शब्द है।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : यह शब्द ब्यूरों था। उन्हों ने गलत सूना है।

श्री कपूर सिंह : राजपत्र में उनको प्रकाशित करने के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने कहा था कि अपत्तियों पर विचार किया गया और उन्हें निपटाया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह यह कहना चाहते हैं कि आपत्तियों को रद्दी की टोकरी में फैंक कर निपटाया गया था।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री श्रीनारायण दास : जहां तक उनको भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने का सम्बन्ध है मैं यह बताना चाहता हूं कि राजपत्र में प्रकाशित प्रस्तापनाओं को मैं संसदीय प्रस्तकालय से लेना चाहता था परन्तु जहा तक मुझे स्मरण हैं 20 दिसम्बर, तक वे पुस्तकालय में नहीं आई थीं। अत: यह कैसे हो सकता है कि वे समय पर प्रकाशित हो गई थीं और आम जनता को समय पर मिल गई थीं। यह कोई तर्क नहीं है कि परिसीमन आयोग ने आपत्तियां सूनी थीं। लोगों को यह पता नहीं था कि परिसीमन आयोग निर्धारित तारीख के बाद भी प्रस्थापनाओं को स्वीकार करेगा।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । वह तर्क देने लग गये हैं । श्री दी० चं० शर्मा ।

श्री श्रीनारायण दास : श्रीमन, मेरे प्रश्न का उत्तर नही दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह तर्क कर रहे थे, वह कोई प्रश्न थोड़े पूछ रहे थे ।

श्री श्रीनारायण दास : कम-से-कम प्रश्न का उत्तर तो दिया जाना चाहिये । कई सदस्य तर्क करते हैं परन्तु मैंने तो केवल कुछ प्रश्न पूछे थे ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं उन्हे पुन: प्रश्न की अनुमति दे दूगां ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सही नहीं है कि निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन के मामले के बारे में परिसीमन आयोग मनमानी करता है और उसने वर्तमान निर्वाचन क्षेत्रों की जीवन-योग्यता की ओर कोई ध्यान नही दिया है और क्या यह भी नहीं सही है कि परिसीमन आयोग ने विधान सभा अथवा संसद के लिये अभ्यर्थियों द्वारा की गई आपत्तियों की ओर भी बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया है ?

श्री कपूर सिंह : वह आक्षेप कर रहे हैं जो ग्राह्य नही हैं ।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : इस प्रश्न में दिये गये सुझावों का मैं खण्डन करता हूं । **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री दी० चं० शर्मा : ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री दी० चं० शर्मा : श्रीमन्, वह इसका खण्डन कैसे करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते है कि ऐसी कोई बात नही है ।

श्री दी० चं० शर्मा : वह निर्वाचन क्षेत्रों में कभी नहीं गये हैं । वह निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह सब कहना ठीक नही है । **(अन्तर्बाधाएं)**

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । सभी सदस्य खड़े हो गये हैं । श्री रघुनाथ सिंह ।

Shri Raghunath Singh : May I know whether any extra allowance will be paid to the employees of Election Commission who are doing extra work relating to delimitation ?

Shri G. S. Pathak : I will have to find out if any allowance is being paid to them. If no extra allowance is being paid to them, the reason for this is that since no elections are taking place at this time the employees of the Election Commission might have less work and as such no extra allowance is paid to them.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Though the constituencies of Punjab have already been delimited *de novo*, but in accordance with the announcement made by the Home Minister yesterday, that Punjabi Suba, Haryana Prant and Himachal Pradesh are to be reconstituted as separate units, may I know whether the constituencies there will be delimited afresh ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : जहां तक मैं समझ पाया हूं यह प्रश्न मुल प्रश्न से नही उठता हैं । अन्यथा इसे दोहराया जाये ।

Shri Vishram Prasad : The meetings of Delimitation Commission and Advisory Committee in regard to U.P. were over since long but their decisions

have not yet been published. May I know whether the reason for this is that some Members want to bring about somes change in the seats in their own interest ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : इस के लिये मुझे सूचना चाहिये ।

श्री त्यागी : उत्तर प्रदेश के सदस्यों के विरुद्ध जो यह टीका टिप्पणी की गई है कि वे परिसीमन आयोग को प्रभावित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं ।

Shri Rameshwaranand : Constituencies are changed every year by the Delimitation Commission. May I know whether there is something wrong with their brains or there was something wrong with their predecessors ?

Shri G. S. Pathak : It becomes necessary because of change in the conditions of the country and increase in the population.

Shri Rameshwaranand : I have perhaps not been able to put the question clearly. He may again listen to it, I may explain it, during the last elections Jagadhri tehsil of Ambala had been clubbed with Karnal but the time Jagadhri has been taken out and Kaithal has been clubbed with Karnal. May I know as to how its population has_changed.

विधि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : जैसाकि पहले स्पष्ट किया गया है, जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण यह सम्भव हो सकता है ....

अध्यक्ष महोदय : ऐसा तो केवल तभी हो सकता है जब कोई भाग निकाल लिया जाये । यहां एक क्षेत्र को निकाल कर दूसरे क्षेत्र को शामिल करने की बात है । अतः यह केवल जनसंख्या में वृद्धि के कारण नहीं हो सकता है ।

श्री चे०रा० पट्टाभिरामन : यदि पिछले चुनाव के स एक संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र से 5 अथवा 6 विधान सभा के सदस्यों के स्थान पर 6 अथव सदस्य चुनने होते हैं तो इस प्रयोजन के लिये वे सामान्यतः पड़ौसी ज़िला को अथवा इसके एक भा. को निर्वाचन क्षेत्र बना देते हैं । जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण यह आवश्यक हो जाता है ।

Shri R. S. Pandey : May I know the names of areas where the Delimitation Commission has completed its work and also the names of those areas where the work is yet to be done ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : 12 राज्यों में यह काम पूरा हो गया है और 5 अथवा 6 प्रदेशों में यह कार्य होना बाकी है । आन्ध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, गोआ, दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश तथा पांडिचरी में परिसीमन कार्य पूरा हो गया है ।

Shri Maurya : May I know the number of such constituencies where the Ministers and the Members of ruling patry were unsuccessful and which have now been declared reserved constituencies as a result thereof ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : जहां तक सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का सम्बन्ध है इन को सुरक्षित वहां पर अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या के आधार पर किया जाता है । कभी कभी किसी क्षेत्र में इन लोगों की अधिक संख्या के होने के कारण ऐसा होता है कि साथ वाले निर्वाचन-क्षेत्र को सुरक्षित निर्वाचन क्षत्र बना दिया जाता है । अन्य राज्यों में कार्य पूरा न होने के मैं कारण बता सकता हूं परन्तु इस कार्य को पूरा करने में कुछ समय लगेगा ।

पश्चिम बंगाल में खाद्य स्थिति

*1196. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से यह शिकायत मिली है कि पड़ौसी राज्यों में समाहार मूल्यों में समानता लाने में केन्द्र द्वारा अनिच्छा दिखाने के कारण राज्य सरकार अपनी खाद्य नीति क्रियान्वित करने में असफल रही है,

(ख) क्या यह सच है कि बिहार में खुले बाजार में धान का मूल्य अधिक होने से सीमा पार प्रच्छन्न व्यापार लाभप्रद बन गया है, और

(ग) क्या केन्द्र ने बाह्य कारणों को समाप्त करने के लिये हस्तक्षेप किया है और तस्कर व्यापार विरोधी स्क्वॉडों को अग्नेयास्त्रों से लैस करने के लिये राज्य सरकार की सहायता दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोबिन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) बिहार में धान के खुले बाजार में मूल्य पश्चिमी बंगाल में अधिकतम नियंत्रित मूल्यों से ऊंचे हैं और चोरी छिपे ले जाने की कोशिश करने के कुछ मामलों का पता लगाया गया था ।

(ग) किसी भी राज्य सरकार से ऐसी सहायता के लिये कोई प्रार्थना नहीं मिली है । 6 पड़ताल चौकियों-तीन पश्चिमी बंगाल के पुरूलिया जिले में और तीन दिनाजपुर जिले में-को अग्नेयास्त्रों से लैस किया गया है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि चूंकि पश्चिमी बंगाल में समाहार मूल्य बिहार में निश्चित मूल्य से कुछ कम और उड़ीसा में निश्चित मूल्य से कुछ अधिक है। इस लिये उड़ीसा से पश्चिमी बंगाल तथा बिहार से पश्चिमी बंगाल में अनाज चोरी छिपे ले जाने को निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलता है और यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने अब क्या कार्यवाही की है कि वसूली सम्बन्धी नीति का एकसा ढ़ंग अपनाया जाये ।

श्री गोविन्द मेनन : एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चोरी छिपे अनाज ले जाने को रोकने का कार्य राज्य सरकार का है । यह कोई नीति का मामला नहीं है जिस के लिये खाद्य मंत्रालय ज़िम्मेदार है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या वह यह जानते हैं कि 8 जनवरी को 2000 व्यक्तियों की एक भीड़ ने मिदानापुर में एक गांव में एक पुलिस दल को घेर लिया और दो दण्डाधीशों को घायल करने के पश्चात पुलिस द्वाला रोके गये चावल के भरे हुए ट्रक ले गये और यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित करना सरकार की नीति नहीं है कि सभी क्षेत्रों में समान मूल्य निश्चित किया जाये क्योंकि मूल्यों में अंतर होने से गड़बड़ होती है ?

श्री गोविन्द मेनन : धान तथा अन्य अनाज की मूल्य सम्बद्ध क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर निश्चित किया जाता है । केन्द्रीय सरकार देश भर में एकसा वसूली मूल्य निश्चित नहीं कर सकती है क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या पश्चिमी बंगाल में खाद्य स्थिति में कुछ सुधार हुआ है अथवा क्या वहां पर स्थिति पहले ही की तरह है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : वहां पर सामान्य खाद्य स्थिति अब संतोषजनक है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हाल ही के महीनों में भारतीय खाद्य निगम कितने औसत मूल्य पर गेहुं तथा चावल का क्रय करता रहा है और इसकी तुलना में पश्चिमी बंगाल में वसूली मूल्य क्या है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : खाद्य निगम केवल आन्ध्र प्रदेश में चावल खरीदता रहा है और चूंकि आन्ध्र प्रदेश एक फालतू अनाज वाला क्षेत्र है इसलिये आन्ध्र प्रदेश में जो मूल्य है वह पश्चिमी बंगाल में निश्चित किये गये मूल्य की तुलना में लगभग दो रूपये प्रति क्विटंल कम है ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सही है कि चूंकी पश्चिमी बंगाल सरकार की समाहार नीति असफल रही इस लिये पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने पश्चिमी बंगाल के लिये केन्द्र से कुछ अधिक चावल देने के लिये कहा है और यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : यह सही नहीं है । ऐसा कोई अनुरोध नही किया गया है ।

डा० रानेन सेन : श्रीमन्, यह बात पश्चिमी बंगाल में सुबिदित है और यह दिल्ली के समाचार-पत्रों में भी छप चुकी है । मेरी समझ में नही आता है कि यहां पर आकड़े किस प्रकार रखे जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री महोदय कहते हैं कि यह सही नहीं है तो बताईये इस में में क्या कर सकता हूं ।

Shri Sheo Narain : Are the Government awaie that rice is smuggled into China from West Bengal, a rice producing State?

श्री नाथ पाई : पश्चिमी बंगाल सरकार ने कलकत्ता में दैनिक समचार पत्रों में इस प्रकार का एक विज्ञापन दिया है कि (क) अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिमी बंगाल को बहुत अधिक अनाज मिलता है और (ख) यहां चावल का जो राशन दिया जाता है वह भी अधिक है । यह बातें कहां तक सही हैं ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : हम पश्चिमी बंगाल को प्रति मास 140,000 से 150,000 टन गेहूं देते हैं जो कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से अन्य किसी भी राज्य को दी जा रही मात्रा से अधिक है । चावल के बारे में यदि हम पश्चिमी बंगाल में उत्पादन होने वाले चावल की मात्रा को ध्यान में रखते हुए प्रतिव्यक्ति चावल की उपलब्धता का हिसाब इस आधार पर लगाया जाय तो इस वर्ष अन्य किसी भी राज्य में उपलब्ध मात्रा से यह कही अधिक है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह बिल्कुल झूठ है । वह इस निकर्ष पर कैसे पहुंचे हैं ?

श्री कपूर सिंह : शब्द lie (झूठ) असंसदीय है ।

अध्यक्ष महोदय : वह आधे घंटे को चर्चा के लिये कह सकती हैं ।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय द्वारा बताई गई इस बात के आलावा कि पश्चिमी बंगाल में खाद्य स्थिति अब संतोषजनक है, क्या मैं यह जान सकता हूं कि आन्दोलन के पश्चात पश्चिमी बंगाल में स्थिति को सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : जो कुछ वहां पर किया गया है वह किसी आन्दोलन के कारण नहीं किया गया है । पश्चिमी बंगाल की सामन्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम ने वह सब कुछ किया है जो वर्तमान परिस्थितियों में किया जा सकता था । हमने वहां पर खाद्य स्थिति को स्थिर बनाने के लिये पश्चिमी बंगाल सरकाराल की सहायता करने का प्रयत्न किया है । यही कारण है कि हम उन्हे लगभग 140,000 से 150,000 टन गेहूं दे रहे हैं ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : पश्चिमी बंगाल में हाल में हुए दंगों में कितनी अनाज की दुकाने तथा कितने अनाज के गोदाम लूटे गये ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : वास्तव में विभिन्न बन्दों, आन्दोलनों, संचार सेवा के भंग किये जाने तथा गोदामों आदि के जलाये जाने से देश में खाद्य स्थिति के बारे में अधिक कठिनाई उत्पन्न हो जाती है । अतः उन लोगों को जो कहते हैं कि कठिनाईयाँ हैं, यह महसूस करना चाहिये कि इन कठिनाइयों के लिये काफी सीमा तक ये बन्द तथा आन्दोलन ही जिम्मेदार हैं .... **(अन्तर्बाधाएं)** ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उन्होंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था .... (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह एक नियमित प्रक्रिया नहीं बन जानी चाहिये कि जब भी उत्तर दिया जाये तब कई सदस्य एक साथ बोलना आरम्भ कर दें । यह नहीं अच्छा लगता है और नही उचित ही है । अब क्या मंत्री महोदय यह जानकारी दे सकते हैं ।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मैं हाल के आन्दोलन के दौरान जलाये गये गोदामों तथा अन्य क्षति के बारे में तुरन्त कोई जानकारी नहीं दे सकता हूं ।

Shri Bagri : Mr. Speaker, will the Minister be pleased to state that only West Bengal and Kerala are not famine-sticken; but the situation in Rajasthan, Punjab and Orissa is even more dangerous and whether Government is doing some thing in regard to these areas also ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : सूखे तथा उत्पादन में कमी के कारण देश में जो स्थिति उत्पन्न हो गई है वह सामान्यतः कठिन है । हम इन कठिनाईयों को कम करने का यथा सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गंगा नदी क्षेत्र (बेसिन) में जल परिवहन

***1191. श्री मधु लिमये :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड गंगा नदी क्षेत्र (बेसिन) को परिवहन के लिये अधिक उपयोगी बनाने हेतु योजनायें बना रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन मंडल, बक्सर और राजमहल के बीच में गंगा की धार को नौगम्ययोग्य बनाये रखता है । वह फिलहाल नौगम्य आवश्यकताओं की देख रेख करता है और जल भाग को और खराब होने से रोकता है । मंडल द्वारा गंगा बेसिन का परिवहन के लिये उपयोगी बनाने की ओर कोई स्कीम नहीं बनाई गई है ।

कृषि सम्बन्धी आंकड़े

***1192. श्री लिंग रेड्डी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कृषिजन्य उत्पादन के अनुमान में कोई त्रुटियां पाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ; और

(ग) उन त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) तथा (ख) : भारत के कृषिजन्य उत्पादन के अनुमान विश्वासनीय माने जाते हैं । फिर भी कुछ तिलहनों, दालों, मोटे अनाजों, फलों तथा सब्जियों के उपज अनुमान में वैज्ञानिक तकनीकी के विस्तार के सम्बन्ध में बेहतरी की आवश्यकता है ।

(ग) कृषि उत्पादन के अनुमानों की सामयिकता तथा फसलों में क्रोप-कटिंग सर्वेक्षणों के विस्तार को सुधारने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। बहतर निरीक्षण द्वारा खेत कार्य को सुधारने के लिए भी उपाय किये जा रहे ह ।

Seed Farms in Private Sector

***1194. Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state;

(a) whether it is a fact that during his visit to the Rupar Seed Farm run and managed by Birlas, in the first week of January, 1966, he had observed that small farmholders could not produce good quality seeds;

(b) if so, whether it meant that Government had taken a decision that the task of production of good quality seeds would be entrusted to big farmholders only; and

(c) if so, whether Government have given similar facilities to the small farmholders to see if they could produce better seeds as compared to those produced by big farmholders ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Sham Dhar Misra) : (a) to (c). A statement is placed on the Table of the Sabha.

Statement

In his speech at Rupar, the Minister for Food, Agri., C.D. and Co-operation observed that seed farms did not mean ordinary farming and it was a specialised industry requiring heavy investment, modern equipment and latest technical know-how which are not within the means of an average farmer. In producing foundation seed the purity has to be maintained at a high level. Production of foundation seed was generally attempted in small Government farms with areas of about 25 to 50 acres and experience has shown that these seed farms require high level technical assistance and supervision and it has not been possible to provide this for each farm taking into account its size. In view of this, State Governments are going in for bigger farms which are generally in the public or co-operative sector and have adequate technical staff for this purpose. This applies only to the production of foundation seed. Multiplication from foundation seed for commercial distribution is another matter and for this Government would utilise selected farmers. Even there Government is thinking in terms of seed villages rather than isolated farms spread throughout. Since by taking up a concentrated area it will be easy to give technical assistance required and there could be greater control of quality and maintenance of standards of the seed, the size of each individual farm is not relevant in this multiplication of seed and small farmers would be fully utilised for this purpose.

In view of this there is no question of Government having decided to entrust production of good quality seeds to big farm holders only and as explained small farm holders are being extensively utilised and will continue to be utilised for seed muliplication purposes.

कपास की उपज में कमी

***1195. श्री बादशाह गुप्त :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार- मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कपास की उपज कम हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) 1965-66 में कपास उत्पादन के पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है। फिर भी वर्तमान संकेतों से मालूम होता है कि 1965–66 के दौरान कपास उत्पादन में 1964–65 की अपेक्षा 5–8 प्रतिशत कमी की सम्भावना है।

(ख) कपास के उत्पादन में पूर्वानुमानित गिरावट का मुख्य कारण देश के कई भागों में मानसून का प्रतिकूल होना तथा वर्षा का अभाव है।

अभावग्रस्त क्षेत्रों में अमरीकी खाद्य मिशन का दौरा

*1197. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री म० रं० कृष्ण :
श्री राम हरख यादव :
श्री धर्मलिंगम :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्षा न होने के कारण अभाव स्थिति से उत्पन्न खाद्य समस्या का अध्ययन करने के लिए जनवरी, 1966 में एक अमरीकी अध्ययन मिशन भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मिशन ने अपना काम पूरा कर लिया है और सरकार को अपनी उपपत्तियों तथा निष्कर्षों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) एक अमरीकी खाद्यान्न सर्वेक्षण दल ने जनवरी, 1966 में मुख्य रूप से भारतीय बन्दरगाहों पर अधिक से अधिक अनाज हैण्डलिंग की क्षमता, साथ ही अतिरिक्त अनाज हैण्डलिंग की मशीनों और उपस्करणों की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिये विभिन्न बन्दरगाहों का दौरा किया था। दल ने देश के विभिन्न भागों में कुछ सूखा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था।

(ख) दल की रिपोर्ट को प्रतियां हाल ही में सरकार को मिली हैं।

(ग) एक विवरण जिसमें रिपोर्ट की मुख्य मुख्य बातें दी गयी हैं सभा के पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6072/66।**]

जयन्ती शिपिंग कम्पनी

*1198. **श्री हरि विष्णु कामत :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड के काम काज की जांच करने के लिये एक जांच समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन कौन है ;

(ग) इसके निर्देशपद क्या है ; और

(घ) क्या प्रतिवेदन पेश किये जाने के लिये कोई अन्तिम तिथि निश्चित की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री एन० संजीव रेड्डी) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) समिति में श्री वाई० एन० सुक्तांकर, भारतीय जहाजी कंपनियों के निर्देशकों को बोर्ड के सरकारी निदेशक, और श्री एस० एल० भल्ला, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नामित है ।

(ग) विचारार्थ विषय निम्न लिखित हैं :

(1) संसद में और सरकार तथा जहाजी विकास निधि समिति द्वारा प्राप्त प त्रों में और जयंती शिपिंग कंपनी और उसके प्रबन्धकों पर हिसाब किताब और कंपनी के कार्यों के बारे में लगाये गये आरोपों की जांच करना ।

(2) कंपनी के स्थापित होने के समय से उसके प्रबन्ध और संचालन सम्बन्धी तथ्यों की छानबीन करना ।

(3) कंपनी की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने की दृष्टि से और यह तय करने के लिये कि क्या अर्जित विदेशी मुद्रा का पूरा हिसाब रखा गया है, खातों और अन्य दस्तावेजों की जांच और निरीक्षण करना ।

(4) कोई अन्य विशिष्ट मामला जो सरकार या जहाजी विकास निधि समिति द्वारा सौंपा जाये ।

(घ) समिति को दो मास के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिये कहा गया है ।

वनस्पति घी के दाम

***1199. श्री यशपाल सिंह :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले बीस महीनों में वनस्पति घी के दाम लगभग सत्तर प्रतिशत बढ़ गय ह ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है ; और

(ग) दामों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिंदे) : (क) इस अवधि में वनस्पति के भावों में लगभग 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है ।

(ख) वनस्पति के भाव अधिकतर मूंगफली के तेल के प्रचलित भावों पर निर्भर करते हैं । मूंगफली के तेल के भावों में इसी अवधि में लगभग 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । वनस्पति के भावों में थोड़ी सी वृद्धि मुख्यतः सस्ते आयातित तेलों की कुछ मात्रा के प्रयोग करने से हुई है ।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) मूंगफली और मूंगफली के तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये उपाय तेज़ किये जा रहे हैं ।

(2) खाने के योग्य तेलों और वनस्पति के निर्यात तथा ऋण पर जो पहले प्रतिबन्ध लगाये गये थे, उन्हें जारी रखा जा रहा है ।

(3) वनस्पति के बनाने में सोयाबीन जैसे सस्ते आयातित तेलों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है । 1965 में संयुक्त राज्य अमेरिका से पी० एल० 480 के अधीन लगभग 70,000 मीटरी टन सोयाबीन का तेल आयात किया गया और 1966 में 150,000 मीटरी टन और आयात करने का प्रस्ताव है ।

3—58 L. S./66

जयन्ती शिपिंग कम्पनी

***1200. श्री मौर्य :**

श्री किशन पटनायक :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जयन्ती शिपिंग कंपनी द्वारा कर्मचारियों के भविष्य निधि के धन का दुरुपयोग करने के बारे में शिकायतें अथवा समाचार मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि भविष्य निधि का हिसाब उचित ढंग से रखा जाये और धन का उचित उपयोग किया जाये अथवा धन का भविष्य निधि नियमों तथा विनियमों के अनुसार निर्धारित तरीके से उस कम्पनी के कर्मचारियों के हित तथा लाभ के कार्यों में विनियोजन किया जाये, उपर्युक्त अधिकारियों को उक्त कम्पनी के भविष्य निधि खाते की जांच करने के लिये कहा है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : कंपनी से वास्तविक स्थिति का पता लगाया गया था । उसने बताया कि प्राविडेन्ट फंड में से लगभग 12 लाख रुपये कंपनी के पास रखे गये थे जिस पर 12 प्रतिशत वार्षिक सूद दिया जाता है । कंपनी द्वारा दी गई सूचना उचित कार्यवाही के लिये श्रम और रोजगार मंत्रालय को दे दी गई है ।

उड़ीसा में गन्ना उगाने वालों को भूगतान

***1201. श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

श्री मोहन नायक :

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में 1964–65 के "सीज़न" (चीनी उत्पादन काल) में चीनी मिलों को दिये गये गन्ने के मूल्य की काफी राशि का सम्बन्धित मिलों द्वारा भूगतान नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री शिंदे) : (क) जी नहीं;

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते ।

बिहार के मुख्य मंत्री के वक्तव्य के बारे में समाचार

***1202. श्री रामसेवक यादव :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**

श्री बागड़ी : **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री मधु लिमये : **श्री हिंमतसिंहका :**

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में 24 फरवरी, 1966 को प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि बिहार के मुख्य मंत्री ने 23 फरवरी, 1966 को

बिहार विधान सभा में कहा था कि उन के विरुद्ध न तो राष्ट्रपति और न ही प्रधान मंत्री जांच का आदेश दे सकते हैं ;

(ख) क्या मुख्य मंत्री के लिये ऐसा वक्तव्य देना उचित है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) सरकार ने प्रेस रिपोर्टें देखी है और मुख्य मंत्री के भाषण का पूर्ण पाठ भी सरकार को प्राप्त हो गया है ।

(ख) महाधिवक्ता की राय पर निर्भर करते हुए, अपने भाषण में मुख्य मंत्री ने संघ और राज्य सरकार के बीच प्रशासनिक सम्बन्धों के बारे में संवैधानिक स्थिति पर अपना अवबोध व्यक्त किया है । निवेदन यह है कि मुख्य मंत्री द्वारा किसी शुद्ध विधिक और संवैधानिक प्रश्न पर विधान सभा में दिये गये भाषण के औचित्य या अनौचित्य के बारे में कोई राय व्यक्त करना भारत सरकार के लिये समुचित नहीं होगा ।

(ग) और (घ) : मुख्य मंत्री ने महाधिवक्ता की राय भारत सरकार को भेजी और यह इच्छा प्रकट की कि महाधिवक्ता को संवैधानिक स्थिति पर विधि मंत्री के साथ विचार-विमर्श करने का अवसर दिया जाय । तदनुसार विधि मंत्री ने महाधिवक्ता के साथ विचार-विमर्श किया और इस विषय में भारत सरकार के विचार उन्हें बता दिये । इस सम्बन्ध में आगे कोई कार्यवाही करने की भारत सरकार की प्रस्थापना नहीं है ।

मिलों को गन्ने की सप्लाई

***1203. श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के त्रावनकोर क्षेत्र में चीनी मिलों की पर्याप्त मात्रा में गन्ने की सप्लाई नहीं हो रही ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को संभालने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिंदे) : (क) जी हां । ऐसा दिखायी देता है ।

(ख) केरल की राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

राज्यों में चावल का राशन

***1204. श्री मुहम्मद कोया :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश तथा केरल राज्यों में 1 अप्रैल, 1966 को राशन में अधिक से अधिक कितना चावल दिया जाता था, और

(ख) सभी राज्यों में समान मात्रा में चावल न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

(ख) विभिन्न राज्यों में लोगों की खाद्य सम्बन्धी आदतें भिन्न भिन्न हैं और राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में स्थानीय खाद्य सम्बन्धी आदतों और सरकार के पास उपलब्धि को ध्यान में रख कर चावल की मात्रा निर्धारित करती हैं ।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा तैयार घी की किस्म

*1205. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा तैयार घी की किस्म के बारे में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार "आग मार्क" के अन्तर्गत इसे भारतीय मानक संस्था द्वारा प्रमाणित करवाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिंदे) : (क) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी ।

(ख) और (ग) : उपकरणों से सुसज्जित दिल्ली दुग्ध योजना की अपनी गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला है और इस बात का सुनिश्चय किया जाता है कि जो घी तैयार किया जाए वह "एगमार्क" स्तर पर पूरा उतरे। दिल्ली दुग्ध योजना के उत्पादों (जिनमें घी भी शामिल है) को काफी ख्याति प्राप्त है और इन पदार्थों के एगमार्क की आवश्यकता नहीं है । परन्तु इस विषय पर पुनः विचार किया जायेगा ।

चौथा साधारण निर्वाचन

*1206. **श्री वी० चं० शर्मा** :

श्री रामानन्द शास्त्री :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वर्ष भारत के चौथे साधारण निर्वाचन कराने के लिये प्रबन्ध कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके मोटे-मोटे ब्योरे क्या हैं ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) और (ख) : आगामी वर्ष में होने वाले चौथे साधारण निर्वाचन कराने के लिये प्रबन्ध सारतः उसी ढंग पर होंगे जैसे कि 1962 में हुये तीसरे साधारण निर्वाचन के लिये किये गये थे । निर्वाचन आयोग ने यह आवश्यक नहीं पाया कि किसी ब्योरे के विषय में प्रबन्ध नये सिरे से किये जाएं । प्रायिक ढंग पर प्रारंभिक कार्यवाही सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में चल रही है ।

कलकत्ता और आसाम के बीच वैकल्पिक नौगम्य मार्ग

*1207. **श्री प्र० चं० बरुआ** :

श्री रा० बरुआ :

श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पाकिस्तान भारत को मूल मार्ग पर नौपरिवहन सेवा पुनः आरम्भ करने देने में लगातार हिचकिचा रहा है, कलकत्ता और आसाम के बीच एक वैकल्पिक नौगम्य मार्ग का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और निश्चित मार्ग कौन सा है ; और

(ग) नये मार्ग को खोलने की परियोजना पर कितना खर्च आने का अनुमान है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क), (ख) और (ग): 1964 में तिस्ता पर गजालदोवा के पास एक बहुधन्धी बांध बनाने की योजना बनायी गयी थी। इस बांध के दोनों ओर दो नहरें होगी जिनमें सिचाई और बिजली की सुविधाओं के अलावा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को क्रमशः फरक्का और दुब्री पर मिलाया जायेगा ताकि गंगा से ब्रह्मपुत्र तक सीधा नौवहन हो सके। इस परियोजना की अनुमानित लागत 357 करोड़ रुपये थी। चूंकि यह लागत बहुत ऊंची है इसलिये लागत को कम करने की दृष्टि से कुछेक और अध्ययन करने के लिये केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग को कहा गया है। जल और विद्युत आयोग की रिपोर्ट की भी प्रतीक्षा की जा रही है।

चावल का संकट

*1208. **श्री बसवन्त :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री पी० सी० बरुआ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन ने वर्ष 1965 के सम्बन्ध में चावल सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि भारत के वर्तमान चावल संकट का कारण खाद्य क्षेत्र है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नही।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Rice Ration in Delhi

*1209. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Mohammad Elias :

Will the Minister of **Food, Agriculture Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) Whether the quantity of rice supplied under Rationing in Delhi has been reduced; and

(b) if so, the reasons therefor?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri P. Govinda Menon) (a) No reduction has been made in the quantity of rice supplied to the rice-eaters in Delhi. The rice quantum of only the wheat-eaters has been reduced.

(b) Due to heavy shortage in the availability of rice this year, it was considered necessary to take all steps to conserve rice without causing undue hardship to genuine rice-eaters.

अनावृष्टि क्षेत्रों म सहायता कार्य

*1210. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री लिंग रेड्डी :**

श्री श्रीनारायण दास : **श्री रा० बरुआ :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनावृष्टिग्रस्त क्षेत्रों में विभिन्न सहायता कार्यों के लिये धन उपलब्ध कराने के हेतु राज्यों की योजनाओं में अपेक्षित आवश्यक समंजन के बारे में अध्ययन करने के लिये एक विशेष दल ने कुछ राज्यों का दौरा किया है, और

(ख) यदि हां, तो उनकी विशिष्ट सिफारिशें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) (क) योजना आयोग के कार्यक्रम सलाहकार की अध्यक्षता में तीन केन्द्रीय दलों ने 8 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, उड़ीसा और राजस्थान का दौरा किया । इन दलों ने स्थिति का अध्ययन किया और वर्क्स कार्यक्रमों तथा श्रम प्रधान योजनाओं को तेज करने के बारे में सिफारिशें की और इन वर्क्स कार्यक्रमों को वित्तीय दृष्टि से चलाने के लिए राज्य विकास योजनाओं में समायोजन करने के लिए सुझाव दिया ।

(ख) दलों ने राज्यों के सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सम्भाव्यता का सृजन करने और अन्य राहत उपायों के बारे में राज्य सरकारों से चर्चा की। राज्यों को यह सुझाव दिया गया कि वे यथा सम्भव अनुत्पादक योजनाओं के स्थान पर उत्पादक तथा श्रम-प्रधान प्लान योजनाओं को शुरू करने में तरजीह दें । प्लान योजनाओं के राज्य बजटों और केन्द्रीय बजट दोनों में निधि की व्यवस्था पहले ही की गयी है । यह भी सुझाव दिया गया कि राज्य सरकारें कमी वाले क्षेत्रों में प्लान योजनाओं को पहले भी शुरू कर सकती हैं ।

केरल में मछली पकड़ने का उद्योग

***1211. श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्प्रैस फिरीज आफ अमरीका के उप-प्रधान, केरल में मछली पकड़ने के उद्योग का अध्ययन करने के लिय हाल में वहां गये थे,

(ख) क्या कोचीन से अमरीका को और अधिक झींगा मछली भेजने के सम्बन्ध में उनके सुझाव की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, और

(ग) यदि हा, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : जी हां। अमेरिकन फर्म ने अमेरिका में हमारे जमे हुये पदार्थ बेचने की पेशकश की ।

(ग) बतायी गयी शर्तें अनकूल नही समझी गयी थी।

अमरीका से खाद्य सहायता

***1212. श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत योजना के लिए अमरीका ने 100 करोड़ डालर मूल्य का आपातकालीन खाद्य मंजूर किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और ;

(ग) अमरीका से भिन्न भिन्न रूपों में कितनी मात्रा में और क्या क्या खाद्य मिलने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां । तथापि, संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने दिसम्बर, 1965 से पी० एल० 480 के अधीन अमेरिका से गेहूं और माइलों खरीदने के लिये 2544.6 लाख डालर तक अतिरिक्त निधि सुलभ की है ।

(ख) और (ग) : सुलभ की गयी उपर्युक्त निधि से आशा है कि हम 33 लाख टन गेहूं और 12 लाख टन माइलों खरीदेंगें ।

पी० एल० 480 के अधीन 35 लाख टन खाद्यान्न, 200,000 टन मक्का, 67,000 टन वनस्पति तेल और लगभग 55,000 टन दुग्ध चूर्ण खरीदनें के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार और निधि सुलभ करने पर विचार कर रही है ।

सफेद और लाल दोनों किस्मों के गेहूं और पीली किस्म की माइलो संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदी जा रही है ।

नागपुर होते हुए दिल्ली-मद्रास और बम्बई-कलकत्ता विमान सेवा

***1213. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन नागपुर होते हुए दिल्ली-मद्रास तथा नागपुर होते हुए बम्बई-कलकत्ता विमान सेवाएं शीघ्र ही फिर चालू करेगी ;

(ख) यदि हा, तो कब ; और

(ग) यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : पहली मई, 1966 से नागपुर को बम्बई-कलकत्ता सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है ।

(ग) नागपुर से मद्रास, दिल्ली और कलकत्ता के लिए इतना यातायात नही है कि इन स्थानों के लिए अलग से एक एक सेवा का चलाया जाना युक्ति-संगत हो सके फिर भी, नागपुर को भोपाल और लखनऊ से होकर जाने वालो सेवाओं द्वारा दिल्लो से, और सीधे, बम्बई से जोड़ा गया है ।

कृषि का पुनरनुस्थापन (रिओरियेंटेशन)

***1214. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अल्प समय में खाद्यान्नों का उत्पादन तीन-चार गुना बढ़ाने के लिए पंजाब में कृषि का पुनरनुस्थापन के बारे में तीन सदस्यों के एक विशेषज्ञ दल द्वारा दक्षिण पूर्व के देशों के दौरे के बाद की गई सिफारिशों पर विचार किया है ;

(ख) क्या भारतीय विशेषज्ञों ने इन प्रस्तावों की विशेष रूप से वर्ष में तीन फसलों के कार्यक्रम को आरम्भ करने की दृष्टि से, जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस योजना को लोकप्रिय बनाने तथा इसे अन्य राज्यों में आरम्भ करने के लिए कार्यवाही की है ; और

(घ) विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार प्रगति करने के उद्देश्य से किसानों को पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां । हाल ही में दक्षिण पूर्वी देशों का दौरा करने वाले पंजाब के तीन व्यक्तियों के विशेषज्ञ दल की अंतरिम रिपोर्ट जनवरी, 1966 में भारत सरकार के पास पहुंची है । रिपोर्ट के ब्यौरे की प्रतीक्षा है ।

(ख) से (घ): पंजाब सरकार के परामर्श से अन्तरिम रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

खाद्यान्न की कमी

***1215. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री 5 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 954 के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "न्यूयार्क टाइम्स" द्वारा 'भारत में खाद्यान्न की कमी' के सम्बन्ध में किये गये विश्लेषण से सरकार सहमत है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उन गलतफहमियों को दूर करने तथा अमरीकी सरकार और जनता को सचाई बताने के लिय क्या प्रयास किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख): जहां तक खाद्य उत्पादन पर न्यूयार्क टाइम्स के विचारों का सम्बन्ध है, भारत सरकार विश्लेषण से सहमत है कि कृषि उत्पादन के बेहतर तकनीक से भारत खुराक में आत्मनिर्भर हो सकता है और इस बात से भी सहमत है कि उत्पादन में मानवीय साधन की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये । फिर भी अन्य विचार ऐसे हैं जो मिथ्या धारणा पूर्ण हैं अथवा अतिश्योक्ति पूर्ण । वर्तमान कठिन खाद्य स्थिति के कारणों तथा देश में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे विभिन्न उपायों के बारे में संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार को पूर्णतया सूचित किया जाता है ।

राज्यों का चीनी का कोटा

***1216. श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री रा० बरूआ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के चीनी के कोटे को बढ़ाने के लिये सरकार सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कितना कोटा बढ़ाया गया है, और

(ग) प्रत्येक राज्य/संघराज्य क्षेत्र में प्रति व्यक्ति को कम से कम कितनी चीनी देने का विचार है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण जिसमें प्रत्येक राज्य के दिसम्बर, 1965 और अप्रैल, 1966 के कोटे दिये गये हैं, सभा के पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6075/66 ।]**

(ग) ऐसी कोई न्यूनतम मात्रा निर्धारित नहीं की गयी है ।

कृषि-उत्पादन में वृद्धि

3856. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद् की कार्यकारिणी समिति द्वारा आरम्भ किये गये कार्यक्रम के अनुसार कृषि उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में पंचायतों को प्रभावित करने के लिये किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : हाल ही की आपातकालीन स्थिति के परिणामस्वरूप अखिल भारत पंचायत परिषद के कार्यक्रम का सुझाव दिया

गया था । उस संदर्भ में राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं पर कृषि उपज बढ़ाने के बारे में बल देने के लिए विस्तृत उपाय सूचित किये गए थे । इन पर कार्यवाही की गई है ।

भूमिगत जल संसाधन

3857. श्री कोल्ला वेंकैय्या : श्री हिम्मतसिंहका :
श्री म० ना० स्वामी : श्री लहटन चौधरी :
श्री लक्ष्मीदास : श्री दे० द० पुरी :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जो देश में सर्वाधिक भूमिगत प टी के मध्य में स्थित हैं, व्याप्त भूमिगत जल संसाधनों का लाभ उठाने के लिये कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : भारत सरकार ने विधिपूर्वक भूमिगत जल सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल के लिये एक योजना चलाई है जो राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जायेगी । इस योजना के अन्तर्गत भूमिगत जल के उन उपयुक्त क्षेत्रों के चित्र लिए जायेंगे जिनमें डग वैल्ज़, डक-कम-बोर वैल्ज़ तथा शैलो ट्यूब वैल्ज़ के द्वारा भूमिगत जल निकालने के लिये गुंजाइश होगी । यह कार्यक्रम निम्नलिखित के लिए पर्याप्त तकनीकी दित्त (डाटा) इकट्ठा करने में सहायक होगा ।

(क) निम्नलिखित मामलों में कृषकों को तकनीकी मार्ग-दर्शन प्रदान करना :—

(1) डग वैल्ज़/ट्यूब वैलों के लिए साईज़, टाइप, सेफ स्पेसिंग तथा घनत्व ।

(2) ठीक तरह से चलाने के लिए डग-वैल्ज़ की गुंजाइश, टाइप तथा बोरिंग का तरीका तथा गहरा करना ।

(3) कूओं पर लगाने के लिए उपयुक्त वाटर लिफ्टिंग उपकरणों का चुनाव ।

(ख) कूओं/नलकूपों का नियमित निर्माण ताकि कूओं के खराब होने का खतरा न रहे ।

वैज्ञानिक आधार पर योजनाएं तैयार करने के लिए कुछ गाइड-लाइन्ज बनाई गई हैं जिन्हें राज्यों के पास भेज दिया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

केरल जल परिवहन

3858. श्री अ० क० गोपालन : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का केरल जल परिवहन निगम की नौकाओं को अपने अधिकार में लेने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब,

(ग) क्या सब कर्मचारियों की सेवाओं को कायम रखा जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : केरल सरकार ने केरल जल परिवहन निगम की 75 काम में आने वाली नौकायें खरीदी हैं। इन्हे राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक प्रबन्ध का नया मंडल चला रहा है।

(ग) और (घ) : केरल जल परिवहन निगम दिवालिया हो गई है और उसके कर्मचारियों को नोटिस, वेतन, छटनी मुआवजा इत्यादि देकर नौकरी से अलग कर दिया गया। अतएव उन्हे रखने का प्रश्न नही उठता है। फिर भी निगम के 897 भूतपूर्व कर्मचारियों में से, 737 व्यक्तियों को राज्य अन्तर्देशी जल परिवहन सेवा में नौका सेवा चलाने के लिये नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

कूथपरम्बा कृषि कार्यालय

3859. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कूथपरम्बा कृषि कार्यालय को बन्द करने का आदेश दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इससे किसानों को कठिनाई हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) कुथपरम्बा का कृषि डिपो बन्द नहीं किया गया है।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न ही नही होता।

सागोन के बागान

3860. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 1962 से 1965 तक परम्बीकुलम् वन क्षेत्र में सागोन बागानों के वृक्षारोपण में कितना खर्च आया है ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत इमारत बनाने वाले मजदूरों के क्वार्टरों के लिए कितनी धन राशि नियत की गई थी ; और

(ग) इस योजना पर कुल कितना खर्च होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) 22,94,000 रुपए।

(ख) 25,300 रुपए।

(ग) 32,94,000 रुपए।

केरल राज्य में पुन्नाप्रा में दुग्धशाला (डेरी) परियोजना

3861. **श्री वासुदेवन नायर** :
श्री वारियर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के अलेप्पी जिले में पुन्नाप्रा नामक स्थान में एक दुग्ध शाला परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना की स्थापना के लिए निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(ग) इस परियोजना पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) परियोजना की स्थापना के बारे में प्रारंभिक कार्यवाही की गई है और केरल सरकार ने लगभग 9 एकड़ भूमि अधिग्रहण की है ।

(ग) लगभग 20 लाख रुपए ।

केरल में तैल ताड़ की खेती

3862. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल बागान निगम का केरल राज्य में बड़े पैमाने पर तैल ताड़ की खेती करने के बारे में प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) जी हां । केरल सरकार इसकी संभावनाओं के बारे में विचार कर रही है ।

(ख) बागान निगम, केरल के प्रबन्ध निदेशक ने राज्य सरकार को भूमि उपलब्ध होने पर वाज्राचल (चालाकुदी) तथा कौनी (क्विलन जिला) में 6,000 एकड़ भूमि पर 2 वाणिज्यिक बागानों का विकास करने के बारे में एक परियोजना रिपोर्ट भेजी थी । इन बागों का विकास 8 वर्षों में होगा और इस काम पर 668 लाख रुपए खर्च होंगे । केरल सरकार परियोजना के ब्यौरे पर विचार कर रही है ।

थेवाली पुल

3863. श्री वारियर :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में थेवाली पुल क्विलोन, का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है,

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) यह पुल यातायात के लिये कब खुल जायेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : थेवाली पुल केरल राज्य में राज्य सड़क पर पड़ता है । अतः इस परियोजना से केरल सरकार मुख्यतः संबद्ध हैं । उन्होंने सूचित किया है कि पूल पूरा हो गया है और पहुंच मार्ग सम्पूर्ण होने को हैं । फरवरी, 1966 के अन्त तक सब मिलाकर कुल 12,85,402 रुपये व्यय किये गये है । राज्य सरकार को आशा है कि यातायात के लिये पुल मई, 1966 के अन्त तक खूल जायेगा ।

आनन्द में कृषि संस्था

3864. श्री राम हरख यादव :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आनन्द, गुजरात में कृषि संस्था में अमरीकी सहयोग से दूध के सारे वर्ष उत्पादन के लिए एक अनुसंधान परियोजना चालू की गई ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना पर अनुमानतः कितना व्यय होगा और उसमें अमरीका की सरकार का अंशदान क्या होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) (क) जी हां । पी० एल० 480 की सहायता से आनन्द (गुजरात) में कृषि संस्था में "ओवारियन फन्कशन एण्ड इट्स एक्सपेरिमेंटल कन्ट्रोल इन दी वाटर बफेलो (बोस ब्यूबेलिस)" नामक एक अनुसंधान परियोजना की स्थापना की गई ।

(ख) समस्त वर्ष की अवधि में दुग्ध प्राप्ति की सुनिश्चितता हेतु गर्मियों में भैसों के गर्भाधान की विधियों के विकास के लिए भैसों की अंडाशः संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए ।

(ग) अमरीकी सरकार ने 5 वर्षों की अवधी में 448,880 रुपए देना स्वीकार किया है ।

केरल में पुल

3865. श्री प० कुन्हन : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में केरल राज्य में कितने बड़े पुल बनाये गये, और

(ख) कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कितनी **राशि** नियत की गई थी और कितनी राशि खर्च की गई ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : राज्य क्षेत्र में तीसरी योजना में केरल में पिचासी पुल पूरे किये गये । पुल के काम के लिये 403.60 लाख रुपयों का विनिधान किया गया था और 28 फरवरी, 1966 तक 387.63 लाख रुपये व्यय किये गये ।

केन्द्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय मुख्य मार्गों में दो बड़े पुल और वेस्ट कोस्ट सड़क पर तीन बड़े पुल पूरे किये गये । इन पुलों की संपूर्ण प्राक्कलित लागत 43.43 लाख रुपये है जिसके विपरीत अभी तक 43.86 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

दिल्ली में शाक-सब्जी वाटिकायें

3866. श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हाल ही में शाक-सब्ज़ी वाटिकाएं लगाने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) दिल्ली में शाक-सब्ज़ी वाटिका के अन्तर्गत कुल कितना क्षेत्र आया है ;

(ग) दिल्ली में शाक-सब्ज़ी वाटिकाएं लगाने तथा उनकी देखभाल के लिए सरकार ने क्या सुविधाएं दी हैं ; और

(घ) पिछली शरद ऋतु में इन शाक-सब्ज़ी वाटिकाओं में अनुमानतः कितने मूल्य की शाक-सब्ज़ियों का उत्पादन हुआ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) लगभग 20,000 शाक वाटिकायें ।

(ख) लगभग 2,000 एकड़ भूमि ।

(ग) (1) मुफ्त तकनीकी सलाह ।

(2) घरों में बीजों, पौधों, उर्वरकों तथा कीटनाशी औषधियों की सप्लाई । ये चीजें शहर के विभिन्न भागों में स्थापित हुए 5 बिक्री केन्द्रों से भी प्राप्त होती हैं ।

(3) कीटों तथा महामारियों के नियन्त्रण के लिए मुफ्त छिड़काव तथा धूलित्रों की सुविधायें तथा मुफत परामर्श ।

(घ) यह कहना कठिन है कि वास्तव में शरद ऋतु में कितने रुपये की सब्जियों का उत्पादन हुआ है । परन्तु वर्ष भर में प्रति एकड़ में कम से कम लगभग 6 टन सब्जियों का उत्पादन हुआ होगा । इस प्रकार 300 रुपए प्रति टन के हिसाब से 12,000 टन सब्जियों का मूल्य 36 लाख रुपए होता है ।

मैसूर राज्य में चीनी का कारखाना

3867. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के कोलार जिले में गौरी बिदानूर नामक स्थान में चीनी के कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस कारखाने को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिसम्बर, 1965 में चालू न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कारखाने में उत्पादन कार्य कब से आरम्भ हो जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) प्लांट और मशीनरी की बहुत सी मदें स्थापित की जा चुकी हैं और शेष मशीनें लगाने का काम इस वर्ष मई में पूरा होने की आशा है ।

(ख) पता चला है कि यह देरी मुख्यत: मशीनरी के देर से प्राप्त होने और वित्तीय कठिनाइयों के कारण हुई है ।

(ग) यद्यपि इस वर्ष मई में मशीनें लगाने का काम पूरा होने की आशा है, फिर भी, गन्ना पेरने का काम आगामी फसल में शुरू होगा ।

अरब सागर में जहाज का बचाया जाना

3868. **श्री राम हरख यादव :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंबई पत्तन्यास के एक पाइलट जहाज ने 27 मार्च, 1966 को प्रात: काल अरब सागर के बीच, बम्बई से 4 मील दूर, एक क्षतिग्रस्त जहाज को बचाया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) 27 मार्च, 1966 को श्री बी० टी० ए० पेरीरा के कमांड में एम० टी० वी० वेनू ने पालपोत कोटिया जोहरावी को देखा जिसका आगे का मस्तूल टूट गया था और वह भटक रहा था । वेनू तुरन्त उसकी सहायता करने के लिये आगे बढ़ा । पालपोत के पास पहुंचने पर टिन्डल ने निकर्षण सहायता के लिये प्रार्थना की ।

पाइलट पोत ने तुरन्त पोत का निकर्षण किया और संवराक लाइट हाउस के निकट बन्दरगाह में ले आया, जहां पाइलट टेंडर जेफायर ने वेनू से निकर्षण का काम ले लिया और उसे मार्लेट बन्दर में ले आया। पालपोत 18-45 बजे सुरक्षापूर्वक ले आया गया।

जहाज में नमक के बोरे लदे थे और टिन्डल ने कहा कि मस्तूल टूटने के बाद कुछ बोरियों को जहाज से फेंक देना पड़ा। पालपोत में दस व्यक्ति थे और कोई घायल नहीं हुआ। उस दिन तेज उत्तर-पश्चिम वायु के कारण रितु खराब थी।

केरल को चीनी की सप्लाई

3869. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 1966 में केरल राज्य के लिये चीनी का कितना कोटा नियत किया गया था,

(ख) इन महीनों में केरल राज्य की मांग कितनी थी, और

(ग) यदि केरल सरकार की पूर्ण मांग पूरी नहीं की गई, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिंदे) : (क)

जनवरी, 1966 . .	6820 मीटरी टन कोटा और 310 मीटरी टन त्योहारों के लिये।
फरवरी, 1966 . .	6829 मीटरी टन।
मार्च, 1966 . .	7440 मीटरी टन।

(ख) और (ग) : केरल सरकार ने 9800 मीटरी टन के मासिक कोटे के लिये निवेदन किया था। उनका कोटा अप्रैल, 1966 से बढ़ाकर 8940 मीटरी टन कर किया गया है। देश में वितरण करने के लिये सीमित सप्लाई उपलब्ध होने के कारण केरल सरकार की पूर्ण मांग पूरी नहीं की जा सकती।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा सुविधाओं का दिया जाना

3870. श्री राम हरख यादव : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने 1 अप्रैल, 1966 से यात्रियों को अधिक सुविधाएं प्रदान की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : यात्रा के बीच में रुकने की सुविधा, सम्बद्ध स्टेशनों पर होटल आवास और मार्गों को चुनने (समान किराये वाले स्थान) की व्यवस्था करते हुए, कारपोरेशन पहली अप्रैल, 1966 से एक स्थान से सीधे दूसरे स्थान (प्वाइंट टू प्वाइंट) के किराये चार्ज कर रहा है।

भूमिहीन परिवार

3871. श्री दे० शि० पाटिल : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 29 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 837 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, राज्यवार, कितने भूमिहीन परिवार बसाये गये और सम्बन्धित राज्य सरकारों ने उन परिवारों को कुल कितनी धनराशि दी ;

(ख) क्या यह सच है कि जिन सुनारों को उक्त योजना के अन्तर्गत भूमि दी गई थी, उन्हें उक्त योजना से निकाल दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, राज्यवार जितने भूमिहीन परिवार बसाये गये और संबंधित राज्य सरकारों ने उन परिवारों को कुल जितनी धनराशि दी, उसका विवरण निम्न प्रकार है :

क्रम संख्या	राज्य	परिवारों की संख्या	स्वीकृत सहायता (रुपए)
1	आन्ध्र प्रदेश . . .	3,352	अभी उपलब्ध नहीं
2	आसाम . .	30	अभी उपलब्ध नहीं
3	बिहार . .	14,775	23,95,544
4	केरल . . .	2,000	8,75,000
5	गुजरात . . .	3,367	15,63,544
6	मद्रास . . .	291	1,52,540
7	मध्य प्रदेश . . .	7,731	41,50,000
8	मैसूर . . .	100	5,00,000
9	उड़ीसा . . .	360	1,70,000
10	पंजाब . .	41,526	2,61,220
11	उत्तर प्रदेश . . .	936	अभी उपलब्ध नहीं
12	त्रिपुरा . . .	1,096	3,28,000
		75,564	1,03,95,848

(ख) स्वर्णकार केन्द्रीय प्रायोजित भूमिहीन कृषि परिवारों को बसाने की इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

मद्रास के लिए केन्द्रीय सड़क निधी

3872. **श्री वें० तेवर : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत मद्रास के लिये निर्माण कार्यों के हेतु स्वीकृत पूरी राशि दी गई थी; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : तीसरी योजना अवधि में मद्रास राज्य के लिये 142.68 लाख रुपये की लागत का प्राक्कलित कार्य स्वीकृत किया गया था। भारत सरकार द्वारा दिये गये फंड में से राज्य सरकार ने 121.85 लाख रुपये का व्यय किया था। इस बाद की संख्या में 75.00 लाख रुपये की मांग के विपरीत 1965-66 में स्वीकृत 26.70 लाख रुपये का आवंटन भी शामिल है। फंड की कमी के कारण 1965-66 में राज्य सरकार की पूरी मांग की पूर्ति करना संभव नहीं हो सका।

दिल्ली परिवहन विभाग

3873. श्री राजदेव सिंह : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अन्य राज्यों की तरह दिल्ली परिवहन विभाग मोटर गाड़ियों को बचत के रूप में पंजीयन पुस्तक (रजिस्ट्रेशन बुक) के स्थान पर कागज के पन्ने देता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करके आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) सामान्यतया परिवहन गाड़ियों के बारे में पंजीयन का प्रमाणपत्र परिवहन विभाग दिल्ली द्वारा उचित पुस्तिका प्रपत्र में जारी किया जाता है। कुछ मामलों में छपे फार्मों के उपलब्ध न होने के कारण साधारण कागज व्यवहृत किया जाता है।

(ख) परिवहन विभाग, दिल्ली द्वारा गवर्नमेंट आफ इंडिया फार्म स्टोर, कलकत्ता, से छपे फार्मों की पर्याप्त सप्लाई प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

सफदरजंग हवाई अड्डा

3674. डा० कोहोर :

श्री महानन्द :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का सफदरजंग हवाई अड्डे को समाप्त करने तथा हवाई अड्डा बनाने के लिये दूसरा स्थान ढूंढ़ने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा नया हवाई अड्डा बनाने पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उबले चावल की दुर्गन्ध

3875. श्री श्रीनारायण दास : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलों द्वारा उबले चावल की दुर्गन्ध दूर करने का कोई तरीका निकाला गया है,

(ख) यदि हां, तो चावल में विद्यमान विटामिन और खनिज को सुरक्षित रखने के लिये मिलों को इस किस्म के चावल का उत्पादन करने के लिये कहा गया है, और उन्हें इसके लिये सहमत कर लिया गया है, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां। केन्द्रीय खाद्य औद्योगिकी अनुसन्धान संस्थान, मैसूर और जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता ने सेलीकरण और सुखाने की कुछ उन्नत विधियां तैयार की हैं जिस से दुर्गन्ध को रोका जा सकता है।

(ख) उन्नत विधियों और परिणामों के बारे में जानकारी मिल मालिकों को सुलभ की गई है।

(ग) देश के विभिन्न भागों में कुछ चावल मिलों ने सेलीकरण की इन उन्नत विधियों को अपना लिया है।

अच्छे किस्म के खाद्यान्नों की खेती

3876. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966 की खरीफ की फसल में अच्छे किस्म के संकर मक्का, संकर ज्वार, तथा संकर बाजरा पैदा करने का कोई कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितने और कौन-कौन जिले चुने गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) अधिक उपज किस्म कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए जिलों का चुनाव अन्तिम रूप से राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। देश में 1966 की खरीफ के अन्तर्गत जो कुल क्षेत्र आना है वह निम्नलिखित है :—

हाईब्रिड मक्का	4.28 लाख एकड़
हाईब्रिड ज्वार	3.42 लाख एकड़
हाईब्रिड बाजरा	2.92 लाख एकड़

New Vegetable Insecticide

3877. **Shri D. N. Tiwary :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the discovery of a new vegetable insecticide which has been discovered by Mr. Evivik Afrikian, a Soviet expert in collaboration with Mr. Kiozo Hayashi a Japanese expert of Osaka which is injurious to human beings and cattle;

(b) if so, whether it has been experimented in India also; and

(c) if so, the experience drawn therefrom ?

Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) Yes. It is reported to be an insecticide of micro-organic and not vegetable origin.

(b) No. Samples of the insecticide have been called for but have not been received so far.

(c) Does not arise.

4--58 L.S./66.

Rocket Lanching Station

3878. Shri Viswa Nath Pandey : Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that Government have decided to set up a Rocket Launching Station in the Northern India with a view to carrying on meteorological research ;

(b) if so, the name of the place and the time by which the station will be set up; and

(c) the total amount to be spent on this project ?

Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) A scheme for setting up a meteorological rocket launching station in Northwest India has been included in the Fourth Five Year plan of the India Meteorological Department, but has not yet been finalised.

(b) & (c). The details of the scheme have not yet been worked out.

राजस्थान नहर में नौवहन की सुविधायें

3879. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान नहर में नौवहन की सुविधायें देने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख): मामला अभी तक विचाराधीन है ।

पैकेज कार्यक्रम

3880. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अन्य क्षेत्रों में, जिनमें इस समय पैकेज कार्यक्रम लागू नहीं है, पैकेज कार्यक्रम आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब और किन-किन क्षेत्रों में ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा नागरिक (सिविल) सम्भरण निदेशालय में भर्ती

3881. श्री जेधे : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा नागरिक संभरण निदेशालय ने एक परीक्षा आयोजित की थी जिसके परिणाम के आधार पर अनेक प्रत्याशियों को इन्सपैक्टरों के रूप में

भर्ती किया गया था परन्तु उन्हें दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय में अपर डिवीजन क्लर्कों के पद पर नियुक्ति की पेशकश की;

(ख) क्या यह भी सच है कि बाद में राशनिंग इन्सपैक्टरों के रूप में उनकी नियुक्ति के समय उनसे नोटिस देकर अथवा नोटिस की अवधि के बदले में धन देकर अपने पदों से त्यागपत्र देने के लिये कहा गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा ऐसे कितने राशनिंग इन्सपैक्टर हैं, जिन्हें अपने वर्तमान पदों का कार्यभार संभालने से पहले अपने पदों से त्याग पत्र देना पड़ा;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) दिल्ली प्रशासन ने निरीक्षकों के पदों की भर्ती के लिये प्रतियोगी टैस्ट लिया और योग्यता के अनुसार सफल उम्मीदवारों का एक पेनल तैयार किया था। क्योंकि निरीक्षक के पदों की संख्या थोड़ी थी और पेनल में नाम ज्यादा थे, इसी लिये कुछ उम्मीदवारों को जो निरीक्षक के पद पर नियुक्त नहीं किये जा सके, उच्च श्रेणी लिपिक के पद पेश किये गये।

(ख) जब निरीक्षक के पदों की और रिक्तियां हुई तब जो लोग उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्त हुये थे, उन्हें पेनल में उनकी बारी के अनुसार निरीक्षक के पद दिये गये। उन्हें नोटिस देकर अथवा नोटिस की अवधि का वेतन देकर उच्च श्रेणी लिपिक के पदों से त्याग-पत्र देने के लिये नहीं कहा गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोचीन में हवाई अड्डा

3882. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियर :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोचीन के असैनिक हवाई अड्डे का ब्यौरा अन्तिम रूप में तैयार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो वह ब्यौरा क्या है और इस पर कुल कितना व्यय होगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहा। मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल मीनक्षेत्र निगम

3883. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित केरल मीनक्षेत्र निगम का विचार स्वतः निर्यात व्यापार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को वर्तमान निर्यातकों से उन समस्याओं के बारे में, जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा, अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इन अभ्यावेदनों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां। केरल मात्स्यकी निगम ने जो कार्य करने हैं उनमें मछली और मछली के पदार्थों के निर्यात का काम भी होगा।

(ख) जी हां। केरल सरकार को कुछ निर्यातकों से कुछेक अभ्यावेदन मिले हैं, पता चला है कि ये छोटे उद्यमकर्त्ताओं के हैं। उन्होंने सरकार के व्यापार करने के बारे में सन्देह व्यक्त किया है, और उन्हें डर है कि हिमीकरण और शीत भण्डारण की सुविधाएं जोकि उन्हें अब सरकारी संस्थापनोंसे मिल रही हैं, उन्हें मिलनी बन्द हो जाएंगी।

(ग) निगम का यह उद्देश्य होगा कि हिमीकरण और शीत भण्डारण सम्बन्धी सुविधाओं का प्रयोग उद्योग के सर्वाधिक लाभ और सर्वाधिक हित में किया जाए। मछियारों की सहकारी समितियों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

Sugar Factory in Rajasthan

3884. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state the reasons for delay in the scheme for setting up a sugar factory in Ganganagar District of Rajasthan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shinde) : The application received for gant of a licence for the establishment of a Co-operative sugar factory at Gajsinghpur, District Ganganagar in Rajasthan has been considered. In view of inadequate availability of sugarcane in the area, this has not found to be a fit case for licensing.

बिहार में स्थानीय विकास कार्य

3885. **श्री दशरथ देव :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1961 से 1965 तक की अवधि में बिहार सरकार स्थानीय विकास कार्य सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के ग्राम्य क्षेत्रों में निर्माण कार्यों तथा नलकूपों के लिये नियत की गई कुल 185.50 लाख रुपये की रकम के केवल 29 प्रतिशत का उपयोग कर सकी;

(ख) उक्त अवधि में विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत नियत की गई कुल धनराशि के 50 प्रतिशत से कम राशि का उपयोग कर सकने वाले अन्य राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि उपरोक्त मामले में बिहार राज्य को कम सफलता क्यों मिली थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) वर्ष 1961-62 से 1964-65 तक की अवधि में बिहार राज्य को स्थानीय विकास निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई के साधारण साधनों के निर्माण के लिए कुल 185.50 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई थी। इस अवधि में राज्य सरकार ने 53.5 लाख रुपये की राशि अथवा निर्धारित राशि के लगभग 29 प्रतिशत भाग का उपयोग किया।

(ख) किसी अन्य राज्य ने इस अवधि में स्थानीय विकास निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित की गई कुल धनराशि के 50 प्रतिशत से कम राशि का उपयोग नहीं किया।

(ग) इस मामले पर राज्य सरकार को लिखा गया था और उत्तरोत्तर वार्षिक योजना चर्चाओं के दौरान भी उसके प्रतिनिधियों से इस बारे में विचार-विमर्श किया गया था। इस सीमित उपयोग के जो मुख्य कारण पाए गए वे थे कर्मचारियों की अपर्याप्त व्यवस्था और जनता का योगदान प्राप्त करने में कठिनाइयां। इन कमियों को सुधारने के लिए कार्यवाही की गई है और राज्य में यह कार्यक्रम अग्रसर हो रहा है।

दिल्ली में मैक्सिकन गेहूं की खेती

3886. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के पंजाबखोर गांव की सूखी तथा खारी भूमि को, साधारण गेहूं के स्थान पर चार-पांच गुना अधिक मैक्सिकन गहूं उपजाने के लिये कृषि-योग्य बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक उपज कितनी हुई है; और

(ग) इसकी खेती को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली की सलाह से वैज्ञानिक प्रबन्ध तरीकों को अपना कर मोन्टगुमरी सहकारी फार्मिंग सोसायटी ने लगभग 300 एकड़ खारी भूमि को कृषि योग्य बनाया है।

(ख) लम्बी किस्मों के मामले में 30 मन प्रति एकड़ तथा डूवार्फ किस्मों के मामले में 60 मन प्रति एकड़ उत्पादन हुआ है (औसतन 120 एकड़)।

(ग) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली इसी प्रकार की सहायता दिल्ली राज्य के सभी खण्डों को दे रही है।

बहरामपुर में भागीरथी नदी पर पुल

3887. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहरामपुर में भागीरथी नदी के ऊपर पुल बनाने का कार्य नवम्बर, 1960 में एकमुश्त ठेके के आधार पर एक फर्म को दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस पुल को तैयार करने के लिये क्या तारीख निर्धारित की गई थी;

(ग) क्या यह पुल तैयार हो गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां, इस पुल के बनाने के कार्य के लिए आदेश दिसम्बर 1960 में मेसर्स गैमन इंडिया लिमिटेड को एक मुश्त रकम के ठेके के आधार पर दिया गया था।

(ख) मूल ठेके के अनुसार इस के पुरा होने की अनुसूचित तारीख सितम्बर 1963 थी। निर्माणित काम के दुर्घटना पूर्ण टूटने के कारण काम समय पर पूरा न हो सका।

(ग) पुल अभी तक पूरा नहीं हुआ है। केन्द्रीय निलंबित विस्ता के अलावा सब विस्ता पूरे हो गये हैं। निलंबित विस्ता का काम प्रगति पर है और सब काम अगस्त 1966 तक पूरा हो जायेगा।

(घ) 10 जुलाई 1963 को दो मुख्य इकायों के गिर जाने के कारण काम की प्रगति में रुकावट आ गई थी। निमज्जित दशाओं में, विस्फोट और छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद और गिरे विस्ता के भारी मलबे को साफ करने के बाद ही काम फिर से शुरू किया जा सका।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी

3888. श्री मौर्य :
श्री किशन पटनायक :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 30 सितम्बर, 1965 अथवा इस के आसपास जयन्ती शिपिंग कम्पनी के निदेशक बोर्ड की बैठक में हुई कार्यवाही के बारे में नौवहन कम्पनियों से सम्बन्धित सरकारी निदेशक से सरकार को कोई प्रतिवेदन अथवा शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है और क्या उस की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी;

(ग) क्या जयन्ती शिपिंग कम्पनी की इस बैठक में कम्पनी के निदेशकों और भूतपूर्व प्रबन्धक निदेशक ने उक्त कम्पनी के प्रबन्ध के विरुद्ध कुछ बड़े आरोप लगाये थे; और

(घ) क्या बाद में सरकारी निदेशक ने इस बैठक की कार्यवाही का गलत विवरण लिखे जाने के बारे में विरोध प्रकट किया था ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क), (ख) और (ग) : बैठक में असाधारण घटना यह हुई थी कि तत्कालीन निदेशक श्री जी. नारायण ने शिकायत की थी कि डा० तेजा, अध्यक्ष ने उन्हें कभी विश्वास में नहीं लिया, जिन्होंने मंडल से बगैर उचित अधिकार के कम्पनी द्वारा खरीदे गये जहाजों के लिये ऋण के बारे में बातचीत की और गारंटी दी। अपने अभियोग के समर्थन में उन्हों ने यह आरोप लगाया कि भास्कर जयन्ती और लीलावती जयन्ती जहाजों के बारे में बैंक गारंटी के संबंध में निदेशक मंडल का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। अन्य निदेशक ने इसका यह कह कर खंडन किया कि इन गारंटियों के लिये जरुरी प्रस्ताव परिचालन द्वारा पारित कर दिया गया था और श्री नारायण ने स्वयं उस पर हस्ताक्षर किये थे। इस घटना की रिपोर्ट सरकारी निदेशक द्वारा व्यक्तिगत रूप से नौवहन विकास निधि समिति के अध्यक्ष को की गई थी।

(घ) मूल रूप में अभिलिखित कार्यवाही में उक्त घटना का कोई उल्लेख नहीं है। सरकारी निदेशक ने इस बात पर जोर दिया कि कार्यवाही में घटनाओं का सही उल्लेख होना चाहिये और तदनुसार कार्यवाही उचित रीति से संशोधित कर दी गई थी।

Taxation on Agricultural Production

3890. Shri Rameshwaranand : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether the rate of taxation on agricultural production has been increased heavily at many places ;

(b) whether it is also a fact that because of the increased rate of taxation, the farmers are taking less interest in the production; and

(c) whether Government are considering any measures to reduce the agricultural taxation with a view to increasing the production of foodgrains?

Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) Agriculture, being a State subject, taxation in the sphere of agriculture is generally the concern of the State Governments. Because of the need for larger resources for accelerating development and for rationalising agricultural taxes, some modifications and increases in taxes like land reveune, agricultural income tax and irrigation charges, etc. have been made in recent years in some of the States.

However, generally speaking, these increases are of a comparatively small order, compared to the income derived from the agricultural sector and to the total increase in revenue accruing from taxation in other sectors.

(b) There is no evidence to show that farmers are taking less interest in production due to increase in agricultural taxes.

(c) No proposals for general reduction in agricultural taxes are under consideration.

उड़ीसा में पानी के तालाब

3891. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में पानी के कितने तालाबों का प्रयोग लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत किया जाता है; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत राज्य में पुराने तालाबों की मरम्मत तथा पुनर्निर्माण और नये तालाबों के निर्माण के लिये उक्त अवधि में कितनी धनराशि केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) पूछी गई जानकारी उड़ीसा सरकार से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) 1958-59 से राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी संशोधित पद्धति के लागू होने के बाद से केन्द्रीय सहायता "कृषि उत्पादन, लघु सिंचाई तथा भूमि विकास आदि" जैसे विकास के शीर्षकों के अन्तर्गत दी जाती है। योजनावार स्वीकृति देना 1958-59 से बन्द कर दिया गया है। इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पुराने तालाबों की मरम्मत और पुनर्निर्माण हेतु और उड़ीसा में लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत नये तालाबों के निर्माण के लिए अलग से कितना अनुदान केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत किया है। ये योजनाएं विकास के शीर्षक—कृषि उत्पादन जिसमें लघु सिंचाई तथा 1964-65 तक भूमि विकास शामिल है, में सम्मिलित कर दी गई थीं। तीसरी योजना के दौरान विकास के शीर्षक के अन्तर्गत स्टेट प्लान स्कीमों के लिए उड़ीसा राज्य सरकार को दी गई केन्द्रीय अनुदान निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	स्वीकृत अनुदान की राशि (रुपये लाखों में)
1961-62	25.14
1962-63	26.92
1963-64	67.15
1964-65	69.10
1965-66	46.87

फिर भी 1965-66 के वित्तीय वर्ष से "लघु सिंचाई" शीर्षक के लिए अनुदान अलग से दिया गया है। 1965-66 के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं के लिए उड़ीसा सरकार को 9.50 लाख

रुपये का अनुदान दिया गया है। यह राशि 46.87 लाख रुपये के उपरोक्त अनुदान में शामिल कर दी गई है। यह पूर्वानुमानित खर्च पर आधारित है और उस वर्ष के पूरे वास्तविक खर्च की प्राप्ति पर अन्तिम रूप से समायोजन किया जायेगा।

उड़ीसा में तम्बाकू की खेती

3892. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में उड़ीसा में कितने एकड़ भूमि में तम्बाकू की खेती की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि में उस से पहले के एक वर्ष की तुलना में तम्बाकू का अधिक उत्पादन हुआ है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) अन्तिम रूप से फसल पूर्वानुमान रिपोर्ट अक्तूबर/नवम्बर, 1966 में ही उपलब्ध होगी। इसलिए 1965-66 में एकड़ों तथा उत्पादन के बारे में अभी जानकारी देना सम्भव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

उड़ीसा में फ्लाइंग क्लब

3893. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966-67 में भुवनेश्वर (उड़ीसा) फ्लाइंग क्लब के लिये उड़ीसा सरकार को कोई सहायता देने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : 1966-67 के दौरान, भुवनेश्वर स्थित फ्लाइंग क्लब को कोई सहायता देने के लिए सरकार को उड़ीसा सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नही हुआ है। यदि कोई एसा अनुरोध प्राप्त होगा तो उस पर उड़ान उपदान योजना को नियंत्रित करने वाले नियमों के संदर्भ में विचार किया जायगा।

त्रावणकोर टाइटेनियम प्रौडक्ट्स लिमिटेड

3894. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रावणकोर टाइटेनियम प्रोडक्टस लिमिटेड की एक मात्र बिक्री एजेन्सी मैसर्स टी० टी० कृष्णामाचारी एण्ड कम्पनी के पास है; और

(ख) यदि हां, तो एजेन्सी की शर्तें तथा निबंधन क्या हैं ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) जी हां, महोदय।

(ख) एजेन्सी की चालू मियाद 1-7-1965 से तीन वर्ष की अवधि के लिए है। आवश्यक शर्तें तथा निवंधन इस प्रकार हैं :—

कि मुख्य कम्पनी द्वारा निर्मित सारी वस्तुएं एकमात्र बिक्री एजेन्सी ही बेचेगी और वह इस तरह की अन्य कम्पनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं को बेचने का कार्य नहीं करेगी। इस दिशा में एजेन्टस में बिक्री संचालन और बिक्री के पश्चात् की सेवाओं के लिए आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों को नियुक्त करेगी और ऐसे कर्मचारियों के प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यय को वाहन करेगी। कम्पनी एजेन्टस को प्रेषण के आधार पर माल भेजेगी और एजेन्टस क्षेत्रीय केन्द्रों में अपने गोदामों में माल को रखेंगे। एजेन्टस को इस बात का ख्याल रखना होगा कि गोदामों में माल पर्याप्त मात्रा में रहे। बिक्री से प्राप्त रकम का इकट्ठा करना, बिक्री और अन्य करों सम्बन्धी कार्य की जिम्मेदारी एजेन्टस पर होगी। वे कम्पनी को बिक्री का मूल्य अनुवर्ती मास की अन्तिम दिन तक भेज देंगे और अनुवर्ती मास की पहली तारीख से बकाया राशि पर ब्याज अदा करेंगे। कुछ मामलों में कम्पनी को सीधे रूप से बिक्री करने का अधिकार प्राप्त है और ऐसी बिक्री पर वे एजेन्टस को अधिभावी दलाली अदा करेंगे। एजेन्टस द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में कम्पनी उन को बिक्री मूल्य (एफ० ओ० आर० ट्रेविड्रम दाम) पर 5,000 मीट्रीक टन प्रतिवर्ष की बिक्री पर 2 प्रतिशत और 5,000 टन प्रति वर्ष से अधिक की बिक्री पर 1 1/2 प्रतिशत दलाली देगी। कम्पनी एजेन्टस को कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली में गोदामों को रखने के लिए 300 रुपये प्रति मास किराया भी देगी। प्रचार सम्बन्धी खर्च कम्पनी और एजेन्टस बराबर बराबर रूप में वाहन करेंगे।

त्रिपुरा में मत्स्य-पालन तालाब

3895. श्री दशरथ देव : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने मत्स्य पालन तालाब और झीलें त्रिपुरा सरकार के सीधे प्रबन्ध के अधीन हैं;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन योजनाओं में कुल कितनी राशि लगाई गई; और

(ग) उक्त अवधि मे इनसे कितनी प्राप्ति हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क)

	संख्या
तालाब	135
झीलें . . .	8

(ख) रु० 12,70,000।

(ग) रु० 3,14,000।

मत्स्यकी के विकास के लिये पोना और फिंगरलिंग बढ़ाने के लिये 115 तालाब विभिन्न डिम-पोना (फिश-सीड) केन्द्रों और प्रदर्शन फार्मों से सम्बद्ध हैं।

बेंत की उपलब्धि

3896. श्री दशरथ देव : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के जंगलों में बेंत की उपलब्धि (जिसे वहां पर जाली बेंत कहते हैं) धीरे धीरे कम हो रही हैं; और

(ख) क्या त्रिपुरा में बेंत (जाली बेंत) उगाने की सरकार की कोई योजना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। प्लान योजना "लघु वन पदार्थों का विकास" के अन्तगत त्रिपुरा वन विभाग ने छोटे पैमाने पर बेंत उगाना शुरू कर दिया है।

गोमती पुल

3897. **श्री दशरथ देव** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर में गोमती पुल का निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) कब तक पुल पूरा हो जाने की संभावना है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) कुओं की नीवें बैठाने का काम प्रगति पर है। 255 फीट की पूरी बिठलाई में से 17 फीट शेष रखा गया है। 31 मार्च, 1966 तक संपूर्ण प्रगति 34 प्रतिशत थी।

(ग) पुल के अगस्त 1967 तक पूरा हो जाने की आशा है।

Lateral Roads in Bihar

3898. **Shri Yamuna Prasad Mandal :** Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state :—

(a) The mileage of lateral road project in Bihar State ;

(b) the mileage under construction;

(c) the names of the places between which alignment has not been done so far and the reason therefor; and

(d) the date by which the construction of the entire lateral road is likely to be completed ?

Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) :(a) The total length of the lateral road in Bihar including the link roads is about 390 miles.

(b) & (c). The work is in progress in all but one section of about 65 miles length from Forbesganj to bridge site across the Kosi river. The alignment of this section has not yet been finalised as it is dependent upon the Kosi bridge site for which investigations are being made.

(d) The work of construction of the lateral road in Bihar is scheduled to be completed by March, 1969.

"थिरुमनी एनीकट" परियोजना

3900. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बगापल्ली तालूक, कोलार, ज़िला मैसूर में "तिरुमनी एनीकट" परियोजना के लिए कोई प्राक्कलन तैयार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस परियोजना का काम दूसरी पंचवर्षीय योजना से शेष पड़ा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस काम के कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) कितने एकड़ अधिक भूमि पर खेती की जायेगी तथा उससे कितनी उपज होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ङ) मैसूर सरकार से सूचना मांगी जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मैसूर में चीनी की मिलें

3901. श्री लिंग रेड्डी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में इस समय कितनी चीनी की मिलें चल रही हैं;

(ख) राज्य सरकार ने इस समय किन-किन स्थानों के लिये लाइसेंस दिये जाने की सिफारिश की है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) इस समय मैसूर राज्य में 8 शर्करा कारखाने चल रहे हैं ।

(ख) और (ग) : मैसूर सरकार ने निम्नलिखित स्थानों पर 7 नये शर्करा कारखाने स्थापित करने के लिये आवेदन-पत्र भेजे हैं :—

(1) ग्राम हल्लीखेद –बी, जिला बीदार ।

(2) मुगुतखां हुबली, जिला बेलगांव ।

(3) हीरीयूर, जिला चित्रादुर्ग ।

(4) कोल्लेगल, जिला मैसूर ।

(5) चिकोड़ी तालुक, जिला बेलगांव ।

(6) कमलपुर, जिला बेलोरी ।

(7) कलमुद्दानाडोड़ी, मुदूर तालुक, जिला मांडेया ।

पहले चार स्थानों पर नये शर्करा कारखानें स्थापित करने के लिये आशय पत्र जारी कर दिये गये हैं । नया शर्करा कारखाना स्थापित करने के लिये गन्ने की अपर्याप्त मात्रा होने के कारण चिकोड़ी, जिला बेलगांव को ठीक नहीं समझा गया है । शेष दो मामले विचाराधीन हैं ।

चारे का उत्पादन बढ़ाना

3902. श्री वारियर :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चारे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत-स्विट्ज़रलैंड परियोजना में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस परियोजना को आरम्भ करने के लिए स्विट्ज़रलैण्ड की सरकार के साथ समझौता करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) भारत-स्विटज़रलैंड परियोजना, जिसने 12-7-1963 से काम शुरू किया है, के उद्देश्य निम्न

प्रकार हैं :—(1) "ब्राउन स्विस" सान्डों के "फ़ोज़न" सैमैन वाले देसी पशुओं का अप-ग्रेड करना, (2) चारे की अधिक उत्पादशील किस्मों की खेती करना, (3) कृषकों को पशुपालन की आधुनिक विधियों के बारे में प्रशिक्षण देना।

परियोजना की क्रियान्विति सन्तोषजनक ढंग से हो रही है। शुरू में परियोजना के लिए जो 125 स्थानीय पशु खरीदे गये थे उनमें से अधिकांश का ब्राउन स्विस कीटों से गर्भाधान हुआ है। इस समय झुन्ड में 250 पशु हैं जिनमें 36 पशु आयातित ब्राउन स्विस नस्ल के हैं। चारे के अनुसन्धान के लिए एक केन्द्र की स्थापना की गई है और चारे की फसलों व सब्ज़ियों के उत्पादन के लिए 70 एकड़ भूमि का सुधार किया गया है। इस समय तक के परीक्षणों से पता चलता है कि परियोजना क्षेत्र में चरागाह के विकास के लिए वैस्ट्रल डिश रे (Westeral dish rye) घास तथा वाईट क्लोवर बड़ी उपयुक्त किस्में हैं। इस समय केरल सरकार के दो अधिकारी स्विटज़रलैंड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इन अधिकारियों के भारत में लौटने के पश्चात् ही कृषकों को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया जाएगा।

(ख) 31-3-1965 को समाप्त होने वाली परीक्षण की प्रथम अवधि के लिए 12-7-1963 को स्विटज़रलैंड की सरकार के साथ एक करार तय हुआ था। दूसरी अवधि के बारे में पत्र-व्यवहार हो रहा है और इसके लिए एक अनुपूरक करार होगा। 31-3-1967 को दूसरी परीक्षणात्मक अवधि समाप्त होने पर पीरमेड में विस्तार कार्य शुरू करने के लिए एक अलग करार होगा।

Agricultural Farm

3903. Shri Mate : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up an agricultural farm near Tikkamgarh city in Mahdya Pradesh ;

(b) if so the number of farmers whose land would be acquired for this purpose; and

(c) the details of compensation to be paid in cash or in land in lieu thereof ?

Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (**Shri Shyam Dhar Misra**) **:** (a) The proposal is under consideration of the Central Seed Farms Committee.

(b) and (c). Details will be worked out after a final decision regarding part (a) has been taken.

केरल में चावल के दाम

3904. श्री वासुदेवन नायर : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में राशन की दुकानों में चावल के दाम फिर बढ़ा दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो दामों को कितना बढ़ाया गया है तथा इस वृद्धि से प्रति मास कितनी अतिरिक्त राशि प्राप्त होने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : राज्य में उचित मूल्य की दुकानों से वितरित किये जाने वाले केरल के बाहर के मध्यम और कोर्स चावल के खुदरा भाव 27 मार्च, 1966 से क्रमश: 3 और 4 पैसे प्रति क्विंटल इस लिये बढ़ा दिये गये हैं ताकि इन भावों को केरल में अधिप्राप्ति चावल के वितरण मूल्यों के बराबर लाया जा सके। इस वृद्धि से प्राप्त होने वाली राशि प्रत्येक माह भिन्न भिन्न होगी क्योंकि यह केरल में महीने में ऐसे चावल की वितरित की गयी मात्रा पर निर्भर करेगी।

अयस्क प्रयोग करने वाला कारखाना (और हैण्डलिंग प्लांट)

3905. श्री यशपाल सिंह : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मरमागोआ बन्दरगाह में अयस्क प्रयोग करने वाला कारखाना (और हैण्डलिंग प्लांट) स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक स्थापित किया जायेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) उस में लगभग तीन वर्ष लगेंगे।

अन्तर्राज्यीय परिवहन सेवा

3906. श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी बस मालिकों ने, जो दिल्ली परिवहन की बसों के मार्गो तथा अन्य अन्तर्राज्यीय मार्गों पर बसें चला रहे हैं, सरकार को अभ्यावेदन दिये हैं, जिनमें यह मांग की गई है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 1960 से अब तक दिल्ली परिवहन ने अपनी बसों के किराये दो बार बढ़ाये हैं, उसके किराये बढ़ा दिये जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) मामला राज्य परिवहन अधिकारी दिल्ली के विचाराधीन है।

अन्तर्राज्यीय बस मार्ग

3907. श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में कुछ अन्तर्राज्यिय मार्गों पर बसें चलाने के लिए दिल्ली परिवहन और गैर-सरकारी बस मालिकों को परमिट दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो ये परमिट किस कसौटी के आधार पर जारी किये गये हैं; और

(ग) वर्ष 1965 में विभिन्न बस मालिकों को कितने परमिट दिये गये हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) राज्य परिवहन अधिकारी, दिल्ली, द्वारा सवारी की बसों को परमिट देने के आवेदनों पर निर्णय लेने में निम्न बातों पर विचार किया जाता है :—

1. आवेदक की वित्तीय स्थिति।
2. प्रबन्ध का तरीका।
3. सार्वजनिक परिवहन चलाने में आवेदक का पिछला अनुभव।
4. वर्कशाप और गेराज की सुविधायें, जो निवेदक के पास है या जिन की वह व्यवस्था कर सकता है।
5. निवेदक द्वारा यात्री जनता के लिये वे सुविधायें जिन की वह व्यवस्था कर सकता है।
6. निवेदक का मार्गों का ज्ञान।
7. निवेदक के अधिकार में बसों की संख्या।
8. क्या निवेदक अपनी बस को किसी जीवश्म इकार्य को उपायोजित करने के लिए तैयार है।

(ग) राज्य परिवहन अधिकारी, दिल्ली, ने दिल्ली परिवहन अंडरटेकिंग को दिसम्बर 1965 में दिल्ली-जैपुर, दिल्ली-झुनझुनू और दिल्ली (केन्द्रीय सचिवालय)-बहादुरगढ़ मार्गों पर चलाने के लिये तीन सवारी गाड़ी के परमिट दिये गये है ।

पुरानी टैक्सी कारों को बदलना

3908. **श्री राम सहाय पाण्डेय :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में पुरानी टैक्सी-कारों को बदलने के लिए कारें देने के लिए निश्चित कोटा नियत किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में इस कोटे में से कितनी कारें दी गई; और

(ग) क्या टैक्सी मालिकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी इस कोटे में से कारें दी गइ है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है :

मोटर गाड़ी का नाम	1963	1964	1965
अंबासाडर	122	123	148
फियट	63	68	72
स्टेन्डर्ड	30	30	35

(ग) जी हां ।

कुट्टानद योजना

3909. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अलप्पी ज़िला विकास परिषद् (केरल) द्वारा स्वीकार किये गये संकल्प के बारे में जानकारी है, जिसमें कुट्टानद योजना के लिए एक विशेष परियोजना प्राधिकार करने के लिए सुझाव दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायगी ।

नई दिल्ली में दूध का सम्भरण

3910. **श्री हेम राज :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा इस समय नई दिल्ली क्षेत्र में कितने परिवारों को दूध दिया जा रहा है;

(ख) इस योजना के आरम्भ होने से 31 मार्च, 1966 तक कितने परिवारों को दुग्ध-कार्ड देने से इन्कार किया गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना के दूध डिपो द्वारा नई दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन में लगभग 65,000 दुग्ध कार्ड होल्डरों को दूध दिया जा रहा है।

(ख) इस योजना के आरम्भ होने से कितने परिवारों को दुग्ध कार्ड देने से इन्कार किया गया इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। दिल्ली दुग्ध योजना ने 26000 लिटर दूध तक के नये कार्ड जारी किये हैं और लगभग दो वर्ष अर्थात् जनवरी, 1964 से दिसम्बर, 1965 के प्रथम सप्ताह तक प्रतीक्षा सूची में आने वाले आवेदकों को भुगतान किया है। इस तिथि के बाद रजिस्टर किये गये लगभग 10,000 आवेदक रह गए हैं।

(ग) कच्चा दूध कम प्राप्त होने के कारण दिल्ली दुग्ध योजना को दुग्ध कार्डों के लिए इन्कार करना पड़ा। दूध की प्राप्ति में वृद्धि होने से नये कार्ड जारी किये जा रहे हैं।

कन्दरा भूमि (रेवीन लैन्ड) को खेती योग्य बनाना

3911. श्री राम हरख यादव : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश की कन्दरा भूमि का सर्वेक्षण करने तथा उसे खेती योग्य बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उसे क्रियान्वित किया है; और

(घ) कन्दरा भूमि का राज्यवार क्षेत्र-फल कितना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) योजना आयोग की सिफारिश संक्षेप में संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०** 6073/66।]

(ग) मामला विचाराधीन है।

(घ)

राज्य	कन्दरा भूमि का कुल क्षेत्रफल (अनुमानित रूप से)
उत्तर प्रदेश	3.040 लाख एकड़
मध्य प्रदेश	6.000 लाख एकड़
राजस्थान	8.000 लाख एकड़
गुजरात	9.880 लाख एकड़
महाराष्ट्र	0.494 लाख एकड़
पंजाब	2.964 लाख एकड़
बिहार	14.000 लाख एकड़
मद्रास	1.400 लाख एकड़
पश्चिम बंगाल	2.496 लाख एकड़

केरल में चीनी की आवश्यकता

3912. श्री मुहम्मद कोया : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 1965-66 में केरल में कितनी चीनी की आवश्यकता थी तथा उस राज्य में चीनी का कुल उत्पादन कितना हुआ था; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में उस राज्य में चीनी का किा अधिक उत्पादन होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) शर्करा वर्ष 1965-66 (नवम्बर 1965 से अक्तूबर 1966) में केरल की शर्करा की कुल आवश्यकता आवंटित कोटों के आधार पर 97,000 मीटरी टन के आस पास आंकी गयी है। जबकि केरल में 1965-66 के सीजन में (7 अप्रैल, 1966 तक) 18,444 मीटरी टन शर्करा का उत्पादन हुआ।

(ख) आशा है कि केरल में वर्तमान तीन शर्करा कारखाने सामान्यतः प्रति वर्ष लगभग 31 हजार मीटरी टन शर्करा का उत्पादन करेंगे। फिलहाल, उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने की बहुत ही कम सम्भावनाएं हैं।

मत्स्य पालन

3913. श्री मुहम्मद कोया : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 15 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2132 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनीसेफ) के व्यावहारिक आहारपोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत मत्स्यपालन के लिये राज्यवार कितनी राशि की सहायता दो गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिंदे) : तीसरी पंचवर्षीय योजना में संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (युनोसेफ) द्वारा व्यावहारिक आहारपोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत मत्स्यपालन के लिए राज्यवार जितनी राशि की सहायता दी गई वह अनुबन्ध में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 6074/66।]

केरल में संतरो का बोया जाना

3914. श्री मुहम्मद कोया : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में संतरे की फसल रोगों के कारण प्रायः नष्ट हो जाती है; और

(ख) संतरे की फसल की इस बरबादी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा **सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :** (क) सरकार के पास कोई सूचना नही।

(ख) भारत सरकार राज्य सरकार से पता लगा रही है।

चीनी पर उत्पादन शुल्क

3915. श्री रेड्डियार :
श्री मलाइछामी :
श्री ब० गो० नायडू :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 और 1964-65 के सीजन (उत्पादन-काल) में चीनी पर उत्पादन शुल्क में कितनी छूट दी गयी;

(ख) इस धन राशि का किस प्रकार उपयोग किया गया अथवा इस का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा; और

(ग) इस का कितना भाग उत्पादकों को दिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिंदे) : (क) 1963-64 के सीज़न में शर्करा के ज्यादा उत्पादन पर उत्पादन शुल्क में छूट की राशि 3.04 करोड़ रुपये और 1964-65 के सीज़न में 7.7 करोड़ रुपये का अनुमान है।

(ख) और (ग) : उत्पादन शुल्क में यह छूट शर्करा उद्योग को अधिक से अधिक शर्करा का उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहन के रुप में, आर सीज़न के आरम्भ और बाद के भागों में प्राप्त कम उपलब्धि की क्षतिपूर्ति और अधिक मात्रा में गन्ना एकत्रित करने पर अतिरिक्त खर्चों के लिये दी गयी थी। उत्पादन शुल्क में छूट के किसी भी भाग को इस प्रकार गन्ना उत्पादकों को देने की कोई शर्त नही थी।

कीटनाशक दवाइयों का विमानों से छिड़काव

3916. श्री रेड्डियार :
श्री मलाइछामी :
श्री व० गो० नायडू :

क्या **खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने के लिए हमारे पास इस समय कितने विमान हैं;

(ख) ये विमान किन किन स्थानों पर हैं;

(ग) विमानों की ईंधन-तेल क्षमता कितनी है; और

(घ) क्या हैदराबाद और मद्रास में एक एक विमान रखने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ताकि उनका दक्षिणी राज्यों में प्रयोग किया जा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) इस समय कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने के लिए 25 विमान उपलब्ध हैं।

(ख) भारत सरकार के 8 विमान नई दिल्ली में सफदरजंग हवाई अड्डे पर हैं। प्राइवेट सेक्टर के 7 फिक्सिंग विमान तथा 10 हैलीकौप्टर बम्बई में जुहू के अड्डे पर हैं।

(ग) कृषि के काम में लाये जाने वाले विभिन्न किस्म के विमानों तथा हैलीकौप्टरों की तेल की क्षमता निम्न प्रकार है :—

(1) डीएचसी—2 बीवर (एग्रीकल्चरल कंफिग्रेशन) 86 इम्पीरियल गैलनस (387 लिटर)

(2) आस्टर आटोकार—32 इम्पीरियल गैलनस (144 लिटर)

(3) पीज़ेडएल—101 गारोन—40 इम्पीरियल गैलनस (180 लिटर)

(4) पाईपर पीए—18 सुपर कब—36 यू०एस० गैलनस (136 लिटर)

(5) पाईपर पीए—25—235 पाओनी—40 यू०एस० गैलनस (151.4 लिटर)

(6) बेल 47जी—241 यू०एस० गैलनस (184.5 लिटर)

(घ) भारत सरकार की प्रथम वायवीय छिड़काव विस्तार योजना के अनुसार 2 वायवीय एकक कोयम्बटूर/मद्रास तथा हैदराबाद (बेंगमपेट) में स्थित होंगे। इन दोनों एककों में 5—5 विमान होंगे और इनका उपयोग आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर तथा केरल में किया जायेगा।

बोरझार हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वाइकांउट विमान का क्षतिग्रस्त होना

3917. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का वाइकाउंट विमान 1 अप्रैल, 1966 को गोहाटी में बोरझार हवाई अड्डे पर बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) क्या यह सच है कि आसाम क्षेत्र में चलने वाले अधिकांश विमान काफी पुराने हैं और उनको बदलने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस बात की जांच करने तथा विमानों को बदलने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) जब कि विमान को विमान चालक पार्किंग बे की ओर ले जा रहा था, नोज अंडर कैरेज टूट गया। नोज अंडर कैरेज के टूटने के कारणों की जांच एक जांच बोर्ड कर रहा है।

(ग) उड़न योग्यता के प्रमाण-पत्र को जारी करने से पहले सेवा पर लगाये जाने वाले प्रत्येक विमान की उड़न योग्यता की बड़ी सावधानी से जांच की जाती है। नागर विमान न के महानिदेशक द्वारा निर्धारित मरम्मत तथा सफाई और बदलने का कार्य निष्ठापूर्वक किया जाता है।

(घ) विमानों के बदलने का कार्य, परिचालन में मितव्ययता के आधार पर किया जाता है। इसी कारण से, कारपोरेशन डकोटा विमानों को बदलने में लगा हुआ है। वाइकाउंट विमानों ने विमानों की फटीग लाइफ के लिए निर्माताओं की संख्या के अभी तक केवल एक तिहाई से कम अवतरण किये हैं।

पासी-बदरपुर-अगरतला सड़क पर पुल

3918. श्री नि० रं० लास्कर : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में पासी-बदरपुर-अगरतला सडक पर "बारक" नदी पर एक सड़क पुल बनाने के काम में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) परियोजना के लिये कौन सा स्थान चुना गया है तथा कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) यदि पुल के निर्माण कार्य को पूरा करने का कोई समय निश्चित किया गया है तो कितना ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख): जलीय आंकड़ों के परीक्षण और सर्वेक्षण करने के बाद पुल का स्थान निश्चित रूप से तय कर लिया गया है। राज्य सरकार परियोजना का विस्तृत प्राक्कलन तयार कर रही है। पुल की लागत लगभग 92 लाख रुपये होने की आशा है। टेण्डरों को 30 अप्रल, 1966 तक प्राप्त होना है।

(ग) काम का ठेका दिये जाने के बाद से पुल लगभग दो वर्षों में पूरा हो जायगा।

Fare-Meters for Scooter Rickshaws

3919. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Transport Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that since the decision was taken to equip the scooter-rickshaws in Delhi with fare-meters, the price of the meter approved by Government has been increased from Rs. 350 to about Rs. 650 per meter ;

(b) whether it is also a fact that after changing certain parts of the existing milo-meters those can serve the puropose of fare-meters; and

(c) if so, the steps taken to remove the difficulty of the scooter drivers as also of the public ?

Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) No.

(b) Under Rule 4·55 of the Delhi Motor Vehicles Rules, 1940, only approved types of meteres can be allowed to be fitted as fare-meters to motor cabs and scooter-rickshaws. The existing milometers in the scooter-rickshaws have not been approved as a "fare meter" for the purpose of the said Rules.

(c) Two types of fare-meters have been approved by the State Transport Authority, Delhi for compulsory fitment to scooter-rickshaws. The manufacturers of these meters have been requested to arrange adequate monthly supplies of these meters for being fitted in the scooter-rickshaws in Delhi.

जोरहाट हवाई अड्डा

3920. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोरहाट हवाई अड्डे पर इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा यात्रियों के लिये पर्यन्त (टर्मिनल) भवन के लिये चुनी गई भूमि को आसाम राइफल्स के अधिकार से प्राप्त करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) भवन का निर्माण कब आरम्भ किया जायेगा और वह कब तक तैयार हो जायेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : भूमि को आसाम राइफल्स के अधिकार से प्राप्त कर नागर विमानन विभाग को देने के प्रश्न पर संबद्ध अधिकारियों से बातचीत हो रही है। जमीन प्राप्त होने के बाद इमारत का निर्माण आरम्भ किया जायेगा।

Ships from Poland

3921. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Poland has agreed to supply ships to India on long-term credit basis; and

(b) if so; the terms settled ?

Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) & (b). About two years ago, orders for the construction of 4 cargo liners were placed on a Polish Shipyard by the Shipping Corporation of India. One of these vessels has been delivered already and the remaining three are scheduled to be delivered before the end of this year. These orders were placed on rupee payment terms. No other orders have been placed on Polish Shipyards.

Food Aid from Japan

3922. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Japan propose to give Food aid worth Rupees one crore by way of gift to India ; and

(b) if so, the form of this aid ;

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Co-operation (Shri Govinda Menon) : (a) and (b). The Government of Japan have decided to make a gift of about 10,000 tons of rice and 8,000 tons of fertilisers to India as assistance for scarcity relief. The total value of this gift, including the cost of shipping it to India, is about Rs. 95 lakhs and will be delivered through the Japan Red Cross Society.

एयर इंडिया को हुई हानि

3923. श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में आंशिक जबरी छुट्टी तथा हड़ताल के कारण एयर इण्डिया को कुल कितनी हानि हुई; और

(ख) उसमें से विदेशी मुद्रा की कितनी हानि हुई ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) लगभग 5 लाख रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अनुमानतः कुल 105 लाख रुपये की हानि हुई है ।

(ख) लगभग 3.65 लाख रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अनुमानतः 76.65 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हुई ।

पर्यटन का विकास

3924. श्री दे० द० पुरी : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों में भारत में पर्यटकों के आगमन में अपेक्षाकृत बहुत कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत में पर्यटन की संभाव्यता को बढ़ाने के लिये सरकार का एक उच्च शक्ति-प्राप्त पर्यटक बोर्ड बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब और इसके सदस्य कौन होंगे तथा वह क्या कार्य करेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां। 1960 तक भारत में पर्यटन की बृद्धि की दर में 17 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई थी और वह पिछले पांच वर्षों में गिर गई है। 1961 से 1965 तक वृद्धि। ह्रास की प्रतिशत दर नीचे दी जाती है :—

1961	+13.6%
1962	−3.9%
1963	+4.8%
1964	+11.3%
1965	−5.6%

(ख) वृद्धि की दर में कमी के मुख्य कारण ये हैं :—

1. कुछ एशियाई देशों से प्रतियोगिता में वृद्धि हुई है और इन देशों ने भारत की अपेक्षा अपनी पर्यटक सुविधाओं को अधिक तेजी से समुन्नत किया है। ये देश जापान, फारमोसा, हांगकांग, फिलिपीन और थाईलैंड हैं। मध्यपूर्व देशों में संयुक्त अरब गणतंत्र, लेबनान और जोरडन हैं।

2. 1962 में चीनी आक्रमण के कारण आने वाले पर्यटकों में कमी हो गई। बाद के वर्षों में इसमें धीमी प्रगति हुई। किन्तु 1965 में पाकिस्तान के साथ संघर्ष के कारण आने वाले पर्यटकों में फिर से कमी हो गई। इन दो घटनाओं के कारण पर्यटक यातायात दूसरी ओर चला गया, और भारत में उसे फिर से आकर्षित करना अपेक्षया धीमी प्रक्रिया है।

3. विदेशों में भारत के बारे में जिस अभाव की तसवीर खींची जाती है वह भी पर्यटन में रुकावट उत्पन्न करती है।

(ग) और (घ) : जी हां। भारत के ट्रेवल एजेन्ट असोसिएशन से एक उच्च शक्तिय स्वायत्त शासीय पर्यटक मंडल की स्थापना का सुझाव प्राप्त हुआ है और इसका उल्लेख संसदीय वाद विवाद में भी हुआ है। सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं कर रही है।

सिलचर-मणिपुर सड़क

3925. श्रीमती ज्योत्स्ना चंदा : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार सिलचर मणिपुर सड़क को कब तक पूरा करने का है; और

(ख) हालांकि यह कार्य तीसरी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किया गया था, किन्तु फिर भी विलम्ब हो जाने के क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का आशय निर्माणाधीन इम्फल-सिलचर सड़क से है। इस सड़क के मार्च 1969 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ख) स्थानीय कारीगरों के न मिलने के कारण जरूरी भारी सड़क बनाने की मशीनों को प्राप्त करने में कठिनाई और असुरक्षा की वर्तमान दशाओं के कारण इस परियोजना की प्रगति पर प्रभाव पड़ा है।

खाद्य क्षेत्र

3926. श्री दी० चं० शर्मा :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य क्षेत्रों के भविष्य के बारे में निर्णय कर लिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख): जी नहीं। गेहूं क्षत्र के भविष्य के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है। इस पर बहुत ही शीघ्र निर्णय लिये जाने की सम्भावना है।

मुख्य निर्वाचन आफिसरों का सम्मेलन

3927. श्री किन्दर लाल :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन व्यवस्था तथा देश की परिसीमन सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिये अप्रैल, 1966 के दूसरे सप्ताह में पचमढ़ी (मध्य प्रदेश) में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन आफिसरों का एक सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी हां। 1967 के आरम्भ में होने वाले आगामी साधारण निर्वाचन के लिए की जाने वाली प्रारम्भिक कार्यवाही पर विचार-विमर्श करने के लिए, सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन आफिसरों का सम्मेलन पचमढ़ी (मध्य प्रदेश) में 9 से 12 अप्रैल, 1966 तक हुआ था। सम्मेलन में निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन सम्बन्धी किन्हीं भी विषयों पर विचार-विमर्श नहीं हुआ।

(ख) सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण विनिश्चय किये गये, वे इस प्रकार हैं :—

निर्वाचक नामावलियां : आगामी साधारण निर्वाचन से पर्याप्त समय पूर्व नामावलियों को अंतिम रूप से प्रकाशित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया और नामावलियों में अधिक परिशुद्धता सुनिश्चित करने के साधनोपायों पर विचार-विमर्श किया गया।

निर्वाचनों का संचालन : यह आवश्यक समझा गया कि जिला स्तर पर, और किन्हीं दशाओं में उप-खण्ड स्तर पर भी, एक आफिसर रहे जिसे जिला निर्वाचन आफिसर कहा जाए। वह निर्वाचनों के संचालन सम्बन्धी सभी व्यवस्थाओं का सर्वोपरि भारसाधक रहे और इस प्रयोजन के लिए उसे कानूनी शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि वह मतदान केन्द्रों की स्थापना करने, मतदान केन्द्रों के लिये और मत-पत्रों के मुद्रण और वितरण के लिये तथा मतदान-टोलियों के परिवहन और मत-पेटियों के संग्रहण तथा संगणना की व्यवस्था के लिये जनशक्ति जुटाने से सम्बन्धित सभी कार्य का अधिक अच्छे ढंग से समन्वय कर सके और जिससे निर्वाचन आफिसर मतदान कर्मचारियों के प्रशिक्षण और नामनिर्देशन पत्रों की प्राप्ति और पड़ताल तथा मतपत्रों की संगणना के लिये ही प्राथमिक रूप से उत्तरदायी रह जाए।

निर्वाचन और सहायक निर्वाचन आफिसर : अधिक दक्षता लाने के लिए यह विचार किया गया कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसी निर्वाचन आफिसर के पास दो से अधिक सन्सदीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं होने चाहिएं और इसी प्रकार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी निर्वाचन आफिसर के भार-साधन में तीन से अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं होने चाहिए।

मतदान-प्रक्रिया : यह विचार किया गया कि जिस प्रक्रिया का अनुसरण गत साधारण निर्वाचन में किया गया था वही प्रक्रिया आगामी साधारण निर्वाचन में जारी रखी जाये। वह प्रक्रिया यह है कि मतदाता को दोनों संसदीय और विधान सभा मत-पत्र एक साथ दिये जाएं और दोनों मत-पत्र डालने के लिए दो के स्थान पर एक ही मत-पेटी का उपबन्ध किया जाय।

मतदान केन्द्र : मतदाताओं की सुविधा के लिए यह आवश्यक समझा गया कि आगामी साधारण निर्वाचन में कम से कम 15,000 अधिक मतदान-केन्द्रों का उपबन्ध किया जाए।

मतदान कार्यक्रम : मतदान कालावधि को कम करने की सम्भावना पर विचार किया गया और साधारणतः इस बात पर सहमति थी कि देश भर में मतदान एक सप्ताह की कालावधि के भीतर पूरा कराना संभव होना चाहिए। इसके लिये एक, दो तीन या पांच दिन मतदान हो जैसा कि हर एक राज्य की जनशक्ति के स्त्रोतों और पुलिस कर्मचारियों की संख्या को दृष्टि में रखकर आवश्यक हो। यह महसूस किया गया कि मतदान कराने के लिये सर्वाधिक सुविधाजनक कालावधि फरवरी, 1967 का तीसरा सप्ताह होना चाहिए।

बैलटिंग-पद्धति : इस बात पर सहमति थी कि आगामी साधारण निर्वाचन में बैलटिंग पद्धति पंजाब में दो हिमावरुद्ध विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश में तीन निर्वाचन क्षेत्रों,

गुजरात, मनिपुर के कतिपय पहाड़ी क्षेत्रों और अंडमान और निकोबार द्वीपों, लक्कादीव और मिनीकोय द्वीपों तथा दादरा और नागर हवेली के संघ राज्य-क्षेत्रों में एक निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी।

संगणना-व्यवस्था : यह विनिश्चय किया गया कि संगणना प्रक्रिया में कुछ सुधार किए जाएं जिससे कि अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता मतों की संगणना का अधिक अच्छी तरह पर्यवेक्षण कर सकें। इस प्रयोजन के लिए विधान सभा और संसदीय मत-पत्रों की संगणना एक ही हाल में दो पृथक् समूहों द्वारा की जाएगी।

श्रीलंका को पशुओं का दिया जाना

3928. **श्री किन्दर लाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने श्रीलंका को कुछ पशु दिये है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने पशु दिये गये हैं; और

(ग) उनका मूल्य कितना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क), (ख) और (ग) : चार वर्ष की अवधि में कोलम्बो योजना के अन्तर्गत श्रीलंका को मुर्राह, मेहसाना तथा सूरती नस्लों की 1000 भैसें उपहार रूप में देने का प्रस्ताव है। 250 भैसों की पहली खेप प्रजनन क्षेत्रों से खरीदी जायेंगी और पोत संबंधी सुविधायें मिलते ही ये भैसें श्रीलंका को भज दी जायेंगी। प्रत्येक भैंस की अनुमानित लागत आयु तथा दूध देने की क्षमता के अनुसार 1000 से 1500 रुपए के बीच होगी।

तैवान से चावल

3929. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य समस्या हल करने में भारत की सहायता करने के लिये तैवान ने अपनी सहमति के प्रदर्शन के रूप में बीजों के लिए भारत को उपहार स्वरूप 100 टन चावल देने की पेशकश की है ;

(ख) क्या उस देश से कोई अतिरिक्त सहायता मांगी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) नेशनल टोनेज क्लब आफ इन्डिया को उपहार स्वरूप 100 टन चावल देने की पेशकश की गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

खाद्य परिष्करण उद्योग

3930. **श्री फिरोडिया** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी खाद्य परिष्करण उद्योग के प्रतिनिधि मण्डल ने, जो हाल में भारत आया था, अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) भारत सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उर्वरक करार में विदेशी पूंजी लगाये जाने के बारे में विश्व बैंक द्वारा पत्र लिखे जाने का समाचार

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : श्रीमानजी, मैं पैट्रोलियम और रसायन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

'प्रस्तावित उर्वरक करार के अन्तर्गत अधिकांशत: विदेशी पूंजी लगाये जाने की अनुमति दिये जाने के लिए विश्व बैंक के प्रधान द्वारा भारत सरकार को पत्र लिखे जाने के समाचार'

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : भारत सरकार को हाल में भेजे गये पत्र में विश्व बैंक ने विश्वास दिलाया है कि वे भारत की खाद्य समस्याओं को हल करने में महत्व पूर्ण योग दान देने की भरसक कोशिश करेंगे और बताया कि भारत सरकार और सारे विश्व में उसके हित चिन्तकों के लिए यह आवश्यक है कि वे यथा सम्भव वित्तीय एवं प्राकृतिक संसाधनों और तकनीकी तथा प्रबन्ध योग्यता का संग्रह करें ताकि खाद्य उत्पादन में आवश्यक वृद्धि प्राप्त हो सके । पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार की उन्नत फार्म टैक्नोलोजी (improved fauır technology) की पद्धति का बैंक ने स्वागत किया है । इस पद्धति में अधिक उत्पादन करने वाले पौदों की किस्मों, उर्वरक की अधिक मात्राओं, पौदों के बचाव के अधिक प्रभावशाली एवं विस्तृत उपायों तथा सिंचाई जल का ज्यादा और समुचित इस्तेमाल शामिल है । बैंक ने यह आशा भी व्यक्त की है कि आवश्यक प्राकृतिक साधनों, प्रोत्साहन मूल्यों एवं पर्याप्त फार्म ऋण के पूरा होने पर भारत के किसानों की प्रतिक्रिया सन्तोष-जनक होगी और अपेक्षित अधिक खाद्य उत्पादन प्राप्त हो सकेगा । बैंक ने इस बात पर भी जोर दिया है कि देश में उर्वरक क्षमता में प्रगति के लिए प्राइवेट विदेशी पूंजी अपने संसाधनों एवं तकनीकी से अधिक योग दान कर सकती है । पर अधिकतर विदेशी निवेशक बहुमत साझेदारी के रूप में ही भाग लेने की आशा करेंगे और रुपयों में वित्त को इकट्ठा करने की कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार या सरकार की निजी कारपोरेशन के लिए अभिष्ट होगा कि वे इन परियोजनाओं में गौण हिस्सेदार के रूप में निवेश के लिए सहमत हों ।

भारत सरकार ने विश्व बैंक के सुझावों पर ध्यान पूर्वक विचार किया और फैसला किया है कि :—

(क) किसी उर्वरक प्लांट की स्थापना के लिए जिसके लिए प्राइवेट साधनों से विदेशी मुद्रा का विश्वास दिलाया गया हो, कोई अच्छा प्रस्ताव रुपयों में वित्त की कमी के कारण असफल नहीं होने दिया जायेगा ।

(ख) जहां रुपयों में वित्त की प्राइवेट साधनों द्वारा व्यवस्था की जा रही है, वहां इण्डस्ट्रीयल डिवलेपमेंट बैंक और इण्डस्ट्रीयल फाइनान्स कारपोरेशन जैसी वित्तीय संस्थाएं, जो केवल गैर-सरकारी क्षेत्र में सहायता के लिए हैं, अपना सामान्य कार्य करेंगी; और

(ग) न ही सरकार और न ही फर्टीलाइज़र कारपोरेशन आफ इण्डिया जैसी सरकार की निजी कारपोरेशन, गौण आधार पर एक प्राइवेट विदेशी निवेशक के साथ साझेदारी करेगी । विदेशी बहुमत की फर्में गैर-सरकारी क्षेत्र में होंगी ।

श्री भागवत झा आजाद : उर्वरक के वितरण तथा उसके मूल्य निर्धारण के मामले में अमरीका वालों को असाधारण रियायतें दी गई हैं। करार के समय बहुसंख्यक अंशों के संबंध में तथा ऐमोनिया द्रव को फारस की खाड़ी से लाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था इन असाधारण शर्तों को ध्यान में रखते हुए जो कि देश के आर्थिक अधिकारों के विरुद्ध हैं क्या सरकार 120 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा उर्वरक संयंत्र को प्राप्त करने पर खर्च करना चाहती है ?

श्री अलगेशन : अपने मंत्रालय की मांगों पर चर्चा का उत्तर देते समय मैंने मूल्य तथा वितरण की नीति को काफी हद तक स्पष्ट कर दिया था। जहां तक ऐमोनिया को बाहर से मंगाने का संबंध है हम इसको बाहर से नहीं मंगायेंगे क्योंकि हमारे पास नेफ्था काफी मात्रा में है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में विदेशी सहयोग का जहां तक संबंध है, बहुसंख्यक अंश सरकार के पास होंगे। परन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओ मे विदेशी सहयोगी को बहुसंख्यक अंशों की अनुमति दी जा सकती है। जहां तक उर्वरक उत्पादन के बड़े कार्यक्रमों के लिये विदेशी मुद्रा देने के संबंध है, इस समय विदेशी मुद्रा की मांग बहुत अधिक है, इसलिये हमें अन्य साधनों को जुटाना होगा। परन्तु कोचीन और दुर्गापुर दो परियोजनाओं के लिये हमने निर्णय किया है कि इनके लिये हमें चाहे ऋण मिले या नहीं हम इनके लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा देंगे ।

श्री खाडिलकर (खेड) : क्या नये प्रस्ताव में यह शर्त रखी गयी है कि फारस की खाडी क्षेत्र से द्रव ऐमोनिया का आयात करने दिया जायेगा और यदि हां तो, क्या नफ्था पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा ?

श्री अलगेशन : जहां तक चतुर्थ योजना की आवश्यकता का संबंध है, 20 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिये हमारे पास नेफ्था पर्याप्त मात्रा में है। हमें आशा है कि हम पांचवीं योजना में भी नेफ्था की मांग को पूरा कर सकेंगे। चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिये हमारे पास नेफ्था पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। जहां तक फारस की खाड़ी से ऐमोनिया के आयात करने का संबंध है, हमें यह देखना होगा कि उर्वरक उत्पादन के लिये एमोनिया सस्ता पड़ेगा या नेफ्था। विश्व बैंक इसका अध्ययन करना चाहता है और हम उसमें भाग लेने के लिये तैयार हैं।

Shri Yogendra Jha (Madhubani) : Keeping in view the fact that we have not been able to achieve our targets of food production even to the extent 40 per cent, may I know whether Government have tried to take collaboration of Communist Countries also, if so, the results thereof ?

श्री अलगेशन : प्रश्न का पहला भाग मैं नहीं सुन पाया और प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर में पहले ही दे चुका हूं सरकारी क्षेत्र के दो उपक्रमों, अर्थात् कोचीन और दुर्गापुर के लिये वित्त मंत्रालय विदेशी लिये राजी हो गया है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : इस से पहले बेचटेल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने 20 प्रतिशत मुनाफे की मांग की थी। क्या अमरीकी फर्मों का यह प्रस्ताव उस प्रस्ताव से अच्छा है ?

दूसरे 10 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों के लिये प्रतिवर्ष 30 करोड़ रु० की आवश्यकता होगी। क्या सरकार अपनी प्रभुसत्ता को अमरीका वालों को दिये बगैर 30 करोड़ रु० प्रतिवर्ष दे सकेगी ?

श्री अलगेशन : प्रभुसत्ता को देने का कोई प्रश्न नहीं है। अपने नियोजित विकास के लिये हम दोनों ही गुटों से सहायता ले रहे हैं। इस प्रकार का प्रश्न उठाना सर्वथा अनुचित है। जहां तक बेचटेल प्रस्तावों का संबंध है उनको केवल मुनाफे के आधार पर ही अस्वीकार नहीं किया गया था अपितु इसके कुछ और भी कारण थे।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : यह उर्वरक करार हमरी औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प के विरुद्ध है। प्रधान मंत्री ने अमरीका में यह कहा कि अमरीकी पूंजी के लिये भारत के द्वार खुले हैं। इस घोषणा से पता चलता है कि भारत वास्तव में विश्व बैंक के हाथों में बिक चूका है। यह एक गंभीर मामला है। माननीय मंत्री गलत दलीलें दे रहे हैं।

श्री अलगेशन : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसमें कोई प्रश्न नहीं है जिसका मैं उत्तर दूं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : हम जानना चाहते हैं कि स्थिति क्या है।

अध्यक्ष महोदय : वह कहने का प्रयत्न कर रहे हैं....... **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री वारियर : सरकार का यह निर्णय, कि सरकारी क्षेत्र में विदेशी सहयोग केवल इसी आधार पर लिया जायेगा कि विदेशियों के पास अल्पसंख्यक अंश होंगे, विश्व बैंक से यह पत्र प्राप्त होने के बाद किया गया है अथवा बाद में कि विश्व बैंक और विदेशी फर्म बहुसंख्यक अंश मिलने पर भी सरकारी क्षेत्र में सहयोग देने को तैयार नहीं हैं ?

श्री अलगेशन : निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के संबंध में विदेशी बहुसंख्यक अंशों का निर्णय विश्व बैंक का पत्र मिलने से काफी पहले लिया गया था।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता-पूर्व) : कुछ दिन पहले माननीय मंत्री ने कहा था कि भारत सरकार अपने उर्वरक संयंत्र द्वारा बाजार में आने वाले उर्वरक की दो तिहाई मात्रा पर नियन्त्रण रख सकेगी और इस प्रकार इसके मूल्य पर प्रभाव डाल सकेगी। विश्व बैंक द्वारा रखी गई शर्तों को देखते हुए क्या सरकार उर्वरक के मूल्यों पर प्रभाव डाल सकेगी ?

श्री अलगेशन : दो तिहाई उत्पादन की बात उन परियोजनाओं के संबंध में लागू होती है जिनको हमने चतुर्थ योजना में अपने सामने रखा है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : प्रश्न यह था कि सरकार मूल्य पर किस प्रकार नियंत्रण कर पायेगी। इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री अलगेशन : उर्वरक उत्पादन का दो तिहाई सरकारी क्षेत्र में होगा। दूसरे, निजी क्षेत्र के उत्पादन का 30 प्रतिशत सरकार खरीद सकती है। तीसरे, हम उर्वरक आयात भी कर सकेंगे। इन तरीकों से मूल्यों पर नियंत्रण किया जायेगा।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : In view of these opportunities given to them I want to know whether Government will have control in keeping the prices at a lower limit.

श्री अलगेशन : इसका उत्तर मैंने पहले कई बार दिया है।

Mr. Speaker : He has stated three methods which will enable the Government to keep a check over the prices.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : In view of the fact that Government is making large profits in fertilisers, how will the Government be able to control the prices ?

Mr. Speaker : This is his opinion.

Shri Kishen Pattanayak (Sambulpur) : Are Government contemplating an independent scheme by which we can run all these industries independently of the aid we are getting, because they are pressurising us in our scheme ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : माननीय सदस्य की धारणा गलत है। हम पर किसी का कोई दबाव नहीं है। यदि हमें कोई सुझाव दिया जाता है और हम उसको अच्छा समझते हैं तो इस बात का ख्याल न रखते हुए कि वह किसने दिया है हम उसको स्वीकार करते हैं।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : विश्व बैंक ने जो शर्तें हमारे सामने रखी हैं उनमें तथा उन शर्तों में क्या अन्तर है जो बेचटेल मिशन द्वारा रखी गई थीं? गैर-सरकारी विदेशी पूंजी के संबंध में सरकार की जो नीति थी क्या उसमें इन शर्तों द्वारा कुछ परिवर्तन आ गया है ?

श्री अलगेशन : कोई परिवर्तन नहीं आया है। हम अपने निश्चय पर टिके हुए हैं। यदि कोई विदेशी सहयोगी इस देश के गैर-सरकारी क्षेत्र की किसी परियोजना में सहयोग देना चाहता है तो उसे बहु-संख्यक अंश मिल सकते हैं परन्तु सरकारी क्षेत्र की परियोजना के संबंध में उसको अल्प संख्यक अंशों से ही संतुष्ट होना होगा। इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

Shri Vishwanath Pandey (Salempur) : Apart from American entrepreneurs with what other countries negotiations have taken place ?

श्री अलगेशन : जापान और इटली जैसे देशों से ऋण के संबंध में बातचीत चली है। पश्चिम जर्मनी ने भी पेशकश की है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : हम विदेशी सहयोगी को मूल्य निर्धारित करने तथा वितरण का अधिकार दे रहे हैं। क्या भविष्य में हमें अमरीका से जो सहायता मिलेगी वह इसी आधार पर मिलेगी ?

श्री अलगेशन : इसका संबंध केवल उर्वरक उत्पादन से है।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : चूंकि भारत को विश्व बैंक से सहायता का मिलना इस बात पर अब तक निर्भर करता रहा है कि अमरीका में राय भारत के पक्ष में है अथवा भारत के विरुद्ध, तो क्या इससे यह विदित होता है कि अमरीका और विश्व बैंक में भारत को सहायता देने के सम्बन्ध में सख्ती बर्ती जा रही है ?

श्री अलगेशन : हमें इस बात पर उस हद तक विचार करना है, जिस हद तक इसका संबंध उर्वरक उत्पादन कार्यक्रम से है।

सदस्य की रिहाई
RELEASE OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि मुझे केन्द्रीय जेल, कन्नानोर के अधीक्षक से तार मिला है कि श्री प० कुन्हन, लोक सभा सदस्य को 17 तारीख को रिहा कर दिया गया है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन

परिवहन, असैनिक उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मैं गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड के 1965 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6069/66।]**

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम अधिनियम के अन्तर्गत अधिसुचना

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 19 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 406 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6070/66।]**

प्राक्कलन समिती

ESTIMATES COMMITTEE

सौवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं शिक्षा मंत्रालय-बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय---के बारे में प्राक्कलन समिति का सौवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)

RE: MOTION FOR ADJOURNMENT (QUERY)

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : श्रीमन्, हमने दिल्ली बन्द के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमती नही दी है। आप मुझे लिख सकते हैं।

श्री रंगा (चित्तूर) : यह खेद की बात है कि गृह मंत्री ने सभा में इस संबंध में वक्तव्य देना उचित नहीं समझा। उन्हें इस सभा को आश्वासन देना चाहिये था कि सुरक्षा संबंधी उपाय कर लिये गये हैं।

अनुदानों की मांगों सबंधी चर्चा का क्रम

ORDER OF DISCUSSION ON DEMANDS FOR GRANTS

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमन जी, पुनरीक्षित कार्य सूची को देख कर मैं कुछ उलझन में पड़ गया कि गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हमें बहुत महंगी पड़ेगी क्यों कि अब प्रधान मंत्री की सचिवालय की मांगों पर चर्चा नहीं हो सकेगी। मैं तो यह आशा करता था कि प्रधान मंत्री के सचिवालय की मांगों पर चर्चा के लिये भी समय निकाला जायेगा।

दुर्भाग्य से 28 तारीख के लिये छ: मंत्रालयों की मांगों को चर्चा के लिये रखा गया है। यह निश्चित है कि पांच मंत्रालयों की मांगो पर चर्चा नहीं हो पायेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप 29 तारीख को इन मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा होने दें।

राज्य-सभा वित्त विधेयक पर 9 मई से पहले चर्चा नहीं कर पायेगी। अत: सभा 30 अप्रैल, 3 और 5 मई को वित्त विधेयक पर चर्चा कर सकती है।

मैं जानना चाहता हूं कि पुनरिक्षित कार्यसूची बनाने में क्या आपकी अथवा कार्य-मंत्रणा समिति की सलाह ली गई थी। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि कार्यसूची में परिवर्त कार्य-मंत्रणा समिति की स्वीकृति के बगैर किया गया है। कम से कम प्रतिपक्षी दलों का तो परामर्श अनौपचारिक रूप से लिया ही जाना चाहिये था।

मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप यह आश्वासन दें कि जिन मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा नहीं हो पाई है उन मंत्रालयों के कार्य पर अगले सत्र के पहले सप्ताह में चर्चा की जायेगी। मैं आशा करता हूं कि आप यह आश्वासन दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई वचन नहीं दे सकता क्योंकि पिछली बार में इसको नहीं निभा सका।

श्री उ० म० त्रिवेदी (मंदसौर) : संचार मंत्रालय की चर्चा सब से अधिक महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा का कोई प्रबन्ध अवश्य किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: कुछ मंत्रालयों को तो विवाद से वंचित रहना ही पड़ेगा। कोई सदस्य किसी मंत्रालय को अधिक महत्वपूर्ण समझता है और कोई......

श्री उ० मू० त्रिवेदी : इसपर किसी की भी दो रायें नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: में नहीं समझता कि संसद् कार्य मंत्री सभा के नेता को यह देखने में कोई आपत्ति होगी कि किन मंत्रालयों को लिया जा सकता है।

सभा के नेता (श्री सत्य नारायण सिंह) : पहली अनुसूची के अनुसार 27 तारीख को अन्तिम दिन निश्चित किया गया था। आप से परामर्ष करके हमने एक दिन और बढ़ा दिया था। मुझे खेद है कि श्री कामत के हिसाब को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जहां तक मंत्रालयों के कर्म का संबंध है कार्य-मंत्रणा समति इसका निश्चय नहीं करती। वह तो केवल समय का आवंटन करती है।

हमने दलों के नेताओं से बातचीत की है। मामला कार्यमंत्रणा समिति के समक्ष रखा गया था और समय दिया गया था। प्रत्येक वर्ष मंत्रियों तथा मंत्रालयों से परामर्श करने के पश्चात् क्रम के बारे में सुविधा को देखते हुए निश्चिय किया जाता है। वे यह चाहते थे कि एक बार क्रम की घोषणा के बाद उसे बदला नहीं जाना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत: बिना हम से परामर्श किये ?

श्री सत्य नारायण सिंह : यह ठीक है। इस पर भी यह छोटा सा परिवर्तन किया गया है। अब सभा को इससे सहमत होना है अथवा नहीं। क्रम को इसलिये बदला गया है कि सभा में अप्रत्याशित चर्चायें हुई हैं और हम 7 दिन पीछे हैं। अतः हमने आपसे परामर्श करने के बाद यह निश्चय किया है कि 28 तारीख को 6 बजे मांगों पर चर्चा समाप्त हो जायेगी।

श्री हरि विष्णु कामत: मैं अभी भी संतुष्य नहीं हूं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मांगों पर चर्चा 28 की बजाय 29 को समाप्त की जाये। मैंने इसका अनुमान लगा लिया है और सभा के समक्ष रख दिया है। (**व्यवधान**)।

श्री दाजी (इन्दौर) : यदि मंत्री महोदय की यह बात मान ली जाय कि सामान्यतः कार्य-मंत्रणा समिति मंत्रालयों के क्रम में प्राथमिकता का निश्चय नहीं करती है तो यह देखते हुए कि इस वर्ष अनेक महत्वपूर्ण मंत्रालयों को छोड़ा जा रहा है, क्या यह उचित न होगा कि मामले को कार्य-मंत्रणा समिति के पास तथा, उन मंत्रालयों के पास भेजा जाय और सभा जिस पर चर्चा करना चाहे करे चाहे वह डाक व तार विभाग हो अथवा उद्योग मंत्रालय हो ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वह उस को सभा के समक्ष रखने को तैयार है और यदि सभा यह समझती है कि कोई परिवर्तन होना चाहिये तो उन्हें उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इस बारे में मैं उनसे बातचीत कर लूंगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : उन्होंने कहा था कि वह एक दिन और बढ़ाये जाने के लिये तैयार नहीं थे। वास्तव में 29 का शुक्रवार है और उस दिन केवल 1/2 दिन होगा—करीब 3 घंटे मिलेंगे। श्री कामत का सुझाव था कि सभा को 3 घंटे या अधिक और मिले। मैं माननीय मंत्री की हिसाब लगाने की योग्यता का सम्मान करता हूं परन्तु मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यदि 29 तारीख को किसी मंत्रालय के बारे में 3 घंटे चर्चा कर के चर्चा बन्द की जायेगी तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : तब भी हम अधिक से अधिक एक मंत्रालय पर ही चर्चा कर सकेंगे और 3 घंटे बाद अन्य मंत्रालयों के लिये चर्चा समाप्त करनी होगी।

Shri Bagri (Hissar): Mr. Speaker, Honourable Shri Nanda had assured the House yesterday that he would make a statement on the firing on the Adivasis.

गुजरात के पंचमहल जिलें में आदिवासियों पर गोली चलाये जाने के बारे में वक्तव्य

RE: STATEMENT ABOUT FIRING ON ADIWASIS IN PANCHMAHAL DISTRICT OF GUJARAT

श्री रंगा (चित्तूर) : कल गृहकार्य मंत्री ने वायदा किया था कि वह पंचमहल जिले में गोली चलाये जाने के बारे में एक वक्तव्य देंगे।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैं वक्तव्य दूंगा परन्तु अभी तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी है।

अध्यक्ष महोदय : अभी जानकारी नहीं मिल सकी है। वह बाद में वक्तव्य देंगे।

अनुदानों की मांगे—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—(*Contd.*)

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय की मांगों पर अग्रेतर चर्चा होगी। माननीय मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सर्वप्रथम मैं सभा के विभिन्न वर्गों द्वारा मेरे लिये व्यक्त किये गये विचारों के लिये धन्यवाद प्रकट करता हूं।

श्रम तथा पुनर्वास दोनों ही कठिन विषय है। दोनों में बड़ी समानता है। एक विभाग स्वतंत्रता के बाद विस्थापित व्यक्तियों से सम्बन्धित है और दूसरा समाज में शोषित व्यक्ति—श्रमिक से सम्बन्धित है।

विस्थापित व्यक्तियों की कई श्रेणियां हैं। इनको तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। देश के विभाजन के पश्चात बहुत बड़ी संख्या में लोक भारत आये थे। जो लोग पश्चिमी पाकिस्तान से आये थे उनकी संख्या लगभग 47 लाख थी और जो लोग पूर्वी पाकिस्तान से आये उनकी संख्या लगभग 41 लाख थी। 1964 में पूर्वी पाकिस्तान में साम्प्रदायिक झगड़ों के कारण

करीब 8 लाख विस्थापित भारत आये। तीसरे, जब 1965 में पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो जम्मू और काश्मीर में $2\frac{1}{2}$ लाख व्यक्ति और पंजाब में 42,000 और राजस्थान में 9,000 व्यक्ति विस्थापित हो गये।

जहां तक विभाजन के समय हुए विस्थापितों की समस्या का सम्बन्ध है पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापितों की समस्या सरकार की सहायता और उन लोगों के अपने उद्यम से किसी हद तक हल हो चुकी है। अब यह समस्या बहुत ही सीमित रह गई है और ऐसी आशा है कि अगले कुछ महीनों में यह पूर्ण हल हो जायेगी।

हमने 180 करोड़ रुपये से अधिक मुआवजा दिया है। अभी 1.6 या 1.7 करोड़ के दावों का और निपटारा किया जाना है।

पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों की समस्या एक कठिन समस्या है। पश्चिमी बंगाल स्वयं अलग कटा हुआ प्रदेश है। करीब 41 लाख शरणार्थियों को बसाया जाना था। इनमें से लगभग 33 लाख लोगों को पश्चिमी बंगाल में ही बसाया जा चुका है। लगभग 9 लाख लोगों को पश्चिमी बंगाल से बाहर पड़ौसी राज्यों में जैसे, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तथा अन्य राज्यों में बसाया गया है। उनके बारे में भी यह कहा जा सकता है कि उनका पुनर्वास उपयुक्त ढंग से किया जा चुका है। अब भी स्थायी दायित्व शिबिरों में बड़ी संख्या में विधवाएं विकलांग और अन्य निराश्रित व्यक्ति है। हम उनकी दशा सुधारने के लिये बड़ी तेज़ी से कार्य कर रहे हैं।

1963 के पश्चात जो नये व्यक्ति पश्चिमी बंगाल से आये हैं उनकी संख्या 8 लाख है और उनमें से अधिकांश व्यक्ति कृषक हैं और उनको भूमि दिये जाने की आवश्यकता है। हम देश के विभिन्न भागों में उनके लिये भूमि प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं। उनको बसाने के लिये दण्डकारण्य योजना है। हम इन लोगों को बड़ी संख्या में अन्दमान और निकोबार द्वीपों में बसाने की सम्भावना की जांच कर रहे हैं। हम वहां पर पहले ही 600 परिवार भेज चुके हैं। वे वहां पर बहुत सुखी हैं। हमने महाराष्ट्र में चान्दा ज़िले और मध्य प्रदेश में बेतूल ज़िले में बड़े क्षेत्रों का विकास आरम्भ कर दिया है। अभी हाल में उड़ीसा के फूलबनी में कुछ क्षेत्र का विकास करने का निर्णय किया गया है। आशा है कि लगभग 6,000 परिवारों को फूलबनी में पुनः बसाया जा सकेगा।

आसाम में भी विकास करने के लिये कुछ क्षेत्र निश्चित किये गये हैं और वहां पूर्वी बंगाल से आने वाले विस्थापितों को बसाया जायेगा। इस समय नये विस्थापित व्यक्तियों में से लगभग 40,000 परिवार शिबिरों में हैं। इन व्यक्तियों को शिबिरों से अन्य स्थानों पर भेजने का यथा-सम्भव शीघ्र प्रयत्न किया जा रहा है। हम छोटे पैमाने के बहुत से उद्योग स्थापित करने की सम्भावना पर विचार कर रहे हैं जिन में 20,000 परिवारों को काम पर लगाया जा सके।

हम विभिन्न राज्य सरकारों से यह पता लगा रहे हैं कि खेतिहर मजदूरों की कहां कहां कमी है जिस से कुछ लोगों को शिबिरों से वहां भेजा जा सके। वे वहा बस जायेंगे।

बस्तियों तथा शिबिरों में कुछ कठिनाइयों के सम्बन्ध में कहा गया है। पूर्वी बंगाल में 22 करोड़ रुपये की समस्या है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हमने 14 करोड़ रुपये की योजनाओं की स्वीकृति पहले ही दे दी है और 5.15 करोड़ रुपये तक की योजनाओं को स्वीकार करने का वित्तीय अधिकार पूर्वी बंगाल सरकार को प्रत्यायोजित कर दिया है। अगले दो या तीन महीनों में पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के बारे में शेष काम को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। जहां तक इन योजनाओं को कार्यान्वित करने का सम्बन्ध है यह पश्चिमी बंगाल सरकार की जिम्मेदारी है। हमने वहां की सरकार से इस कार्य को शीघ्रता से करने के लिये कहा है। हम जहां कही बस्तियां बसाते हैं, वहां तकनीकी प्रशिक्षण, स्कूलों और कालिजों आदि की व्यवस्था करते हैं।

पाकिस्तानी आक्रमण के कारण विस्थापित हुए लोगों में से लगभग $1\frac{1}{2}$ लाख को जम्मू और काश्मीर क्षेत्र में अपने घरों में वापिस भेज दिया गया है।

[श्री जगजीवन राम]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

ताशकन्द घोषणा के बाद जब दोनों ओर सेनायें पीछे हटी थी तब से विस्थापित लोग अपने घरों को बड़े धीरे धीरे वापस जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने पीछे हटते हुए कई स्थानों को नष्ट कर दिया है जल दूषित कर दिया और सुरंगे बिछा दी तथा बम रख दिये। जब तक सेना यह सब ठीक न कर दे उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। खेमकरन क्षेत्र में हमने कई ट्यूब वल लगाये हैं ताकि पीने के पानी को सुविधा हो सके। अब पंजाब के लोग भी अपने घरों को वापस जा रहे हैं। जम्मू और काश्मीर में लोग तेज़ी से जा रहे हैं।

जहां तक सहायता का सम्बन्ध है, हमने पंजाब में 50 लाख, जम्मू और काश्मीर में करीब करीब 2 लाख और राजस्थान में करीब 4 लाख रुपया व्यय किया है। हमने टूटे हुए मकानों की मरम्मत के लिये माली सहायता दी है। खेतिहर मज़दूरों को भी सहायता दी है ताकि वे अपना कार्य चला सकें। जम्मू तथा काश्मीर के लिये 8 से 10 करोड़ रुपया और पंजाब और राजस्थान के लिये 3 या 4 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

पंजाब में सड़कों आदि की मरम्मत, उद्योगों के स्थापित करने, तथा नगरपालिकाओं को सहायता के लिये 1.11 करोड़ रुपये की सहायता दी है। हाल के पाकिस्तानी हमले के कारण विस्थापित लोगों को हम शीघ्र बसाने के लिये यत्न कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त लगभग 1,25,000 विस्थापित लोग बर्मा से आये हैं। अधिकांश मद्रास, आंध्र प्रदेश तथा कुछ बिहार और उत्तर प्रदेश में आये हैं। उनमें से अधिकता खेतिहर है। वहां वे अच्छी परिस्थिति में थे परन्तु यहां कंगाल हो कर आये हैं क्योंकि उन्हें अपने साथ कुछ लाने नहीं दिया गया है। कठिनाई कृषकों के बारे में है। हम राज्य सरकारों को इस बात के लिये मनवा नहीं सके हैं कि बर्मा के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये कुछ भूमि दें। कुछ मुख्य मंत्रियों के सामने यह मामला व्यक्तिगत रूप से उठाया गया है।

स्वर्गीय प्रधान मंत्री और श्रीलंका के प्रधान मंत्री के बीच हुए करार के फलस्वरूप 5 लाख से अधिक लोग अगले वर्ष से श्रीलंका से भारत वापस आना आरम्भ करेंगे। हमने श्रीलंका से आने वाले लोगों की समस्या हल करने के लिये राज्य सरकारों से स्वेच्छा से और उत्साह से सहयोग देने की प्रार्थना की है। हमारा विचार कुछ सामाजिक संगठनों की सहायता लेने का भी है।

अतः सभा को पता हो गया होगा कि विस्थापित व्यक्तियों की समस्या बराबर चलने वाली समस्या है और पुनर्वास मंत्रालय को एक न एक समस्या का सामना करते रहना पड़ेगा। पाकिस्तान में अभी 80 लाख अल्पसंख्यक है जो कुल जनसंख्या का 23 प्रतिशत है। ताश्कन्द भावना भी खतरे में है और पता नहीं कब पूर्वी बंगाल में गड़बड़ पैदा हो जाये।

मोंजामबीक से आने वाले विस्थापित लोगों को बम्बई व गुजरात में धार्मिक संस्थाओं ने बसा दिया है।

अब मैं श्रम के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मुझे स्वाधीन भारत का प्रथम श्रम मंत्री होने का सौभाग्य मिला था। देश में योजनाओं के बनने से बहुत पहले मैंने श्रम के लिये एक पंचवर्षीय योजना बनाई थी।

जहां तक श्रम सम्बन्धी नीति का सम्बन्ध है, मैं कह सकता हूं कि यह बहुत ही उपयुक्त नीति है। हो सकता है कि गत वर्षों के अनुभव और आर्थिक तथा प्रौद्योगिक प्रगति को देखते हुए नीति सम्बन्धी उपबन्धों में यत्र तत्र कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़े। परन्तु इसके लिये सामाजिक चेतना की आवश्यकता है। जिस से कि समाज के उस वर्ग के लिये जो भी व्यवस्था की जाये उसको ईमान्दारी और प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित किया जाये परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

श्रम सम्बन्धी कानूनों के अतिरिक्त हम ने देश में त्रिपक्षीय व्यवस्था स्थापित की है जिसमें मालिकों, कर्मचारियों तथा सरकार का प्रतिनिधित्व होता है और मजदूरों के बारे में नीति सम्बन्धी सभी मुख्य निणय इसी त्रिपक्षीय निकाय में किये जाते है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये की कर्मचारी वर्ग की समृद्धि या गरीबि राष्ट्र की सामान्य समृद्धि पर निर्भर है। हमारा आर्थिक विकास ठीक ढंग से नहीं हुआ है। धन का वितरण युक्तिसंगत ढंग से नहीं हुआ है। एकाधिकार शक्तिशाली बने हुए है और धन का कुछ हाथों में केन्द्रण बढ़ा है।

राष्ट्रीय आय के प्राक्कलनों से पता चलता है कि दो पंचवर्षीय योजनाओं के 10 वर्ष के काम में 190 अरब की अतिरिक्त आय हुई। इस में से 25.5 अरब रुपये का सरकारी व्यय को बढ़ाने के लिये उपयोग किया गया और 25.5 अरब रुपये की घरेलू बचत निवेश के लिये हुई। 139.3 अरब रुपया 10 वर्षों के लिये निजी उपभोग के सम्बन्ध में वितरण के लिये बचा था। चूंकि प्रति वर्ष जनसंख्या 70 से 80 लाख की दर से बढ़ रही है, 85.6 अरब रुपया नई जनसंख्या को जीवन स्तर देने के लिये व्यय हुआ। 190 अरब की कुल वृद्धि में से 53.7 अरब रुपया कुल जन संख्या का जीवन स्तर उठाने के लिये काम में आया था। इस से प्रति व्यक्ति पर 2.5 रुपये का उपभोक्ता व्यय आता है। 1950-51 में यह 219 रुपया था। इस से 1.1% प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है। तीसरी योजना काल के सम्बन्ध में ऐसे आंकड़े नहीं मिल रहे हैं। महलनवीस समिति तथा एकाधिकार आयोग ने यह कहा है कि लोगों का स्तर उठाने के लिये उपभोग पर नियंत्रण किया जाये। अधिक आय वाले वर्गों तथा अधिक लोगों द्वारा उपभोग की कमी की जानी चाहिये। मैंने इसी लिये कहा है कि श्रम नीति आर्थिक नीति पर निर्भर करती है।

हमारे देश में संघीय व्यवस्था है। श्रम समवर्ती सूची में है। हम राज्य सरकारों की गतिविधियों को समन्वित करने का यत्न कर रहे है और हम राज्य सरकारों पर ज़ोर दे रहे है कि वे उन कानूनों को प्रभावशाली ढंग से लागू करें जिनको लागू करने की ज़िम्मेदारी उन पर है।

जब से मैंने कार्यभार संभाला है तालाबन्दी छंटनी आदि की समस्यायें मेरे सामने आई हैं।

तालाबन्दी को रोकने का हम पूरा प्रयत्न करते हैं परन्तु जब तालाबन्दी अनिवार्य हो जाती है तो श्रमिकों को जबरी छुट्टी और छंटनी के लाभ दिए जाने चाहिये। पाकिस्तान के हमले के कारण जो उद्योग बन्द हो गये थे उनको हमने सहायता दी है।

श्रम सम्बन्धी कानूनों को लागू करने में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में कोई विभेद नहीं किया जाता है। गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र से अधिक झगड़े मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपे जाते है। गैर-सरकारी क्षेत्र न्याय-निर्णय को मान्यता देता है। सरकारी क्षेत्र में जहां कहीं भी न्याय-निर्णय का प्रश्न उत्पन्न होता है तो हम सम्बन्धित मंत्रालय से इस मामले पर बात-चीत करते हैं और न्यायधिकरण के बिना ही हम इस मामले के झगड़ों को दूर करने का यत्न करते है। कुछ मामलों में सरकारी क्षेत्र का गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में कुछ विशेष ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि हम को इस क्षेत्र का विस्तार करना है। इस विस्तार से देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जहां श्रमिक उद्योगों में प्रभावशाली ढंग से भाग ले सकेंगे।

गैर-सरकारी क्षेत्र में भी हम ने प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लेने की व्यवस्था आरम्भ कर दी है। परन्तु इस सम्बन्ध में प्रगति अभी सन्तोषजनक नहीं है। हाल ही में हमने खान तथा धातु मंत्रालय के अधीनस्थ सभी उपक्रमों के प्रबन्धकों तथा प्रबन्ध निदेशकों के साथ एक सम्मेलन किया था। उन्होंने श्रमिकों के साथ सम्बन्धों के बारे में बहुत प्रगतिशील तथा अच्छे विचार व्यक्त किये थे।

हमने बहुत से उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड बना रखे हैं परन्तु इन में से कुछ काफी समय ले लेते हैं। मैं इनमें शीघ्रता लाने के संबंध में जांच करूंगा। एक माननीय सदस्य ने इंजीनियरी उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड के बारे में पूछा था तो मैं बताना चाहता हूं कि यह मामला इस बोर्ड के सभापति को उनकी राय जानने के लिये लौटाया गया है क्योंकि उन्होंने अपनी राय के बिना ही इसे सरकार के पास भेज दिया था। श्री दी० चं० शर्मा ने पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड के बारे में पूछा था। तो

[श्री जगजीवन राम]

जो बोर्ड 6 वर्ष पूर्व बना था बताया गया है कि उसकी सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं। एक और मजूरी बोर्ड बनाया गया है और इसकी सिफारिशें प्राप्त होते ही सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी।

खेद है कि भूमिहीन श्रमिकों और छोटे किसानों के लिये सरकार द्वारा इतने प्रयास करने के बावजूद उनकी दशा में कोई सुधार नहीं हो पाया है। इसका कारण यह है कि यह लाभ सर्व साधन-सम्पन्न प्रभावशाली बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा हड़प लिये जाते हैं।

कई माननीय सदस्यों ने न्यूनतम मजूरी अधिनियम के बारे में पूछा है। 1948 में जब यह विधेयक पारित हुआ तो यह मुख्यत: कृषि श्रमिकों के लिये था। अधिकतर राज्यों में न्यूनतम मजूरी निश्चित न किये जाने के कारण प्रत्येक वर्ष समय सीमा बढ़ानी पड़ी थी। यही दशा बहुत से अगठित उद्योगों में भी है जहां यह मजूरी निश्चित तो कर दी गई है परन्तु कई वर्षों से इसे सुधारा नहीं गया है। वास्तव में इनकी दशा सुधारने का कोई सरल और बना बनाया तरीका नहीं है क्योंकि इसका संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि तथा समाजवादी समाज की ओर हमारी प्रगति से है। इसका एक तरीका तो यह है कि श्रमिक आंदोलनों के नेतागण कृषि श्रमिकों में भी थोड़ी रुचि रखें। यदि वह अपने को संगठित कर लें तो ऐसे संगठन उनकी दशा सुधारने के लिये दबाव डाल सकते हैं। उद्योगों की भान्ति कृषि के क्षेत्र में मजूरी उत्पादन की क्षमता पर निर्भर नहीं करती। ग्राम्य क्षेत्रों में मजूरी परम्परागत होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई कठिनाइयां हैं और सरकार भी इस पर विचार कर रही है।

इसके अतिरिक्त एक और प्रकार के श्रमिक भी हैं जिन्हें सफाई मज़दूर कहा जाता है। श्री बाल्मीकी और श्री बूटा सिंह उनका पक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं। गत 30-35 वर्ष से मैं भी उनकी दशा सुधारने के लिये प्रयत्नशील रहा हूं। परन्तु अब तक मैं यह निश्चय नहीं कर पाया कि एक मजूरी बोर्ड बना देने से उनकी कठिनाइयां तथा समस्यायें दूर हो जायेंगी। परन्तु मैं एक अध्ययन दल अथवा एक आयोग बनाने की आवश्यकता पर विचार कर रहा हूं। 35 वर्ष पूर्व एक रॉयल कमीशन ने इस प्रश्न पर विचार किया था। हमारा विचार है अब फिर देश के श्रमिकों की दशा जानने के लिये एक पूरे तथा व्यापक सर्वेक्षण की आवश्यकता है।

बोनस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी उपक्रम चाहे वह लाभ कमा रहा हो अथवा उसे घाट हुआ हो कम से कम 4 प्रतिशत बोनस अपने कर्मचारियों को देगा और बोनस की अधिकतम सीमा 20 प्रतिशत थी। यह अधिनियम लागू होने से पूर्व कुछ उपक्रम अधिक बोनस दे रहे थे इससे कठिनाई उत्पन्न हुई। कुछ उद्योगों में यह मामला मैत्रीपूर्ण ढंग से हल हो गया है परन्तु जहां कोई हल नहीं निकला वहां मामला न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया है।

अधिकांश नियोजक इसे लागू करने में संकोच बरतते हैं क्योंकि इसके कुछ उपबन्धों को उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। परन्तु मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से भी इसे हल करने का प्रयत्न करता रहा हूं और आगे भी करूंगा।

जनसंख्या में इतनी अधिक वृद्धि होते रहने से निकट भविष्य में बेरोजगारी की समस्या का थोड़ा भी समाधान होने की आशा नहीं है। इसके लिये अधिक पूँजी विनियोजन, अधिक आर्थिक विकास और स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है। इसीलिये चौथी योजना में हमने बड़े पैमाने पर तकनीकी तथा व्यवसायिक कार्यक्रम आरंभ कर दिया है और एक लाख रुपया अधिक इस प्रयोजन के लिये रखा है। हमारा प्रयत्न लोगों को इस प्रकार का प्रशिक्षण देने का होगा जिससे उन्हें तुरन्त रोजगार मिल सके। हम निकट भविष्य में सभी तकनीकी ज्ञान प्राप्त लोगों को तो रोज़गार

नहीं दिला सकते परन्तु कहीं पर कोई बड़ी भारी खराबी है जिस कारण इंजीनियरिंग में उपाधिप्राप्त लोग 2-3 वर्ष से बेकार हैं। हमें देखना होगा कि केवल उन्हीं उद्योगों को प्रोत्साहन मिले जिन की बड़ी मांग है और हमारा प्रशिक्षण भी इसी प्रकार इन उद्योगों के अनुरूप होना चाहिये।

श्रमिक संघों को अनिवार्य रूप से मान्यता देने के बारे में संशोधन श्रमिक संघ अधिनियम में 16, 17 वर्ष पूर्व लाया गया था। इसके लिये अब भी मैं और संशोधन करने को तैयार हूं। हाल ही में सड़क परिवहन और बिजली कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया गया है।

कई अन्य क्षेत्रों में भी कानून बनाने की आवश्यकता है। कुछ समय पश्चात् हम श्रमिकों के लिये, विशेषकर उद्योगों के अगठित वर्गों के श्रमिकों की सुरक्षा के लिये कानून बनायेंगे।

कर्मचारी भविष्य निधि और कोयला-खान भविष्य निधि लागू कर दी गई है और शीघ्र ही मेरा विचार पेंशन योजना बनाने का भी है। परन्तु मुझे चिन्ता इस बात की है कि कुछ नियोजक कर्मचारियों से पैसा वसूल कर लेते है और अपना पैसा मिला कर इसे भविष्य निधि में जमा नहीं करवात हैं। इस प्रकार अब तक 4 करोड़ रुपये बकाया हैं, इससे कर्मचारियों की हानि होती है। परन्तु हम ने यह उपबन्ध रखा हुआ है कि ऐसी अवस्था में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों उनके द्वारा जमा कराया गया धन उस समय उन्हें मिले।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत लगभग 30 लाख कर्मचारी आ चुके हैं। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको अच्छे स्तर की चिकित्सा तथा नकद लाभ मिले।

अन्त में मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि मेरा मंत्रालय उन सभी सुझावों पर विचार करेगा जो माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रख गये तथा अस्वीकृत हुए।
Cut motions Nos. 1 to 11 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुई / *The following Demands in respect of the Ministry of Labour Employment and Rehabilitation were put and adopted.*

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
70	श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय	58,93,000
71	खानों का मुख्य निरीक्षक	34,52,000
72	श्रम और नियोजन . .	10,60,16,000
73	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय . .	10,14,73,000
74	श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	63,27,000
134	श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	9,24,92,000

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की मांग संख्या 34 से 40 और 124 से 126 पर विचार करेगी।

वर्ष 1966-67 के लिये, खाद्य, कृषी, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
34	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय .	1,05,72,000
35	कृषि	4,01,63,000
36	कृषि सम्बन्धी गवेषणा	9,21,52,000
37	पशुपालन	1,55,92,000
38	सामुदायिक विकास प्रायोजनाएं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा	39,63,000
39	वन	1,79,11,000
40	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	36,70,93,000
124	वनों पर पूंजी परिव्यय .	1,18,000
125	अन्न की खरीद	3,69,74,28,000
126	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	92,30,61,000

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : सरकारने 1966-67 के लिये गेहूं सम्बन्धी नीति पर विचार किया है और यह निर्णय किया है कि वर्तमान पंजाब गेहूं क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों को मिला दिया जाये और वर्तमान क्षेत्रीय प्रतिबन्धों में रूपभेद किया जाये। उस क्षेत्र में गेहूं तथा चने के लाने ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा ।

उक्त निर्णय हाल ही में दिल्ली में मुख्य मंत्रियों के साथ हुए विचार विमर्श के आधार पर किया गया है। मतैक्य यह था कि यदि गेहूं परसे क्षेत्रीय प्रतिबन्ध पूर्णतया हटा लिये जाये तो इस बारे में अनुमान लगाना कठिन है कि मूल्य तथा सम्भरण की स्थिति क्या होगी। सूखे की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार के भण्डारों में इतना अधिक अनाज नहीं है कि वह कमी तथा उसके फलस्वरूप बढ़ते हुए मल्यों को स्थिति पर नियंत्रण रख सके। देश की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु गेहूं की कम से कम मात्रा में वसूली कर सकना कठिन होगा। वितरण कार्य अगले कुछ वर्षों के लिय खाद्य नीति का अभिन्न अंग रहना चाहिये।

कुछ राज्य यथापूर्व स्थिति बनाये रखने के पक्ष में थे परन्तु सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रत्येक राज्य को एक क्षेत्र बनाने से फालतू अन्न वाले राज्यों को कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उदाहरणार्थ एसे राज्य अनाज की वसूली इस दर पर नही कर पायगे जो उत्पादक के लिये लाभप्रद हों। भविष्य के लिय गेहूं के बारे में नीति निर्धारित करते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि उत्पादक को वास्तव में पर्याप्त मूल्य मिले। जब तक गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये विशेष उपाय नही किये जाते तब तक हम गेहूं की मांग तथा इसकी पूर्ति में अंतर को चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भी दूर नहीं कर सकेंगे और आयात पर हमारी निर्भरता में कोई कमी नही होगी। अत: यह आवश्यक है कि गेहूं उपजाने वाले प्रमुख राज्यों में गेहूं का मूल्य इस प्रकार से निश्चित किया जाये जिस गेहूं

के उत्पादन में शीघ्रता से वृद्धि हो और उन अधिक उपजाऊ किस्मों का प्रचार किया जा सके जिनको उगाने के लिये बहुत ही वस्तुओं की अवश्यकता होती है।

यदि चार अथवा पांच राज्यों को मिलाकर एक बड़ा क्षेत्र बना दिया जाये तो उत्पादकों को पर्याप्त से भी अधिक मूल्य मिल सकता है परन्तु भय इस बात का है कि इस में मूल्य एक ऐसे स्तर पर स्थिर हो जायेंगे जिससे उपभोक्ता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि अनाज को उचित दरों पर वसूल किया जाये और इस प्रकार उत्पादक की मांगों तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाये रखा जाये। इसी संदर्भ में सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये पंजाब तथा उत्तर प्रदेश का एक ऐसे सीमित क्षेत्र बनाने के लिये उपयुक्त प्रबन्ध किया जाये जिस में सभी क्षेत्रीय प्रबन्धों को हटाने अथवा एक बड़ा क्षेत्र बनाने में जो जोखिम अन्तग्रस्थ हैं उनको कम किया जा सके। अतः इस निर्णय का सीमित प्रयोजन है। और इस से यह नहीं समझा जाना चाहिये कि सरकार की खाद्य नीति के उन उद्देश्यों को बदला गया है जिनका हाल ही में नियुक्त की गई अनाज नीति समिति द्वारा की जाने वाली सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र पुनर्विलोकन किया जायेगा।

प्रस्तावित क्षेत्र में सम्बन्धित सरकार की सहायता से खाद्य निगम कमी वाले क्षेत्रों को कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये गहूं तथा चने खरीदेगा। पिछले वर्ष पंजाब में मूल्य ऐसे स्तरों पर बने रहे जिस में उत्पादक को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिल सकता था। कृषि आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि खाद्य निगम अथवा राज्य एजेंसियों द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिये प्रस्तावित क्षेत्र में सरकार लाल, सफेद, और अधिक अच्छी किस्म का गेहूं का 54 रुपये, 58 रुपये तथा 62 रुपये तक मूल्य पर खरीदने के लिये तैयार है।

पंजाब में मकई के कम मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि उस राज्य से मकई बाहर ले जाने पर जो प्रतिबन्ध हैं उन्हें हटा दिया जाये।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं अपने विभिन्न कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

देश के सामने इस समय जो अभूतपूर्व खाद्य संकट है वह स्वाधीनता प्राप्त करने के समय से लेकर अब तक सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली विनाशकारी आर्थिक नीतियों की चरम सीमा है। आयोजन में गलत प्राथमिकताओं, कृषि की उपेक्षा, अपव्यय, भ्रष्टाचार, अत्यधिक नियंत्रण तथा विदेशी सहायता पर हमारी अधिक निर्भरता के कारण हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था बिल्कुल नष्ट हो गई है। प्रत्येक योजना के आरम्भ में यह वचन दिया जाता रहा है कि योजना के अन्त तक हम अनाज में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे परन्तु खेद है कि आत्मनिर्भरता होना तो दूर रहा इस के विपरति खाद्यान्न के आयात पर हमारी निर्भरता बढ़ती ही चली जा रही है। पहली पंचवर्षीय योजना काल में हम प्रतिवर्ष औसत 24 लाख टन अनाज मंगाते रहे थे जबकि अब 1.2 करोड़ टन अनाज बाहर से मंगाया जा रहा है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। फिर भी वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि हम अनाज बाहर से मंगाये और हम संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य देशों के आभारी हैं कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के महा-सचिव और खाद्य तथा कृषि संगठन के निदेशक की अपील को स्वीकार कर इस संकट की घड़ी में हमारी सहायता की है।

यह समझ में नहीं आता कि एक ओर तो सरकार ने सभी देशों से अन्न आदि देने की अपील की है परन्तु दूसरी ओर इज़राइल द्वारा खाद्यान्न के बारे में की गई पेशकश को इस आधार पर ठुकरा दिया कि इस से अरब देशों के साथ हमारे सम्बन्धों में कटुता उत्पन्न हो जायेगी। इसी प्रकार ताइवान से संकर चावल के बीज मंगवाने के रास्ते में राजनयिक सिद्धान्तों को रुकावट नहीं बनने दिया जाना चाहिये। यह सब बातें हमारे देश के हितों के विरुद्ध हैं। अतः सरकार को राजनयिक सिद्धान्तों के कारण वास्तविकताओं को नहीं भुला देना चाहिये। आज हम देखते हैं कि युद्ध-पूर्व के हमारे रुपये की 14 पैसे कीमत रह गई है। हम जुआरियों की तरह प्रत्येक योजना पर इस

[श्री प्र० के० देव]

आशा से अधिकाधिक खर्च करते चले गये कि इस बार हमें इतना लाभ होगा कि पहले जो हानि हुई है वह भी पूरी हो जायेगी परन्तु प्रत्येक बार हमारी आशाओं पर पानी फिरता रहा। उत्पादन में वृद्धि होने का बजाये कमी हो गई है। पिछले वर्ष दालें समेत कुल 884 लाख टन अनाज पैदा हुआ और इस वर्ष यह केवल 759 लाख टन पैदा हुआ है और इस प्रकार 125 लाख टन कम उत्पादन हुआ है। इस का कारण यह है कि हमारे कृषि-प्रधान देश में कृषि की उपेक्षा की जाती रही है। नाइट्रोजिन वाले उर्वरक के बारे में हमारा लक्ष्य 102 लाख टन उत्पादन करने का था परन्तु हम केवल 60 लाख लाख टन ही पैदा कर पाये हैं। सिंचाई के मामले में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारा लक्ष्य था कि हम 122 लाख एकड़ और भूमि को पानी दे सकेंगे परन्तु हम केवल 60 लाख एकड़ भूमि के लिये ही पानी की व्यवस्था कर सके हैं। प्रत्येक वर्ष हमारी जनसंख्या में 120 लाख व्यक्तियों की वृद्धि हो रही है और इन के लिये हमें प्रत्येक वर्ष 10 लाख टन फालतू अनाज की आवश्यकता होती है। इस प्रयोजन के लिये हमें प्रतिवर्ष और 20 लाख एकड़ भूमि के लिये सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिये। खेद है कि फसल से हमारी उपज विश्व भर में सब से कम है। हम एक हैक्टर में केवल 898 किलो गेहूं पैदा करते हैं जब कि ब्रिटेन में 3,930 किलो तथा नीदरलैण्ड में 4,230 किलो गेहूं पैदा किया जाता है। हम 1,074 किलो चावल पैदा करते हैं जबकि संयुक्त अरब गणराज्य में 5,470 किलो तथा स्पेन में 6,270 किलो चावल पैदा किया जाता है। मंत्रालय के प्रतिवेदन में बताया गया है कि इन सभी असफलताओं का कारण दैवीय प्रकोप हैं जिनपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इस के साथ साथ प्रतिवेदन में इस के लिये प्रशासनिक त्रुटियों को भी दोषी ठहराया गया है। खेद है कि इस व्याधि के वास्तविक कारण का पता लगाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। इस व्याधि का वास्तविक कारण तथाकथित समाजवादी आयोजन तथा भूमि-सुधार हैं। सरकार को संविधान के सत्रहवें संशोधन को वापस ले लेना चाहिये क्योंकि इस से स्वत्वहरण हुआ है। इससे किसानों को उनके पूर्ण स्वामित्व तथा पट्टेदारी के अधिकारों से वंचित कर दिया गया है और उनका सारा उत्साह समाप्त हो गया है। भूमि के बारे में जो उच्चतम सीमा निश्चित की गई है वह बदलती रहती है। समझ में नहीं आता कि एक ओर तो सरकार उच्चतम सीमा निश्चित कर के भूमि को छोटे छोटी जोतों में बदलना चाहती है और दूसरी ओर खानों की चकबन्दी की बात कहती है। चूंकि चीनी बनाने वालों की सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक सांठगांठ है इसलिये चीनी उपजाने के बारे में उच्चतम सीमा लागू नहीं की गई है। इसी कारण सभी लोगों ने गन्ना उगाना आरम्भ कर दिया है। परिणाम यह है कि जहां पहले धान बीजी जाती थी अब वहां पर गन्ना उगाया जाता है और यही कारण है कि प्रगति नहीं हो रही है।

जहां तक अनाज की वितरण प्रणाली का सम्बन्ध है, क्षेत्रीय प्रतिबन्धों की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस से न केवल सामान्य व्यापार में रुकावट ही पड़ती है अपितु इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। चाहे कितने ही कड़े उपाय क्यों न किये जाय, चोरी छिपे माल लाने तथा ले जाने को नहीं रोका जा सकता। अतः सरकार को इन क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को समाप्त कर देना चाहिये और जब तक अनाज का उत्पादन इतना नहीं होता जितना हमारी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त हो, तब तक सरकार को समाज के निर्धन वर्गों को रियायती दरों पर अनाज देने की व्यवस्था करनी चाहिये। हम भारत खाद्य निगम द्वारा एकाधिकार वसूली के विरुद्ध हैं। यदि निगम अनाज की वसूली करना चाहता है तो इसे खुले बाजार में जा कर गैर-सरकारी व्यापारियों से प्रतियोगिता करनी चाहिय जिससे कृषकों को अधिकतम मूल्य मिल सके। अनिवार्य वसूली को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिये। हम सरकार की इस नीति का विरोध करते हैं कि किसान जमाखोर हैं और वसूली प्रणाली जारी रहेगी। बस्तर में जो कुछ हुआ है उस से सरकार की आंखें खुल जानी चाहिये और उसे इस अनिवार्य वसूली को समाप्त कर देना चाहिये। खाद्य निगम को इस बारे में कोई प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिये।

हमें किसानों को उर्वरक तथा कीटनाशी औषधियां आधे मूल्यों पर देने की व्यवस्था करनी चाहिये। अकालग्रस्त तथा कमी वाले क्षेत्रों में इनका मुफ्त तथा सस्ते दामों पर गैर-सरकारी सामाजिक संगठनों द्वारा वितरण किया जाना चाहिये। खेद है कि मेरे अपने क्षेत्र में सहायता कार्य भारत सेवक समाज द्वारा किया जा रहा है जो एक राजनीतिक संगठन है और सत्तारूढ़ दल लोगों की कठिनाइयों से राजनैतिक लाभ उठा रहा है। इसे समाप्त किया जाना चाहिये।

यद्यपि सरकार को कालाहाण्डी में अकाल की स्थिति से सावधान कर दिया गया था तथापि सरकार ने इस संकट को रोकने की कोई कार्यवाही नहीं की है। यदि सरकार ने पूर्वोपाय किये होते तो स्थिति इतनी न बिगड़ती। इन लोगों की सहायता के लिये जो धन दिया गया था वह सब ठेकेदारों की जेबों में चला गया है। कालाहाण्डी में, जहां पहले फालतु चावल होता था, अब लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं। परन्तु उनकी सहायता के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। कालाहाण्डी जिले में ददवा तथा बोलनगीर जिले में दमकीपाली में 9,9 व्यक्ति भुखमरी के कारण मर गये हैं। वहां पर अकाल तथा अनाज के अभाव से जो स्थिति पैदा हो गई है वह बहुत ही भयंकर है और ऐसी स्थिति पहले कभी पैदा नहीं हुई है। वास्तविक स्थिति का पता लगाने तथा समस्या का हल ढूंढ़ने के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये।

कहा गया है कि तकावी ऋण बड़ी उदारता से दिये गये हैं। वास्तविकता यह है कि मेरे ज़िले में प्रत्येक किसान को 20 रुपये दिये गये हैं और जिसको लेने के लिये प्रत्येक किसान को 10 रुपये का खर्चा करना पड़ा। कुछ आने जाने पर और बाकी बक्शिश देने पर।

यद्यपि ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने रिज़र्व बैंक तथा राज्य स्तर पर कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि स्थापित करने की सिफारिश की है तथापि इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब समस्या और भी बढ़ गई है। 15 जून को वर्षा आरम्भ हो जायेगी। जब तक बीज तथा उदारता पूर्वक ऋण नहीं दिया जायेगा तब तक खेती का कार्य आरम्भ होने की कोई सम्भावना नहीं है।

मैं समाजवाद तथा आयोजन में विश्वास रखने वालों से पूछना चाहता हूं कि आज देश के विभिन्न भागों में क्या हो रहा है। कभी हम केरल बन्द की, कभी कलकत्ता बन्द की और कभी दिल्ली बन्द की बात सुनते हैं क्योंकि गैर-जिम्मेदार तथा घमंडी सरकार से जनता का असंतोष प्रकट करने के सभी संवैधानिक तथा औपचारिक उपाय निष्फल हो गये हैं। लोगों का प्रजातंत्रीय संस्थाओं में विश्वास समाप्त होता जा रहा है। जो सरकार लोगों को दो समय भोजन देने में असमर्थ है उसे शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि सरकार वास्तविकता को अनुभव करने तथा इस बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने में असफल रही तो देश में प्रजातंत्र समाप्त हो जायेगा। अब समय आ गया है जब सरकार को अपने तरीकों में सुधार ला कर जनता के हित में कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिये। अन्यथा असंतोष बढ़ता चला जायेगा और एक न एक दिन एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेगा और उन प्रजातंत्रीय संस्थाओं का अन्त हो जायेगा जो हमें बहुत प्रिय हैं।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
34	1	श्री यशपाल सिंह	एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न लाने-ले जाने पर लगा प्रतिबन्ध हटाने की आवश्यकता	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
		श्री यशपाल सिंह		रुपये
34	2	,,	किसानों को बिजली बीज उर्वरक और सिंचाई जैसी सुविधायें सस्ते दामों पर उपलब्ध करने की आवश्यकता ।	100
34	3	,,	भारतीय खाद्य निगम के कार्यचालन में सुधार करने की आवश्यकता ।	100
34	4	,,	गन्ने के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि करने की आवश्यकता	100
34	5	,,	किसानों को नाममात्र दरों पर ऋण देनेके लिए एक निगम स्थापित करने की वांछनीयता	100
34	6	,,	वनस्पति घी के लिए उचित रंग ढूंढने की आवश्यकता	100
34	7	श्री शिवमूर्ति स्वामी	खाद्यान्न लाने ले जाने पर लगे क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटाने की आवश्यकता ।	100
34	8	,,	देश में गरीब लोगों को भुखमरी से बचाने सके लिए सभी राज्यों को खाद्यान्न देने की आवश्यकता ।	100
34	10	ह० प० चटर्जी	भू-संरक्षण के लिए उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	100
34	11	,,	राष्ट्रीय वन-नीति के अनुसार पेड़ लगाने के लिए उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	100
34	12	,,	ढोरों, मुर्गियों आदि और अन्य पशुओं की नसल सुधारने के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	100 100
35	13	श्री शिवमूर्ति स्वामी	देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि क्षेत्र के लिए 50 प्रतिशत हे अधिक धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता ।	100
35	14	,,	उर्वरक विवरण में अनाचार रोकनेकी आवश्यकता	100
36	15	,,	देश में गवेषणा फार्मों और कृषकों के बीच समन्वय का अभाव ।	100
38	16	,,	अधिकारियों के केवल उत्पादन प्रायोजनों में लगाने के लिए विकास खंडो का पुनर्गठन करने की आवश्यकता ।	100
40	17	,,	मैसूर राज्य में तुंगभद्रा परियोजना के अन्तर्गत 25,000 एकड़ से अधिक भूमि पर खड़ी गन्ने का फसल पेरने के लिए कुछ सहकारी चिनी कारखानों की लाइसेंस देना ।	100
40	18	,,	अमरीका और अन्य देशों से खाद्यान्नों का का आयात कम करने की आवश्यकता	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशी
				रुपये
34	26	श्री अ० व० राघवन	केरल के मालाबार क्षेत्र में और अधिक भाण्डागारों की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	100
34	27	,,	केरल में अन्न वसूली का प्रवर्तन	100
34	28	,,	केरल में अंडों का चुर्ण तैयार करने वाला संयंत्र शीघ्र चालू करने की आवश्यकता।	100
34	29	,,	केरल में चारा-बैंक स्थापित करने की आवश्यकता	100
34	30	,,	केरल में कृषि-उद्योग-निगम बनाने की आवश्यकता	100
34	31	,,	केरल में मीनक्षेत्रों का विकास करने के लिए अधिक धन नियत करने की आवश्यकता।	100
34	32	,,	केरल में मछली पकड़ने के लिए पत्तनों का निर्माण तेज करने की आवश्यकता।	100
34	33	,,	केरल में मछली पकड़ने के महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रशीतागारों की सुविधा उपलब्ध करने की आवश्यकता।	100
34	34	,,	केरल में चावल का राशन बढा कर प्रति वयस्क 12 आऊंस करने की आवश्यकता।	100
34	35	,,	केरल को और अधिक चीनी का कोटा देने की आवश्यकता।	100
34	36	,,	केरल में टेपिओका पर आधारित उद्योगों के विकास की आवश्यकता।	100
34	37	,,	देश में अभाव की स्थिति को प्रभावपूर्ण ढ़ंग से हल करने की आवश्यकता।	100
34	38	,,	खाद्य निगम के कर्मचारियों की सेवा सुरक्षित करने की आवश्यकता।	100
34	39	श्री प्र० के० देव	किसानों को सहायता प्राप्त मूल्य पर उर्वरक और कीटाणुनाशक दवाइयां पर्याप्त मात्रा में न देना।	100 100
34	40	,,	किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधायें न देना।	100
34	41	,,	समाज के सब से अधिक दुर्बल भाग को सहायता-प्राप्त मूल्य पर अन्न न देना	100
34	42	,,	देश के अकालग्रस्त क्षत्रों में पर्याप्त सहायता कार्यवाही न करना।	100
34	43	,,	खाद्य की कमी दूर करने के लिए इजराइल, इटली और ताइवान से खाद्यान्न स्वीकार न करना।	100 100
34	44	,,	किसानों को पर्याप्त ऋण सुविधायें न देना।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती का राशि
		प्र० के० देव		
34	45	,,	गैर-राजनैतिक सामाजिक संगठनों द्वारा, अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को अन्न के मुफ्त वितरण का प्रबन्ध न करना ।	100 100
34	46	,,	पशु और फसल बीमा का प्रबन्ध न करना	
34	47	,,	अनिबार्य वसूली की नीति न छोड़ना .	100
34	48	,,	खाद्य निगम द्वारा व्यापार का एकाधिकार न छोड़ना ।	100
34	49	,	विद्यमान चावल मिलों को आधुनिकीकरण के लिये जिसके फलस्वरुप उत्तम उत्पादन होगा पर्याप्त सुविधायें न देना ।	100 100
34	50	,,	उड़ीसा के कोरापुट, कालाहांड़ी, बोलनगीर, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़ और धनकनाल जिलों को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित न करना और पर्याप्त सहायता-कार्यवाही न करना ।	100
34	51	,,	खाद्यान्न के निर्बाध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान को लाने ले-जाने पर लगे क्षेत्रीय प्रतिबन्ध जैसे एक जिले से दूसरे जिले को और एक राज्य से दूसरे राज्य को न हटाना ।	100
34	52	,,	खाद्यान्न के लाभदायिक मूल्य निश्चित न करना ।	100
34	53	श्री अ० व० राघवन	ग्रामीण क्षेत्रों में 'बालवाड़ियों' और 'नर्सरियों' की उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100
34	54	,,	ग्रामीण क्षेत्रों में मछलियां शीघ्र पहुंचाने की लिये और अधिक प्रशीतित सड़क परिवहन सुविधायें जुटाने की आवश्यकता ।	100 100
34	55	,,	मछलियां पकड़ने की नौकाओं के यंत्रीकरण की की धीमी प्रगति ।	100
34	56	,,	भूमि सुधार कार्यक्रम की धीमी प्रगति	100
34	57	,,	संघ राज्य क्षेत्रों में किरायेदारों के लिये उचित किराये निश्चित करने और वासावधि सुरक्षित करने के लिये शीघ्र कानून बनाने की आवश्यकता ।	100
34	58	,,	अखिल भारतीय कृषि सेवा का गठन करने की योजना को अन्तिम रूप देने की आवश्यकतय ।	100
34	59	,,	खण्ड विकास अधिकारियों के पद के लिये न्यूनतम योग्यता निश्चित करने की आवश्यकता ।	100
34	60		सहकारिता आंदोलन के बारे में ग्रामीणों को शिक्षित करने की आवश्यकता ।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशी
		श्री अ० व० राघवन		रुपये
34	61	,,	ग्रामीण औद्योगिकरण के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	100
34	62	,,	पंचायत उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता।	100
34	68	श्री शिवमूर्ति स्वामी	विदेशों से खाद्यान्न के आयात से सम्बन्धित नीति	राशि घटा कर 1 रुपया
34	69	श्री सरजू पाण्डेय	देश की खाद्य नीति को सफल न बनाना	कर दी जाये
34	70	श्री शिवमूर्ति स्वामी	नदी-घाटी परियोजना क्षेत्र में चीनी मिलों को लाइसेंस देने में उदार नीति अपनाने की आवश्यकता।	100 100
34	71	,,	तुंगभद्रा क्षेत्र में कमलापुर और गंगावती सहकारी चीनी मिलों को लाइसेंस देने में भेद-भाव	100
34	72	,,	कृषकों को बिना लाभ-हानि के आधार पर अथवा सहकारी आधार पर ट्रेक्टर देने की आवश्यकता।	100
34	73	,,	मैसूर में राय्चूर में और आंध्र प्रदेश में करनूल जिले के ओमनगर में कृषि कालेज स्थापित करने की आवश्यकता।	100 100
34	74	,,	बहते नालों और जल संसाधनों से लघु सिंचाई और उठाऊ सिंचाई योजनायें बनाने की आवश्यकता।	100 100
34	75	,,	देश में सहकारी-खेती समितियों की आवश्यकता.	100
34	76	श्री सरजू पाण्डेय	किसानों को दुधारु ढ़ोर और चारा खरीदने के लिए ऋण की अपर्याप्त व्यवस्था।	100
34	77	,,	पुराने तथा मिट्टी से भरे हुए सिंचाई साधनों की पुन: खुदाई के लिए ऋण न देना।	100
34	78	,,	सहकारिता आन्दोलन में पूरे देश मे एकरुपता न लाना।	100
34	79	,,	सहकारी खेती का पुरे देश में विकास करने में उदासीनता।	100
34	80	,,	सस्ती खाद का किसानों को उपलब्ध न होना।	100
34	81	,,	मछली उद्योग में प्रगति न होना।	100
34	82	,,	किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधायें न देना	100
34	83	,,	समाज के सबसे दुर्बल भाग को सहायता प्राप्त मूल्य पर अन्न न देना।	100
34	84	,,	देश में अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त सहायता न देना।	100
34	85	,,	किसानों को पर्याप्त ऋण सुविधायें न देना	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
34	86	श्री० सरजु पांडेय	भूमि सुधार को पूरी तरह लागू न करना	100
34	87	,,	भूमिहीन खेतीहार मजदूरों को भूमि देने की योजना को तेजी से लागू न करना।	100
34	88	,,	देश की सभी चावल मिलों तथा आटा मिलो. का राष्ट्रीयकरण न करना।	100
34	89	,,	खाद्य व्यापार का राष्ट्रीयकरण न करना	100
34	90	,,	सहकारिता आन्दोलन में धनपतियों का प्रवेश न रोकना।	100
34	91	श्री प्र० के० देव	देश में अधिक अन्न उत्पादन में भारी निरुत्साह उत्पन्न करने वाले तथाकथित भूमि-सुधार समाप्त न करना।	100 100
35	92	श्री शिवमूर्ति स्वामी	विदेशी फार्मों के साथ उर्वरक करार सम्बन्धी नीति।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत है।

श्रीमती विमला देशमुख (अमरावती) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, हाल ही में दिल्ली में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधान मंत्रीने जो यह मत व्यक्त किया है कि जब तक हम आत्म-निर्भर नहो हो जाते तब तक हमारे लिये स्वाधीनता अर्थ हीन है इसमें स्पष्ट है कि हाल के खाद्य संकट ने हमारी आंखे खोल दी हैं।

हम चाहते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष कृषि के इतिहास में नया मोड़ सिद्ध हो जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है। परन्तु यह तभी सम्भव होगा जब किसान को सिंचाई की सुविधायें दी जायेंगी। मुझे इस बात की खुशी है कि सिंचाई सुविधाओं में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आशा है कि अपर वर्धा सिंचाई परियोजना शीघ्रही पूरी हो जायेगी और इस से विदर्भ की पानी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।

हमारे देश में खनिज संसाधन बहुत हैं। अत: यह स्वाभाविक है कि हम देश का औद्योगिकरण करें। परन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रकृति ने हमें उर्वरा भूमि, निरंतर बहने वाली–नदियां तथा बहुत ही उपयुक्त जलवायु प्रदान की है, हमें इन से पूरा लाभ उठाना चाहिये। यदि हम इनका पूरा पूरा लाभ उठायें तो मुझे पूर्ण आशा है कि हम न केवल अपना ही पेट भर सकेंगे परन्तु विश्व के कुछ अन्य भागों में रहने वाले लोगों को भी अनाज दे सकेंगे। हम विदेशों से खाद्यान्न की बहुत भिक्षा मांग चुके हैं। अब हमें अपने देश को सुदृढ़ बनाना चाहिये जिस से हाल ही के इतिहास में यह लज्जाजनक अध्याय सदा के लिए समाप्त हो जाये। परन्तु खेद इस बात का है कि हम संकट की घड़ी में सब कुछ करने के लिये तयार हो जाते हैं परन्तु जैसे ही तनाव कुछ कम हो जाता है तो हम असावधान हो जाते हैं। सिंचाई कार्यक्रम को एक आपातकालीन उपाय के रूप में ही नहीं समझा जाना चाहिये। इस के विपरीत इसे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्यक्रम का एक स्थायी अंग समझा जाना चाहिये। सिंचाई के बारे में कार्य तब तक जारी रहना चाहिये जब तक कि हमारी भूमि का अन्तिम भाग भी सिंचित न किया जा सके।

यह लज्जा की बात है कि स्वाधीनता प्राप्त करने के 18 वर्ष पश्चात भी देश में भू-परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या बहुत कम हैं। केवल भू-परीक्षण प्रक्रिया द्वारा ही इस बात का पता लगाया जा सकता है कि किस प्रकार की भूमि को कितने उर्वरक की आवश्यकता है। अन्यथा किसान उर्वरक की आवश्यकता से अधिक मात्रा का प्रयोग कर सकता है जिससे कोई लाभ होने की बजाय हानि हो सकती है। अतः मैं सरकार से अपील करता हूं कि उसे स्वदेशी साधनों का उपयोग करने की ओर ध्यान देना चाहिये। उर्वरक से केवल पौधों को लाभ होता है। इससे भूमि उर्वरा नहीं बनती है। परन्तु आॅर्गेनिक खाद से पौधा तथा भूमि दोनों को लाभ होता है। अतः हमें गोबर का प्रयोग करने के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये। आज गांवों में गोबर को ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। हमें गांवों में कोयला पहुंचाना चाहिये ताकि गोबर को बचा कर इसका उपयोग खाद के रूप में किया जा सके। चाहे इसके लिये हमें परिवहन आदि पर कुछ खर्च ही क्यों न करना पड़े। हम बाहर से उर्वरक मंगाते हैं तो हमें उस पर भी तो खर्चा करना पड़ता है। अतः मैं अनुरोध करती हूं कि गोबर के दुरूपयोग को अपराध घोषित करने हेतु कानून बनाया जाना चाहिये।

यदि हम चाहते हैं कि खाद्यान्न की निरंतर सप्लाई बनी रहे तो किसानों को उनकी उपज के लिये लाभप्रद मूल्य मिलते रहने चाहिये। कृषि वस्तुओं के भाव अन्य वस्तओं के भावों के आधार पर निर्धारित किये जाने चाहिये। तभी किसानों से न्याय हो सकेगा और वे खेती का कार्य और अधिक उत्साह से कर सकेंगे।

अन्त में मैं महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री तथा वहां के अन्य अधिकारियों की आभारी हूं कि उन्होंने वहां पर रबी अभियान को सफल बनाने के लिय सभी सुविधायें दी हैं। इस अभियान को सफल बनाने के लिय वहां के किसानों को भी मैं बधाई देती हूं।

श्री मणियंगाडन (कोट्टयम): श्रीमन्, इस बात से अब सभी सहमत हैं कि अनाज के मामले में आत्म-निर्भर होना हमारे लिये बहुत आवश्यक है। चौथी योजना के प्रथम वर्ष में कृषि को सरकार ने उतना महत्व दिया है जितना इसे दिया जाना चाहिये था। लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और योजनायें बना ली गई हैं और मुझे पूर्ण आशा कि इन्हें कुशलतापूर्वक क्रियान्वित किया जायेगा। पिछली योजनाओं में हमारी असफलता का कारण यह नहीं था कि योजनायें त्रुटिपूर्ण थी किन्तु इसका कारण यह था कि इनको कुशलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं किया गया था। यह कहना गलत है कि देश में अनाज के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उत्पादन में 60 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है जिसके लिये सरकार को गर्व होना स्वाभाविक ही है। यह एक अलग बात है कि पिछले दो तीन वर्ष से सूखा पड़ने के कारण कुछ कठिनाई अवश्य हो गई है। परन्तु क्या यह उचित है कि ऐसी स्थिति में बन्दों द्वारा और कठिनाइयां पैदा कर दी जायें। यह एक प्रश्न है जिस पर सभा तथा देश को ईमानदारी से विचार करना है।

गेंहू के क्षेत्रों सम्बन्धी नीति के बारे में मुझे यह कहना है कि केवल वही नियंत्रण रखे जांय जो नितान्त आवश्यक हों। इस दृष्टिकोण से हमें इस प्रश्न पर विचार करना है। वर्ष 1964 में जब अनाज के बारे में कुछ कठिनाई हुई थी तो यह आलोचना की गई थी कि सरकार के पास अनाज के वितरण की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार को व्यापार पर नियंत्रण रखना चाहिये और तभी सरकार ने खाद्य निगम बनाया था। अब यदि खाद्य निगम को कार्य करना है तो निगम द्वारा खाद्य की वसूली अथवा क्रय करने की सम्भावना हो सकती है। यदि ऐसा है तो यह सम्भव नहीं हो सकता है कि जो कुछ पैदा होता है उसको देश के एक भाग से अन्य भागों में लाने ले जाने पर बिल्कुल ही कोई नियंत्रण न हो। यह बात सर्वथा असाध्य है। जहां तक क्षेत्रों का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय ने स्वयं यह स्वीकार कर लिया है कि वसूली के मामले में राज्य सरकारें अपना सहयोग नहीं दे रही हैं। यही कारण है कि खाद्य निगम असफल रहा है। अतः सरकार को इस प्रश्न पर पुनर्विचार करना चाहिये। मैं नहीं चाहता कि सरकार का बिल्कुल कोई नियंत्रण ही नहीं होना चाहिये। ऐसे नियंत्रण जो नितान्त आवश्यक हैं, उन्हें अवश्य लागू रखा जाना चाहिये।

[श्री० मणियंगाडन]

चावल के लिये मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर तथा केरल को मिलाकर एक दक्षिणी क्षेत्र को पुनः-स्थापित किया जाना चाहिये जैसाकि कुछ वर्ष पूर्व था। तभी केरल के लोगों को राहत मिलेगी। अन्यथा सरकार को देश के प्रत्येक भाग के लिये पर्याप्त मात्रा में अनाज की व्यवस्था करनी चाहिये।

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAMLAL SARAF *in the Chair*]

आज प्रातःकाल मंत्री महोदय ने बताया कि देश के सभी भागों के लिये अनाज की कोई समान दर निश्चित नहीं की जा सकती है क्योंकि दरें किसी भाग में परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। इस नीति की मैं सराहना करता हूं और मैं मंत्री महोदय से पूर्णतया सहमत हूं। सभी भागों में ऐसे मूल्य निर्धारित किये जाने चाहियें जो किसानों के लिये लाभप्रद हों। इस संदर्भ में मैं केरल सरकार द्वारा जारी किये गये इस आदेश का उल्लेख करना चाहता हूं जिसके अनुसार धान वाले क्षेत्रों का प्रयोग अन्य वस्तुओं के लिये करना निषिद्ध है। इस से स्पष्ट है कि सरकार किसानों को धान के लिये इतना मूल्य नहीं देती है जितना कि उन्हें अन्य वस्तुओं के लिये मिलता है और तभी केवल उन वस्तुओं को उगाना चाहते हैं जिन से उन्हें अधिक लाभ होता है। मेरा निवेदन यह है कि विधान द्वारा अनाज के उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकती है। अतः इस आदेश का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये और किसानों को उनकी उपज के लिये पर्याप्त तथा अन्य वस्तुओं के भावों के आधार पर दिया जाना चाहिये। तभी अनाज के उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी।

एक आदेश के अनुसार केरल राज्य से भारत के किसी भाग में टैपिओका भेजना निषिद्ध है। कुछ जिलों में तो ऐसा करने के लिये लाइसेंस जारी किये गये हैं। इसका परिणाम यह है कि टैपिओका का मूल्य गिर गया है। टैपिओका एक खाद्य वस्तु है और इस का प्रयोग औद्योगिक प्रयोजनों में भी किया जा सकता है। सरकार को टैपिओका के किसानों के बारे में ऐसी नीति अपनानी चाहिये जिससे उनको अच्छे मूल्य मिल सकें। केवल तभी टैपिओका की खेती में सुधार हो सकेगा। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि केरल में होने वाली नकद फसलों अर्थात काजू, नारियल और इलायची के उत्पादकों को भी लाभप्रद दाम मिलें।

केरल में एक उद्योग कई वर्षों से चल रहा है और यह मछली पकड़ने का उद्योग है जिस पर हजारों मछुए निर्भर हैं। हाल ही में केरल में एक मीनक्षत्र निगम की स्थापना की गई है। ऐसा कहा गया है—मैं नहीं कह सकता हूं कि यह कहां तक ठीक है—कि मीनक्षेत्र के जो निदेशक हैं वह चूंकि सेवा से निवृत्त हो गये हैं अतः उन्हीं के सुझाव पर उक्त निगम की स्थापना की जा रही है ताकि वह इसके सभापति बन सकें। यदि यह निगम मछुओं की भलाई के लिये स्थापित किया गया है तो ठीक है। परन्तु यदि वह उनकी सहायता नहीं करता है जैसा कि प्राप्त हुए कई अभ्यावेदनों से स्पष्ट है तो इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिये। सरकार को इन मामलों के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात नीति सम्बन्धी कोई निर्णय करना चाहिये।

Shri Sarjoo Pandey (Rasra) : Mr. Chairman the country is now passing through very difficult times. There is great dearth of foodgrains in the country. In certain areas there have been dearths due to starvation. If after 18 years of independence there are starvation deaths in the country, the Government has got no moral right to exist. When people want foodgrains the Government gives them bullets and the opposition parties are blamed for that.

Even the sovereignty of India is in danger. The Government is importing foodgrains in great quantity from U.S.A. We would have succeeded much if the amount which we are spending on importing foodgrains had been spent on improvement of agriculture in our own country. But we are following policies

as a result of which we will not be able to become self-sufficient in foodgrains. I want to know who is responsible for this. If we give you suggestions, will you follow them?

What is the programme which you have in hand?

Much of black marketing and profiteering is taking place in the matters of foodgrains. The profiteers are having the protection of the Government. I know that Sucheta Kripalani announced in U. P. once that even now much of the foodgrains is going out of the State into black market. Rice is smuggled out to Tibet. This is being done by your traders.

Due to Government's policies there has been an increase in the number of Government officials. The Gram Sewaks and B.D.Os. are not doing any useful work. The Government is not giving any encouragement to cooperative movement. The community development programme is useless and work on it should be stopped immediately.

The land should be given to the actual tillers of the soil. The farmers should be given irrigation facilities and fertilisers on cheap rates. The scientific methods should be followed in agriculture as there is the only way to improve agriculture. The scheme of soil conservation is a fraud. This is a way to destroy the poorer people. The people are not getting tractors on cheap rates.

श्री हुमायून कबिर (बसिरहाट) : आज देश खाद्य की ऐसी स्थिति में से गुजर रहा है कि यदि यहां सुधार न हुआ तो हमने जो कुछ प्राप्त किया है वह सब समाप्त हो जावेगा ।

मैं खाद्य मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने कुछ अच्छे पग उठाये हैं । मैं यह भी मानता हूं कि पिछले 17 वर्षों में काफी कार्य किया जा चुका है । 1950 से आज तक खाद्य में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है । साथ ही आबादी भी बढ़ी है । जन संख्या 20 प्रतिशत बढ़ी है और खाद्यान्न 50 प्रतिशत बढ़े हैं परन्तु यह अधिक होने चाहिये ।

हमने खाद्य समस्या को वह महत्व नहीं दिया जो देना चाहिये था । हमें यह भी याद रखना चाहिये कि कृषि में हमारे देश के 70 प्रतिशत लोग लगे हुए हैं । फिर भी यह सत्य है कि हमने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर सकें हैं ।

एक बार खाद्यान्न का आयात 20 लाख टन था परन्तु इस वर्ष यह 1 करोड़ टन पर पहुंच जावेगा । इस लिये हमें कुछ पिछली गलतियों को सुधारना होगा । 1943 में भी बंगाल में अकाल पड़ा था और हमने कहा था कि अब हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो जावेंगे । उसके पश्चात 1950-51 तथा 1952 में भी वही रट लगाई गई और वचन फिर भी पूरा नहीं किया गया । हम बार बार लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते ।

खाद्य मंत्री ने जो कार्य किया है वह लगभग ठीक है । जब तक हम वैज्ञानिक कृषि नहीं करते और आधुनिक वैज्ञानिक तरीके नहीं अपनाते, हम कृषि में वास्तविक वृद्धि नहीं कर सकते ।

यह तो साफ है कि बीज अच्छे प्रकार के होने चाहिये । यह भी शिकायत है कि जो बीज सरकार से प्राप्त होते हैं वह भी समय पर नही मिलते । उसके पश्चात सिंचाई के लिये पानी भी बहुत आवश्यक है । यदि यह न मिला तो उर्वरक का उपयोग भी बेकार हो जावेगा ।

सच या गलत यह धारणा देश में बन रही है, कि खाद्य मंत्री रासायनिक खाद में अधिक रुचि रखते हैं । यह बात दक्षिण में जहां पानी पूरा मिलता है ठीक है परन्तु उन क्षेत्रों में जहां केवल वर्षा पर ही आधारित रहना पड़ता है, वहां के लिये यह बात ठीक नहीं है । मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि मेरा रासायनिक खाद में विश्वास नहीं है ।

[श्री० हुमायुन कबीर]

आज खाद्य के बारे में अविश्वास का वातावरण बना हुआ है क्योंकि खाद्यान्न की कमी अधिक से अधिक 1 करोड़ टन थी। योजना आयोग ने तो केवल 50 लाख टन की ही कमी बताई। इस लिये इतनी कमी के कारण देश में कोलाहल नही मच जाना चाहिये। इसके कारण लोगों में अन्न इकट्ठा करने की मनोवृत्ति उत्पन्न होती है। इस वर्ष तो खाद्यान्न का आयात आवश्यक है परन्तु हमें गत से भी सबक सीखना है और आयात को कम करना चाहिये।

मुझे प्रसन्नता है कि खाद्य मंत्री ने खाद्य आयव्ययक का उल्लेख किया है। परन्तु हमारे इसके जिक्र से ही काम नही चल जावेगा। हमें तो यह बात सारे देश के बारे में सोचनी है।

आजकल वाणिज्यिक फसल के बारे में चर्चा है। हमें इसकी आवश्यकता तो है परन्तु कृषि के बारे में भी सारे देश के लिये कृषि बजट होना चाहिये।

हमें यह याद रखना चाहिये कि कृषि हमारे देश में उद्योग का आधार भी है। हम कभी विदेशी मुद्रा की कमाई का भी जिक्र करते हैं। यह हम चाय, पटसन, काफी से कमाते हैं और उसके लिये भी कृषि की आवश्यकता है। इस लिये हमें एक कृषि आयव्ययक बनाना चाहिये।

एक और बात जिसके कारण हमारी कृषि उन्नति नहीं कर सकी, वह यह है कि कृषि उत्पादकों के मूल्यों के बारे में अनिश्चितता रहती है। कुछ चीजों के मूल्य निर्धारित कर दिये हैं और यह ठीक ही कदम उठाया है। परन्तु कई बार सरकार स्वयं मुनाफाखोरी करती है। जैसे पश्चिमी बंगाल में धान कृषक से तो 16 या 17 रुपये प्रति मन पर खरीद लिया जाता है और सरकार उसे 27 रुपये प्रति मन पर बेचती है। इससे सिद्ध हुआ कि सरकार स्वयं मुनाफ़ाखोरी करती है। ऐसा करने से आप मूल्यों को काबू में नहीं रख सकते।

अब हम 100 करोड़ रुपया प्रति वर्ष व्यय करते है। यदि इस रक़म से हम कृषक को प्रोत्साहित करें कि वह मूल्यों को ठीक रखें तो ठीक होगा। ऐसा संसार के बहुत से देशों में हुआ है। ऐसा इंगलैंड में 1840 से लगातार हो रहा है। साथ ही कुछ न्यूनतम मूल्य भी निर्धारित कर देने चाहिये।

कृषि-ऋण के न मिलने के कारण भी कृषि में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक खण्ड में कुछ कार्यवाही की जावेगी कि कृषि ऋण मिले। यही एक ऐसी चीज है जो हमारी खाद्य समस्या को सदा के लिये सुलझावेगी।

हमें प्रत्येक अन्न को उपयोग करना चाहिये। आज से 10 वर्ष पहले तक बाजरा, जुवार, रागी आदि काफी प्रयोग में लाये जाते थे परन्तु आजकल तो सब गेहूं की ओर झुकते हैं। चावल भी लोग अच्छे किस्म का चाहते हैं। इस लिये हमें एक अन्न के आटे के साथ दूसरे अन्न का आटा मिलाना चाहिये। ऐसी योजना का आप परीक्षण करके देखिये। इस प्रकार आप अधिक अन्न का ठीक प्रयोग कर सकेंगे।

एक महत्वपूर्ण कार्य खाद्य के क्षेत्रों को समाप्त करना चाहिये। खाद्य के बारे में हो फालतु अनाज वाले राज्य हैं अर्थात आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। परन्तु वह उद्योग में पीछे हैं। क्या हमने उन्हें उद्योग में बढ़ाने के बारे में सहायता दी है? आन्ध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर बांध को केन्द्र क्यों नहीं अपने हाथ में ले लेता? इस लिये खाद्यान्न में बहुतता वाले राज्य यह समझें कि यदि वह अन्यों को अन्न देते हैं तो उद्योग में उनकी दूसरे सहायता करें। इस लिये सब ओर से यह बात सिद्ध है कि खाद्यान्न के क्षेत्र समाप्त हों। मुझे प्रसन्नता है कि आज खाद्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है वह ठीक ही है।

हमने कृषि को वह प्राथमिकता नहीं दी जो देनी चाहिये थी। हमने उद्योग को अधिक प्राथमिकता दी हुई है। अन्यथा क्या कारण है कि हमने कृषि के औजार उत्पन्न करने के लिये कारखाने नहीं लगाये? हमें कृषक को यह आश्वासन देना चाहिये कि सरकार भी उनके हितों की ओर ध्यान दे रही है।

हमारे कृषक बुद्धू नहीं हैं। एक कृषक ने मुझे 35 वर्ष पूर्व एक बात बताई थी कि सरकार की हम वह बात मानने को तैयार हैं जो उत्पादन बढ़ावें। परन्तु बाकी बातों का सरकार पहले अपने खेतों में परीक्षण करे और यदि वह ठीक होंगे तो हम उनको अपना लेंगे। इसके लिये हमें पहले तो काफी हद तक विकेन्द्रीकरण करना होगा ताकि कृषक को भी यह आभास हो कि वह देश की उन्नति में सांझीदार है। यदि ऐसा हुआ तो हम खुशहाली की ओर बढ़ते जावेंगे।

Shri Tula Ram (Ghatempur) : Mr. Chairman, I have risen to support the demands for grants of the Ministry of Food, Agriculture and Community Development. We all know the conditions under which the National Government was formed in India. There was shortage of food in the country then and in Bengal 35 lakh people had died of starvation. But the Government has done much in the last 15 years and food production has been increased by 50 to 60 per cent.

Inspite of that the increase in foodgrains is not as it should have been. One reason for that was that we could not put to use the resources as we were under a foreign Government then. Unless irrigation facilities, better seeds, good fertilisers and good implements are put to use, we cannot increase the food production to the desired level.

I do not admit what one lady member has just said that 9 persons died of starvation. The culture of our country is such that people here do not die due to one day's starvation. It has to be for days together.

The State Governments have passed some land reform measures. The Zamindari system has been abolished. They have ensured that land should belong to the tiller. But I would submit that most of these land reform measures are on paper only and not in practice. The land holdings should be made economical. Another aspect to improve things is what Panditji had suggested *i.e.*, Co-operative farming. There cannot be a better way to improve agriculture in our country than this.

We should try to put into plough and make productive the barren land. We should level the Chambal ravines and other ravines near other rivers and make it all cultivable.

Our Food Minister always talks of fertilisers but seldom of irrigation. Therefore there should be provision of irrigation facilities.

In Etawa district one has to obtain 'no objection' certificate for installing a tube-well. I want this condition to be removed at once.

Provision of better seeds should be made. The research institutes have prepared hybrid seeds and seeds of other qualities. Arrangements should be made to provide the same to farmers.

The seeds of the cooperative farming have to be returned. If you take it by way of interest, it will come to 50 per cent interest which is highest in the world. This should not happen.

The cow dung fertiliser should be encouraged instead of chemical fertilisers.

The plant protection department is doing any work. It should be made active.

If you give us water and power, we can produce foodgrains that all shortage in it will be over.

7—58 L. S./66

Shri Vishram Prasad (Lalganj) : Mr. chairman, the Government during the last 19 years after independence has made only false promises. In 1950 the late Pandit Jawaharlal Nehru has announced in a radio broadcast that we would be self-sufficient in food within the next three to four years. But even today we are not self-sufficient in food. Now Mr. Subrahmaniam says that the country would be self-sufficient in food by 1971. I do not know for how long such promises will last.

The Government is levying tax after tax. We are obtaining loans from abroad. In the name of planing every child in India is under debt of Rs. 200 per head. Neither the food production is increasing nor we have solved the good problem.

Government goes with a begging bowl to other countries. They have presented a picture of a beggar country for this nation in the eyes of other countries.

I can assure you that if you give sufficient water for irrigation, any farmer here can give you three crops per year. But you pay no need to the food production. You have increased only starvation, unemployment, bribery, thefts, murders, dacoities and corruption. These are the achievements of 19 years of your Ram Rajya.

Corruption is rampant in every country. Had you spent the money on tube-wells which you have spent on the office of the Planning Department, it would have increased food production.

Our Food Minister does not know whether water is more necessary or fertiliser is more necessary. He always lays more emphasis on fertiliser. It is the bad luck of the country that the minister here does not know whether wheat has a plant or tree.

Irrigation is most essential for our country as we have rains for three months in a year. If you want to solve the food problem you should have cheap, timely and sure water supply.

The charges of electricity is very high for the water which is supplied by Tube-wells. It should be at lesser rates.

You supply ammonium sulphate to the farmers at the rate of Rs. 450·10 per ton whereas you import it at the rate of Rs. 200·00 per ton. Even at Sindri you manufacture it on a cost of Rs. 370 per ton but you sell it at a rate of Rs. 450 per ton.

You have very big tractors here. There should be smaller tractors here. The farmer has knowledge of seeds, fertilisers and insecticides.

No farmer who earns upto Rs. 3,600 per year should be taxed. I would suggest that those who possess land upto 5 acres should not be made to pay any tax. The Zonal system should be abolished.

The minister has made a distinction that the deaths which accurred were not due to starvation but were due to malnutrition. I would like to know that there is not much difference between the two.

If you want the food production to increase you will have to provide to the farmer cheap water and fertiliser and other facilities.

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा (जम्मू तथा काश्मीर) : मंत्री महोदय ने आज उत्तर प्रदेश तथा पंजाब संबंधित क्षेत्रीय प्रणाली को समाप्त करके एक साहसपूर्ण निर्णय लिया है। यह बहुत अच्छा आरंभ है।

इस बात को ध्यान में रख कर कि यहां गत वर्ष सूखा पड़ा तथा पाकिस्तान से युद्ध हुआ और सारे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, मंत्री महोदय ने बहुत व्यवहारिक कार्य किया है।

अब समय आ गया है कि जहां भी इन्सान के कारण कृषि के कार्य में कमी हुई हो, वहां केन्द्रीय सरकार कड़ी कार्रवाई करे।

जब तक कृषि को वैज्ञानिक ढंग पर नहीं किया जाता हम कृषि में उतनी वृद्धि नहीं कर सकते जितनी आवश्यक है। अधिक असफलता तो राज्य सरकारों की है। अब तो सामुदायिक विकास भी खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत है। इस लिये इस सारे मामले को पुनर्गठन करने में कोई कठिनाई नही होनी चाहिये।

अमरीका में अधिक कृषि उत्पादन का एक कारण यह भी है कि वहां अनुसंधान के कार्य का परीणाम एक वर्ष के अन्दर अन्दर कृषक को पहुंचा दिया जाता है। हमारे देश में तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि किसान को अनुसंधान का पता ही बहुत दिन तक नहीं लगता। अब समय आ गया है कि किसान और अनुसंधान करने वाले के बीच की रुकावट को दूर किया जावे।

किसान को अच्छे बीज तथा सिंचाई का पानी शीघ्र उपलब्ध कराना चाहिये और इस में बल बंदी का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिये।

केन्द्रीय सरकार का चाहियें कि इस दिशा में अपने कार्य को और अधिक व्यवहारिक बनावें और यह देखना चाहिये कि जो कार्य केन्द्र आरंभ करता है उसे राज्य सरकारें कार्यान्वित करें।

हमारे देश में सहकार योजना को बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है। परन्तु यह देख कर दुःख होता है कि यह अधिक तर तो केवल कागज पर ही है। हमें सहकारिता के कार्य के बारे में बताया गया था कि इस पर वास्तविक कठिनाई तो कार्यान्वित करने के समय होती है क्यों कि वह कार्य राज्य सरकारों का है। इस कार्य को कार्यान्वित करना चाहिये।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान भारत-पश्चिमी जर्मनी परियोजना की ओर दिलाता हूं जो कि मंडी में स्थित है। यह कृषि विकास में एक अद्भुत कार्य है और इसी प्रकार के कार्य हिमाचल प्रदेश पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर के अन्य क्षेत्रों में भी लागू किये जाने चाहियें।

श्री दे० द० पुरी (कैथल) : मैं एक बहुत मीठे पदार्थ के बारे में कुछ कहने खड़ा हुआ हूं।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

चीनी उद्योग को गत वर्ष दो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। एक तो यह कि ऐसा सूखा पहल कभी नही पड़ा और दूसरे सेन आयोग की रिपोर्ट। ऐसी सूखा गत 30 वर्षों में देखने में नही आया। इसके कारण वसूली में भी गड़ बड़ हो गई है।

दूसरी बात सेन आयोग का प्रतिवेदन है। पहली सिफारिश तो सेन आयोग की यह है कि गन्ने का भाव 2 रुपय प्रति मन से घटा कर 1.85 रुपये प्रति मन कर देना चाहिये। वैसे मैंने तो इस रिपोर्ट के छपने से पहल ही विनम्र तरीके से इसका विरोध किया था। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 1947-48 में गन्ने का भाव 2 रुपये प्रति मन निर्धारित किया था। उसके पश्चात इस पर नियंत्रण लगा, कभी इसे हटाया गया तथा कभी आंशिक नियन्त्रण लगा। आज कोई भी वस्तु ऐसी है जो 1947-48 में 2 रुपय प्रति मन बिकती हो वह आज भी उसी मूल्य पर बिकती हो ? इस लिये मेरा निवदन यह है कि इसका मूल्य अधिक किया जाना चाहिये।

उसकी एक और सिफारिश यह है कि आयोग चीनी के इन्तजाम को 5 विभिन्न एजेन्सियों में बदलना चाहते हैं। फिर यही होगा कि यह एजेंसियां भिन्न भिन्न दिशा में चलें। इस लिये यह रिपोर्ट तो सूखा से भी अधिक दुःखदायी है।

एक यह भी चर्चा चल रही है कि क्या उत्तरी भारत दक्षिण की उपेक्षा गन्ने की पैदावार करने लायक है। मैं इस बारे में यह कहूंगा कि यदि चीनी कर का कुछ अंश गन्ने के उत्पादन पर व्यय

[श्री दे० द० पुरी]

किया जावे तो हम यहां उतने सस्ते दामों में चीनी का उत्पादन बढ़ा सकेंगे जितना कि भारत के किसी भी अन्य भाग में हो सकता है।

सरकार को यह देखना चाहिये कि जो गन्ना खेत में उगता है वह मिलों को मिल जाना चाहिये।

सरकार की कम उधार देने की नीति के कारण सरकार ने बैंकों को, विशेषकर स्टेट बैंक आफ इंडिया को, चीनी के स्टाक के बदले भी उधार देना बन्द कर रखा है। कम उधार देने की नीति तो अच्छी है परन्तु जब यह उत्पादक उद्योग पर लागू की जाती है तो बड़ी हानिकारक होती है।

आज कल हम कम वसूली के दौर से गुजर रहे हैं। उत्तरी भारत के कुछ भागों में तो कारखाने मई के अन्त या जून के अन्त तक काम कर पावेंगे। मुझे पता चला है कि केवल 39 कारखाने गन्ना पेरने का कार्य कर रहे हैं।

यदि हमें बहुलता और कम उत्पादन के विषैले चक्र से बचना है तो हमें "बफर-स्टाक" बनाने होंगे। यह भी बहुत अधिक संख्या में बनाने होंगे जैसे कि 10 लाख टन का अन्यथा हम इस विषैले चक्र से बाहर नहीं निकल पावेंगे।

कुछ भागों में तो उत्पादक-शुल्क कुल मूल्य का 45 प्रतिशत है। उत्पादक शुल्क जो कि 1946-47 में 585 लाख रुपये था 1964-65 में 70.77 करोड़ रुपया पहुंच गया अर्थात 1,110 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूं।

Shri Bhajhari Mahto (Purulia) : Mr. Deputy Speaker, Sir, in the conference of the State Chief Ministers, presided over by the Prime Minister, held on the 9th and 10th April, 1966 stress was laid on the need of laying down clearly the sphere of responsibility about food and agriculture of the Centre and the States. Who is responsible for the present food crisis in the country? The answer is the present food situation is the result of a muddle headed policy followed by the Government. But the State Governments shifted the onus on the Central Government and vice versa. This is, no doubt, a very sorry state of affairs. It is, therefore, necessary that the sphere of responsibility about food and agriculture of the centre and the states should be laid down clearly.

It is no use advising the people to express their protests in a deriocratic way and not to indulge in violence. Hunger and starvation cannot go with reason. Although Government used to advise people to express their protests in a democratic way, they did not care for those who represent in that way. This is what actually happened in West Bengal where the Government refused to head the people when they represented democratically.

श्री मानसिंह पृ० पटेल (मेहसाना) : यह दुर्भाग्य की बात है कि हमें सबसे विकट सूखे का सामना करना पड़ा है तथापि यह बहुत ही सन्तोष की बात है कि देश के लगभग 50 प्रतिशत राज्यों में सूखा पड़ने पर भी इस समय स्थिति काफी अच्छी है। खाद्य मंत्री क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को तुरन्त समाप्त कर देने के पक्ष में थे किन्तु उनके दृष्टिकोण को पूरा समर्थन नही मिल सका। मैं उनकी कठिनाई अच्छी तरह समझता हूँ।

मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि कम से कम उत्तर के राज्यों का एक काफी बड़ा क्षेत्र बना दिया गया है। परन्तु जब रबी फसल तैयार होती है, तो फिर एक बड़े क्षेत्र की घोषणा कर दी जाती है। मैं चाहता हूँ कि सभी क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटा दिये जाये क्योंकि केवल ऐसा किये जाने पर ही मुख्य समस्या हल होगी।

चालू रबी फसल के दौरान बहुत से राज्यों द्वारा उठाये गये आपातकालीन पगों के परिणाम अप्रत्यक्षरूप से काफी लाभदायक निकले हैं। इन उपायों के फलस्वरूप लोगों में विश्वास की भावना उत्पन्न हुई है और जनता यह महसूस करने लगी है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में अनाज की कमी को वह निश्चय ही समाप्त कर देंगे।

जहां तक सामुदायिक विकास और सहकार विभागों का खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के साथ विलय किये जाने का सम्बन्ध है यह एकीकरण केवल केन्द्र में ही किया गया है न कि राज्यों में भी। राज्यों में इन विभागों के बीच उचित समन्वय नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि केवल केन्द्र में ही इन विभागों का खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के साथ विलय पर्याप्त नहीं है अपितु राज्य-स्तर पर भी इन विभागों का एकीकरण किया जाना चाहिये अन्यथा इससे केन्द्र द्वारा किये गये काम को अप्रत्यक्षरूप से हानि पहुंचेगी। इस सम्बन्ध एक बात और यह भी है कि सामुदायिक विकास विभाग को महत्व दिया जाना आवश्यक है और इस बारे में यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इस विलय से सामुदायिक विकास की भावना को ठेस न पहुंचे।

जहां तक डेरी योजनाओं का सम्बन्ध है, समूचे देश में कुल 22 खण्डों में केवल गत वर्ष से व्यापक ढोर विकास योजनाएं आरम्भ की गई हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में जहां कहीं भी डेरी योजनाएं चल रही है, वहां पर ढोर विकास को बढ़ाना भी जरुरी है। और उसे योजना का एक अंग बनाया जाना चाहिये। इस काम को राज्य-स्तर पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये।

व्यापक ढोर विकास योजना के तीन अंग होते हैं यथा—पशु चिकित्सा सेवा, चारा विकास तथा ग्रामीण ऋण। यह दुःख की बात है कि पशुओं के चारे के उत्पादन के प्रश्न पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। प्राक्कलन समिति ने भी अपने 99वें प्रतिवेदन में इस बारे में खेद व्यक्त किया है। बेकार पशुओं को रखने की भी एक समस्या है—जिसका प्रभाव योजना पर बुरा पड़ता है अतः सरकार को इस मामले में—अर्थात इस समस्या को हल करने के लिये उपाय ढूंढने चाहिये।

चीनी और दूध परिष्करण (प्रोसेसिंग) के उद्योग में सहकारी समितियां बहुत सफल रही हैं। इस के लिये केवल सहकारी समितियों को ही लाइसेन्स दिये जाने चाहिये और गैर-सरकारी पार्टियों को इस क्षेत्र में घुसने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये अन्यथा उससे केन्द्र द्वारा किये गये कार्य को हानि पहुंचेगी।

जहां तक कृषि वित्त निगम का सम्बन्ध है, इस निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण देना है। किन्तु डेरी प्रोसेसिंग उद्योग की प्राथमिक सहकारी समितियों को इस निगम द्वारा ऋण दिये जाने पर रिजर्व बैंक द्वारा इस आधार पर आपत्ति उठाई है कि यह कृषि उद्योग नहीं है। आज स्थिति यह है कि इस उद्योग को कृषि वित्त निगम अथवा स्टेट बैंक द्वारा ऋण नहीं दिया जाता जब कि गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रोसेसिंग यूनिटों को गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा नियमित बैंकों से सहायता मिलती है। अतः कृषि वित्त निगम को प्रोसेसिंग यूनिटों को कृषि-ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार करने के लिये कहा जाना चाहिये अथवा सरकार को सम्बन्धित अधिनियम में संशोधन करना चाहिये जिससे प्रोसेसिंग यूनिट इस निगम से वित्त ले सकें।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : उपाध्यक्ष महोदय सरकार द्वारा अपनाई गई विभिन्न नितियों तथा उपायों के फलस्वरुप गत कुछ वर्षों में चीनी के उत्पादन की स्थिति में काफी सन्तोषजनक सुधार हुआ है। इस वर्ष चीनी का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है। इस वर्ष उत्पादन लगभग 34.5 लाख टन हुआ है, चीनी उत्पादन के इतिहास में यह रिकार्ड उत्पादन है। हमने तीसरी योजना के लक्ष्मों को आम तौर पर पूरा कर लिया है।

जहां तक नये एककों का सम्बन्ध है यह सर्वविदित है कि सरकार लाइसेंन्स देने में सहकरी एककों को प्राथमिकता दे रही है। हमारा निरन्तर प्रयत्न यह होगा कि प्रत्येक संभव तरीके

[श्री शिन्दे]

से सहकारी एककों को प्रोत्साहन दिया जाये, गत डेढ़ वर्ष में हमने 18 एककों को लाइसेंस दिये हैं, इनमें से केवल एक निजी एकक है और शेष सभी सहकारी एकक हैं। गत कुछ महिनों में केवल मैसूर में ही कई लाइसेंस दिये गये हैं। सहकारी चीनी के कारखानों के लिये इतने आवेदन-पत्र आये हैं कि उन सबको स्वीकृत करना संभव नहीं है तथापि यदि पर्याप्त गन्ना उपलब्ध होता है और आवदन पत्रों में सही सही सूचना दी जाती है, तो उस स्थिति में इन आवेदन पत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

चालू महिने में हम 2.49 लाख टन चीनी दे रहें हैं जो कि विनियंत्रण अवधि के दौरान दी गई चीनी से कुछ अधिक है, मैं समझता हूं कि अब कम से क्रम देश के भागों में चीनी की उपलब्धि के बारे में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। चालू वर्ष में लगभग 41.5 लाख टन चीनी उपलब्ध होगी। देश में उपयोग के लिये हमें 29 लाख टन चीनी की आवश्यकता पड़ेगी। 1 लाख टन चीनी नेपाल, भूटान, सिक्किम तथा प्रतिरक्षा सेनाओं की आवश्यकताओं के लिये चाहिये और लगभग चार से पांच लाख टन चीनी हम अन्य देशों को निर्यात कर रहे हैं। इसलिये चालू वर्ष में चीनी की कुल खपत 34 से 35 लाख टन तक होगी और वर्ष के अन्त में शायद 6–7 लाख टन चीनी बच जायेगी जिसकों अगले वष के लिये रखा जायेगा। इस समस्या पर सेन आयोग ने ध्यानपूर्वक विचार किया था और सिफारिश की थी कि जब तक 12 लाख टन चीनी का पर्याप्त "बफर स्टॉक" न बन जाये सरकार को चीनी से नियंत्रण हटाने का खतरा नहीं लेना चाहिये।

एक अन्य कारण भी है। यदि अगले वष वर्षा न होती और गन्ने की बुआई पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो उस स्थिति में अगले वष चालू वर्ष की अपेक्षा गन्ना कम होगा और इसी हिसाब से चीनी का उत्पादन भी कम होगा। इसलिये ऐसी स्थिति में चीनी पर से नियंत्रण हटाना देश के हित में नही होगा। यदि अच्छी फसल होने की संभवनाएं बढ़ जाती हैं तो हम स्थिति पर विचार करेंगे। यदि सप्लाई की स्थिति अच्छी हो जाती है और यदि हमारे पास चीनी का पर्यात भंडार हो जाता है तो हम शायद चीनी पर से नियंत्रण हटाने के बारे में विचार करेंगे। इस मामले में हमारे विचार अपरिवर्तनीय नहीं हैं।

यह सच है कि हम काफी हानि उठाकर चीनी का निर्यात कर रहे हैं। ऐसा केवल हम ही नहीं अपितु चीनी का निर्यात करने वाले संसार के सभी देश हानि पर चीनी का निर्यात करते हैं क्योंकि जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, चीनी का बाजार खरीददार का बाजार है।

हम सब के लिये यह गर्व की बात है कि हमारा देश नियमित रूप से चीनी का निर्यात कर रहा है।

पिछले पांच अथवा छः वर्षों के दौरान हमने 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाई है। चीनी के निर्यात की योजना हमारी सुविधा के अनुसार **"जब चाहे"** पर आधारित नहीं हो सकती। आयात करने वाले देश उन देशों से आयात करना अच्छा समझते हैं जो नियमित रुप से संभरण करते हो और जिन पर निर्भर किया जा सके। निर्यात के लिये बिक्री अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता करते हुये अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुसार ही हो सकती है। चीनी का निर्यात न केवल हमारी अर्थव्यवस्था के हित में आवश्यक है अपितु राष्ट्रीय हित की दृष्टि से भी वह महत्वपूर्ण है।

रिजर्व बैंक ने हाल ही में सभी अनुसूचित बैंकों को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि चीनी के कारखानों की आवश्यकताओं की ओर यथासंभव ध्यान दिया जाये और उनकी सहायता की जाये।

यह ठीक है कि गन्ने के मूल्य की बकाया राशि इस वर्ष काफी जमा हो गई है। रिजर्व बक द्वारा जारी की गई हिदायतों के परिणाम स्वरुप स्थिति में बहुत हद तक सुधार हो सकता है।

हम सामुदायिक विकास आन्दोलन की गलतियों और त्रुटियों का पता लगाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। हम स्थिति में यथासंभव सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सामुदायिक विकास द्वारा किये गये कार्यों से कृषि तथा अन्य क्षेत्रों के विकास के उल्लेखनीय परिणाम निकले हैं।

पंचायती राज के काम में काफी प्रगति हुई है। केरल मध्य प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर और नागालैंड के राज्यों को छोडकर सभी राज्यों में पंचायती राज लागू है।

आदिवासी विकास खण्डों के विस्तार कर्मचारियों में आदिवासियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने निर्णय किया है कि आदिवासी विकास खण्डो में ग्राम-सेविकाओं के पदों का 75 प्रतिशत तथा खण्ड विकास अधिकारियों के पदों का एक बहुत बड़ा भाग आदिवासी समुदायों में से भरा जाना चाहिये। आदिवासी विकास खण्ड कार्यक्रमों की गति बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

सामुदायिक विकास कार्य के भाग के रूप में गावों में लगभग 2 लाख रेडियों लगाये गये हैं। वे बहुत लोकप्रिय हो गये हैं।

सामुदायिक किास विभाग ने दो और महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरु किये हैं यथा ग्राम्य जनशक्ति कार्यक्रम तथा स्थानीय विकास कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों में भी हम विभिन्न राज्यों की सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उनकी प्रतिक्रिया अच्छी है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब गृह-कार्य मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

दिल्ली बन्द के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : DELHI BANDH

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि नगर में शान्ति है और यह दिन बहुत शान्तिपूर्वक गुजरा है।

विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा 19 अप्रैल, 1966 को की जाने वाली सामान्य हड़ताल की धमकी के कारण विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये दिल्ली प्रशासन ने कुछ कार्यवाही की है।

15 अप्रैल, 1966 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया गया था। आदेश में दुकानें तथा व्यापारिक संस्थाएं बलपूर्वक बन्द करवाने अथवा बल का प्रयोग करने तथा किसी सार्वजनिक वाहक के मालिक को धमकी देने अथा उसे दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में यात्री तथा माल लाने ले-जाने से रोकने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

ऐसे सन्देह के कारण कि सामान्य हड़तालसे दिल्ली का सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो जायेगा, आरम्भ से ही यह यह सुनिश्चत करने का प्रयत्न किया गया था कि कम से कम परिवहन सेवाएं हड़ताल में शामिल न हों। पूर्वोपाय के रूप में आवश्यक मार्गों पर परिवहन सेवाएं जारी रखने के लिये वैकल्पिक प्रबन्ध भी कर लिये गये थे। डिप्टी कमिशनर ने कई गाड़ियां मंगवा ली थी और उन्हें रिजर्व में रखा गया था जिससे परिवहन सेवा में आकस्मिक गड़बड़ होने पर उन गाड़ियों को चलाया जा सके।

सामान्य विधि तथा व्यवस्था के प्रयोजन से दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र को तीन भागों में बांटा गया था। प्रत्येक में एक एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक था। कार्य के प्रयोजन के लिये उन जिलों में से प्रत्येक को एक खण्ड माना गया था।

प्रत्येक खण्ड में गश्त के लिये तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सामान्य हड़ताल से पहले समाज-विरोधी तत्वों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 18 अप्रैल, 1966 की रात्रि तक 450

[श्री नन्दा]

से अधिक गुन्डो को गिरफ्तार कर लिया था। जनता को यह विश्वास दिलाने के लिये कि विधि तथा व्यवस्था बनाये रखी जायेगी, इन प्रबन्धों का काफी प्रचार किया गया था।

प्रात: काल से मजिस्ट्रेट तथा पुलिस जोर से गश्त लगा रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि युसुफ सराय में एक छोटी सी घटना छोड़कर और कोई भी अनुचित घटना नहीं हुई है। परिवहन सेवा बिलकुल सामान्य है। विश्वविद्यालय तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा को परिक्षाओं में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई है, सिनेमा भी सामान्य रूप से चल रहे हैं। सब्जियों तथा फलों की छोटी दुकानों ने भी अपना काम बन्द नहीं किया है। कारखाने तथा व्यापारिक संस्थाए हडताल में शामिल नही हुई हैं, संक्षेप में, व्यापारियों की हड़ताल को छोड़कर नगर का जीवन पूर्णतया सामान्य है।

बन्द अथवा हड़ताल शुरू होने से पहले उसे रोकने के सभी प्रयत्न किये गये। मैंने 'युनाइटेड चैम्बर आफ ट्रेड एसोसियेशन्स' के प्रतिनिधियों को बताया था कि यदि कोई ऐसी बात हो जिस के बारे में कुछ कठिनाई अनुभव की जाये तो मैं उसपर विचार करने को तैयार हूं। मैं इस बात को दोहराता हूं। मैं ने जो आश्वासन दिया है, उसका अब भी पालन किया जायेगा।

Shri R. S. Pandey (Guna) : The hon. Minister has stated that the situation was normal. I want to know whether some persons belonging to a particular party have tried to disturb the peaceful atmosphere.

श्री नन्दा : हां, युसफ सराइ में एक छोटी सी घटना हुई। एक व्यक्ति ने जो साम्यवादी झंडा उठाये हुए लोगों को एकत्र करने की कोशिश की। जब उसे गश्त लगा रही पुलिस ने वहां से चले जाने को कहा तो उसने परवाह नहीं की तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

श्री रंगा (चितूर) : दिल्ली के लोक इस शान्तिपूर्ण हड़ताल के लिये बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने बिक्रीकर में वृद्धि के विरुद्ध बड़े अच्छे ढंग से अपना विरोध प्रकट किया है। पुलिस ने अपना काम अच्छी तरह निभाया है। मैं जानना चाहत हूं कि इस बारे में सरकार क्या करने जा रही है? सरकार को लोगों की भावनाओं का मान करना चाहिये।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : क्या सरकार लोगों की मांगों की ओर ध्यान नही देगी? एक सरकार जनता के माता तथा पिता के समान होती है। लोगों ने अपना विरोध बहुत अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया है। क्या सरकार बिक्री कर पर पुनर्विचार सम्बन्धी अपने आश्वासन को पूरा करेगी?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस हड़ताल की सफलता के लिये मैं दिल्ली के लोगोकों बधाई देता हूं। इस हड़ताल के बाद भी क्या सरकार और व्यापारियों के प्रतिनिधियों में बातचीत चलती रहेगी?

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : बिक्री कर में वृद्धि होने से पहले ही व्यापारियों ने कीमतें बढ़ा ली हैं और उपभोक्ताओं के लिये कठिनाई खड़ी कर दी है। सरकार ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

श्री तिरुमल राव (काकीनाड़ा) : नगर में इस अनावश्यक हड़ताल के सम्बन्ध में शान्ति स्थापना के लिये सरकार ने कितना व्यय किया है? सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में मामुली वृद्धि के होते ही व्यापारी लोक अपने माल की कीमतों में वृद्धि कर लेते है।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : The people of Delhi have registered their protest in a very peaceful way. It is a warning to our Government. When voilent demonstrations were held in Calcutta the hon. Minister of Home Affairs rushed to that place and listened to the difficulties of people there. I want to know whether Government would pay attention to the difficulties of the people of Delhi or they will have to resort to 'Calcutta tactics'.

श्री नन्दा : एक लोकतन्त्रीय देश की जनता सरकार की नीति के विरुद्ध अपना रोष प्रकट कर सकती है परन्तु उसमें हिंसात्मक कार्यवाही नहीं होनी चाहिये। दिल्ली की शान्तिपूर्ण हड़ताल पर मुझे प्रसन्नता है। हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि यह हड़ताल न हो। मैंने व्यापारियों के प्रतिनिधियों से अपनी बातचीत के समय यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि वे समझते कि इस कर से किसी वस्तु के बारे में कठिनाई हो सकती है तो हम उस पर विचार कर सकते है। और हमने अभी तक इस बारे में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। हमारा यह आश्वासन पर्याप्त है। हां, इस हड़ताल के बारे में प्रबन्ध व्यवस्था बनाये रखने के लिये हमें काफी खर्च करना पड़ा है। मैं समझता हूं कि इस कर के कारण वस्तुओं के मूल्यों में कोई विशेष अन्तर नहीं होगा।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय—जारी

श्री शिंदे : यह एक गौरव का विषय है कि हम चीनी का निर्यात करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना काल में हमें इसका आयात करना पड़ता था। पिछले 5 वर्षों से हमने इसके निर्यात से लगभग 100 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा कमायी है। चीनी के निर्यात के लिये हमें अन्य देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है।

माननीय सदस्यों ने गन्ने के मूल्यों तथा स्टाक जमा हो जमा हो जाने के प्रश्नों को उठाया है। इस बारे में रिजर्व बैंक ने कार्यवाही की है और अनुसूचित बैंकों को आदेश जारी किया है कि फैक्ट्रियों की सहायता करें। हमारे देश में कुछ मिल मालिक ऐसे भी है जो जानबूझ कर उत्पादकों को देर से भुगतान करते हैं। यह उचित नहीं है।

कानपुर का संस्थान जो इंजीनियरों को प्रशिक्षण देता है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हमें प्रसन्नता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में हमारी चीनी का स्तर बहुत अच्छा है। सामुदायिक विकास आन्दोलन की त्रुटियों का पता लगाने के लिये हम प्रयत्न कर रहे है और यथासम्भव सुधार किया जायेगा। पंचायती राज्य के काम में पर्याप्त प्रगती हुई है। आरंभ में यह केवल कुछ ही राज्यों में चालू किया गया था परन्तु अब केरल, मध्य प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर और नागालैंड को छोड़ यह सभी राज्यों बहुत में अच्छा कार्य कर रहा है।

सामुदायिक विकास कार्य में काफ़ी प्रगति हुई है। उर्वरक अच्छे बीजों और कीटनाशक पदार्थों की खपत में वृद्धि इसी विभाग के कार्य के फलस्वरुप हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा-प्रसार हो रहा न और यातायात सम्बन्धी सुविधाएं बढ़ती जा रही है।

आदिवासी विकास खण्डों में आदिवासियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने उनके लिये अधिक स्थान सुरक्षित करने का निर्णय किया है। सामुदायिक विकास कार्य के भाग के रूप में देहातों में लगभग 2 लाख रेडियों लगाये गये हैं। भारत-पाकिस्तान संघर्ष के समय इन्हें बात लोकप्रिय पाया गया है।

सामुदायिक विकास विभाग ने दो अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आरंभ किये है। वे है जनशक्ति कार्यक्रम तथा स्थानीय विकास कार्यक्रम। इस बारे में हम राज्य सरकारों की सहायता कर रह है और इसका परिणाम भी अच्छा है।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 20 अप्रैल, 1966/30 चैत्र, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 20, 1966/*Chaitra* 30, 1888 (*Saka*).

भासमु—वि 1—58 लोक सभा।66—12—9—67—600